खण्ड-470, अंक-9
शुक्रवार, 1 फाल्गुन, शक संवत् 1930
(20 फरवरी, 2009 ई0)

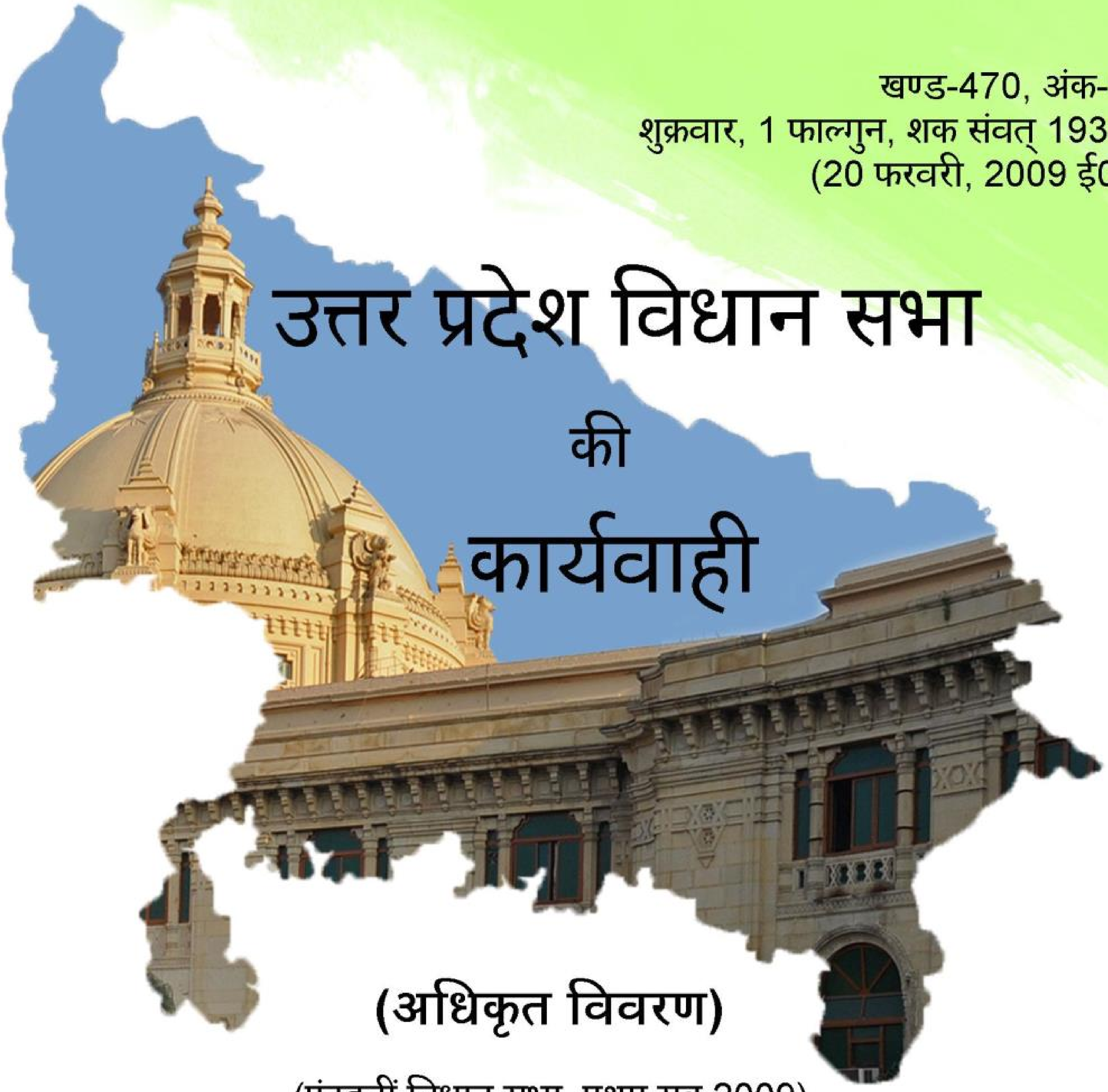

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(पंद्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2009)

खण्ड 470 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2009

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-च
मुम्बई में आतंकवादी हमले सहित देश के अन्य अंचलों में आतंकवादी हमलों में शहीद भारतीय सेना, पुलिस बल एवं अन्य सशस्त्र बलों और निर्दोष नागरिकों सहित सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित विषयक श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-110 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	1-3
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (जारी)	3
इस सरकार के अभी तक के कार्यकाल में छोटा बजट सत्र होने के सम्बन्ध में आपत्ति	3-10
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	10
नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	10
मेहनगर जनपद आजमगढ़ के डीहा बाजार में 220 के0वी0 विद्युत सब-स्टेशन के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	10-11
झांसी महानगर स्थित महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज में चिकित्सकों की कमी एवं उचित व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	11
औचित्य/व्यवस्था के प्रश्न पर सदन द्वारा शासन को दिये गये निर्देश एवं विधायकों के प्रति शिष्टाचार हेतु बनाये गये नियम का शासन द्वारा तुरन्त अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	11-12
जनपद रामपुर का मिलक बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	12
सिद्धार्थनगर मुख्यालय पर जर्जर विद्युत तार एवं खम्भों को बदलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	13
पूरनपुर तहसील को विभाजित कर नई तहसील कलीनगर बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	13

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय	पृष्ठ-संख्या

जनपद आगरा के फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत रामपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... 13

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड रुपैडीहा के अन्तर्गत ग्राम जैरामपुरवा में चकरोड की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... 14

शाहजहांपुर के ग्राम रायखुर्द में 2 किलो मीटर मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 14

ग्राम विकास विभाग में नरेगा योजना के अन्तर्गत तकनीकी कार्यों का सम्पादन करने हेतु नियुक्त डिप्लोमा इन्जीनियरों का मानदेय बढ़ाने, बकाया का भुगतान तथा नियमितीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 14-15

सुल्तानपुर के विकास खण्ड दुबपुर में गाटा सं0-952 तालाब की भूमि से अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... 15-16

जनपद सिद्धार्थनगर के बांसी क्षेत्र में कतिपय मार्गों को जोड़ने वाले बाईपास के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 16-17

जनपद कुशीनगर के फाजिल नगर क्षेत्रान्तर्गत ड्रेनेज की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 17

जनपद बलरामपुर के सादुल्लानगर में कुसमौर घाट घुसवा मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 17

जनपद श्रावस्ती में लक्ष्मण नगर से मथुराघाट मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 17

उप जिलाधिकारी, लहरपुर, जनपद सीतापुर द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने एवं दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... 18

मुजफ्फरावाद सहारनपुर हेतु आवंटित हैण्डपम्प में से शे. 98 हैण्डपम्प अविलम्ब लगवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ... 18

जनपद पीलीभीत में वन विभाग (माला रेंज) की जमीन का अधिग्रहण जनहित में किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ... 19

जनपद बागपत, पठानकोट कब्जा व थाना बड़ौत निवासी श्री महताब के फर्जी इन्काउन्टर की जांच उच्चाधिकारियों द्वारा कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... 19-20

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद महामायानगर के कस्बा सादाबाद में करवन नदी के जर्जर पुल के नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	20
जनपद बागपत में कतिपय ग्रामीण मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	20-21
जनपद मथुरा अन्तर्गत गोवर्धन सुरक्षित क्षेत्र नेशनल हाई-वे पर आबादी वाले कतिपय स्थानों की जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	21
जनपद हरदोई के अन्तर्गत मल्लावां क्षेत्र में कल्याणी नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	21-22
मेरठ में परगना-बरनावा, तहसील बड़ौत, ग्राम सभा शादपुर बाणगंगा में ग्राम समाज की भूमि को वन विभाग से वापस दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	22
इलाहाबाद के अन्तर्गत ग्राम मुहीउद्दीनपुर एवं कुसेहटा में 33/11 के0वी0 का विद्युत उपकेन्द्र लगवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	22
जनपद लखीमपुर-खीरी के ग्राम महेवागंज में श्री जयमहालक्ष्मी भल्ला जी प्लाईवुड फेक्ट्री द्वारा उत्सर्जन प्रदूषण पर रोक लगाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	22-23
जनपद लखीमपुर-खीरी के मोहल्ला थरवरनगंज में अवरुद्ध मार्ग को खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	23
जनपद हरदोई के ग्राम पंचायत जामू के ग्राम प्रधान द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच एवं कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	23
जनपद लखीमपुर में खीरी व आयल को जोड़ने वाले क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	24
प्रदेश में एलोपैथिक फार्मासिस्टों के रिक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	24-25
जनपद गाजियाबाद में शस्त्र लाइसेंस को प्राथमिकता पर निर्गत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	25

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद कुशीनगर के कतिपय नहरों की सिल्ट सफाई एवं रेगुलेटर ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	25-26
जनपद आगरा में कृष्णा कालोनी जीवनी मंडी की सड़क मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	26
जनपद गाजियाबाद में सिम्भावली विद्युत घर के अन्तर्गत हरोड़ा फीडर के जूनियर इन्जीनियर श्री गणपति की करेन्ट लगने से हुई मृत्यु पर परिजनों को मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	26
पदयात्रा में लिम्का बुक में नाम दर्ज कराकर कीर्तिमान स्थापित करने वाले स्व0 विजय शंकर मिश्रा के आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	26-27
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें (जारी)	27-28
लखनऊ से प्रकाशित इकोनामिक टाइम्स के दिनांक 11 फरवरी, 2009 के संस्करण के पृष्ठ 3 पर "माइक्रा पेपर फ्लाई इन यू0पी0 हाउस" सम्बन्धी खबर को संज्ञान में लेकर गलत रिपोर्टिंग पर अंकुश लगाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	28-32
उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के अन्तर्गत नये नियम बनाने एवं संशोधन के प्राप्त अधिकार के अन्तर्गत भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता के सेक्शन-41 एवं 309 में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	32-35
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	35
उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ के वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	35
सतर्कता विभाग की अधिसूचना सं0 लो0आ0 319/39-4-07-15 (5)-06 दिनांक 01 अप्रैल, 2008 (सदन के पटल पर रखी गई)	35
आगरा जांच आयोग फाइनल रिपोर्ट (कृत कार्यवाही के विवरण सहित) (सदन के पटल पर रखी गई)	35
मेरठ के विक्टोरिया पार्क में "ब्रान्ड्स इण्डिया कन्ज्यूमर शो" के पन्डालों में हुए भीषण अग्निकाण्ड/दुर्घटना के सम्बन्ध में गठित एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग की आख्या (कृत कार्यवाही के विवरण सहित) (सदन के पटल पर रखी गयी)	36

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	36
डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2008 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	36-37
जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के अन्तर्गत ग्राम बरैछावीर एवं ग्राम हरिहरपुर में कीना बाबा धाम के मध्य गोमती नदी पर पुल तथा सड़क निर्माण कराये जाने विषयक श्री दिनेश कुमार द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	37
उत्तर प्रदेश अरबी फारसी विश्वविद्यालय, 2009 (पुरःस्थापित)	37
शारदा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009 (पुरःस्थापित)	37-38
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति संशोधन विधेयक, 2009 (पुरःस्थापित)... ...	38
सभी अनुदानों की मांगों को एक साथ रखे जाने के लिए अनुमति मांगे जाने पर आपत्ति	38-40
वित्तीय वर्ष 2009-2010 के आय-व्ययक पर समेकित अनुदान की मांगों पर मतदान	40-45
अनुदान सं0-01 आबकारी विभाग (स्वीकृत)	45
अनुदान सं0-02 आवास विभाग (स्वीकृत)	45
अनुदान सं0-03 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) ....(स्वीकृत) ...	45
अनुदान सं0-04 उद्योग विभाग (खानें और खनिज) ....(स्वीकृत)... ...	45
अनुदान सं0-05 उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) ....(स्वीकृत)... ...	45
अनुदान सं0-06 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) ....(स्वीकृत)	45
अनुदान सं0-07 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) ....(स्वीकृत) ...	45
अनुदान सं0-08 उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री) ....(स्वीकृत) ...	45
अनुदान सं0-09 ऊर्जा विभाग ....(स्वीकृत)	45
अनुदान सं0-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) ... (स्वीकृत)	45
अनुदान सं0-11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) ...(स्वीकृत) ...	45
अनुदान सं0-12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) ...(स्वीकृत)	46

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय			पृष्ठ-संख्या
अनुदान सं0-13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) ...(स्वीकृत)	...		46
अनुदान सं0-14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) ...(स्वीकृत)	...		46
अनुदान सं0-15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) (स्वीकृत)	...		46
अनुदान सं0-16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) (स्वीकृत)...			46
अनुदान सं0-17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) (स्वीकृत)	...		46
अनुदान सं0-18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) (स्वीकृत)	...		46
अनुदान सं0-19 कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)	...		46
अनुदान सं0-20 कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) (स्वीकृत) ...	...		46
अनुदान सं0-21 खाद्य तथा रसद विभाग (स्वीकृत)	...	...	46
अनुदान सं0-22 खेल विभाग (स्वीकृत)...	...	...	46
अनुदान सं0-23 गन्ना विकास विभाग (गन्ना) (स्वीकृत)	...	...	46
अनुदान सं0-24 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) (स्वीकृत)	...	...	46
अनुदान सं0-25 गृह विभाग (कारागार) (स्वीकृत)	...	...	46
अनुदान सं0-26 गृह विभाग (पुलिस) (स्वीकृत)	...	...	46
अनुदान सं0-27 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) (स्वीकृत)	...	...	46
अनुदान सं0-28 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)	...		47
अनुदान सं0-30 गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)	...	...	47
अनुदान सं0-31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) (स्वीकृत)	...		47
अनुदान सं0-32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) (स्वीकृत)...		...	47
अनुदान सं0-33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) (स्वीकृत)	...		47
अनुदान सं0-34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) (स्वीकृत)...		...	47
अनुदान सं0-35 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) (स्वीकृत) ...		...	47
अनुदान सं0-36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) (स्वीकृत)...		...	47
अनुदान सं0-37 नगर विकास विभाग (स्वीकृत)	...	...	47
अनुदान सं0-38 नागरिक उड्डयन विभाग (स्वीकृत)	...	...	47
अनुदान सं0-39 भाषा विभाग (स्वीकृत)...	...		47
अनुदान सं0-40 नियोजन विभाग (स्वीकृत)	...	...	47
अनुदान सं0-41 निर्वाचन विभाग (स्वीकृत)	...	...	47
अनुदान सं0-42 न्याय विभाग (स्वीकृत)...	...		47

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय			पृष्ठ-संख्या
अनुदान सं0-43 परिवहन विभाग (स्वीकृत)	...	...	48
अनुदान सं0-44 पर्यटन विभाग (स्वीकृत)...	...	...	48
अनुदान सं0-45 पर्यावरण विभाग (स्वीकृत)	...	...	48
अनुदान सं0-46 प्रशासनिक सुधार विभाग (स्वीकृत)	...	...	48
अनुदान सं0-47 प्राविधिक शिक्षा विभाग (स्वीकृत)	...	...	48
अनुदान सं0-48 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग (स्वीकृत)	...	...	48
अनुदान सं0-49 महिला एवं बाल कल्याण विभाग (स्वीकृत)	...	...	48
अनुदान सं0-50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) (स्वीकृत)	...	...	48
अनुदान सं0-51 राजस्व विभाग (दैवी आपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) (स्वीकृत)		...	48
अनुदान सं0-52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)		...	48
अनुदान सं0-53 राष्ट्रीय एकीकरण विभाग (स्वीकृत)	...	...	48
अनुदान सं0-54 लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) (स्वीकृत)	...	...	48
अनुदान सं0-55 लोक निर्माण विभाग (भवन) (स्वीकृत)	...	...	48
अनुदान सं0-56 लोक निर्माण विभाग (विशेष सेवा कार्यक्रम) (स्वीकृत)		...	48
अनुदान सं0-57 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सेतु) (स्वीकृत)		...	48
अनुदान सं0-58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सड़कें) (स्वीकृत)		...	48
अनुदान सं0-59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) (स्वीकृत)		...	49
अनुदान सं0-60 वन विभाग (स्वीकृत)...	...	...	49
अनुदान सं0-61 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)		...	49
अनुदान सं0-62 वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) (स्वीकृत)...		...	49
अनुदान सं0-63 वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) (स्वीकृत)		...	49
अनुदान सं0-65 वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) (स्वीकृत)		...	49
अनुदान सं0-66 वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) (स्वीकृत)	...	...	49
अनुदान सं0-67 विधान परिषद् सचिवालय (स्वीकृत)	...	...	49
अनुदान सं0-68 विधान सभा सचिवालय (स्वीकृत)	...	...	49
अनुदान सं0-70 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (स्वीकृत)	...	...	49
अनुदान सं0-71 शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) (स्वीकृत)	...	...	49
अनुदान सं0-72 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) (स्वीकृत)	...	...	49
अनुदान सं0-73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) (स्वीकृत)	...	...	49
अनुदान सं0-75 शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) (स्वीकृत)	...	...	49

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान सं0-76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण) (स्वीकृत)	49
अनुदान सं0-77 श्रम विभाग (सेवायोजन) (स्वीकृत)	49
अनुदान सं0-78 सचिवालय प्रशासन विभाग (स्वीकृत)	50
अनुदान सं0-79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) (स्वीकृत)	50
अनुदान सं0-80 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण अनुसूचित जातियों का कल्याण) (स्वीकृत)	50
अनुदान सं0-81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) (स्वीकृत) ...	50
अनुदान सं0-82 सतर्कता विभाग (स्वीकृत)	50
अनुदान सं0-83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) (स्वीकृत)	50
अनुदान सं0-84 सामान्य प्रशासन विभाग (स्वीकृत)	50
अनुदान सं0-85 सार्वजनिक उद्यम विभाग (स्वीकृत)	50
अनुदान सं0-86 सूचना विभाग (स्वीकृत)... ...	50
अनुदान सं0-87 सैनिक कल्याण	50
अनुदान सं0-88 संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) (स्वीकृत)	50
अनुदान सं0-89 संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर) (स्वीकृत)... ...	50
अनुदान सं0-90 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) (स्वीकृत) ...	50
अनुदान सं0-91 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) (स्वीकृत) ...	50
अनुदान सं0-92 संस्कृति विभाग (स्वीकृत)	50
अनुदान सं0-95 सिंचाई विभाग अधिष्ठान (स्वीकृत)	51
अनुदान सं0-96 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) (स्वीकृत)	51
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2009 (पारित)	51
उत्तर प्रदेश अरबी-फारसी विश्वविद्यालय विधेयक, 2009, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2009 तथा शारदा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009 पर विचार एवं उनके पारण सम्बन्धी मदें आज ही लिये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	51
उत्तर प्रदेश अरबी-फारसी विश्वविद्यालय विधेयक, 2009 (पारित)... ...	52-81
शारदा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009 (पारित)	81-99
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2009 (पारित)... ...	100-102

विषय	पृष्ठ-संख्या
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	102-105
जनपद सिद्धार्थनगर स्थित चोरयीताल, गाय घाट एवं डांडिया विशुनपुर के बीच राप्ती नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लाल जी यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य ...	106-107
जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम इन्द्रीग्रान्ट टोला फुलपुरवा थाना मिश्रौलिया में 23/24-12-2008 को हुई डकैती के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में श्री माता प्रसाद पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	107-108
जनपद जौनपुर स्थित बरैछाबीर धाम तथा कोना बाबा के मध्य गोमती नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बिरजू राम द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य ...	108-109
जनपद चन्दौली के ग्राम कुशहवा के ग्रामवासियों पर पुलिस द्वारा किये गये फर्जी मुकदमा वापस लेने एवं ग्रामीणों को हुए नुकसान का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री राम किशुन द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	109
जनपद प्रतापगढ़ में जिला योजना (सामान्य) ग्रामीण मार्ग के प्रस्ताव व आगणन को वर्ष 2009-2010 में स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य	110
जनपद बांदा में पेयजल का भीषण संकट पैदा होने के सम्बन्ध में श्री विशम्भर प्रसाद निषाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य	110-112
प्रदेश में वर्ष 1992 से कार्यरत तदर्थ रूप से नियुक्त आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों का विनियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में डा0 पी0 के0 राय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का वक्तव्य	112-113
जनपद सुल्तानपुर स्थित मसियाव ताल नहर का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मदन भैया द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य	113

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय	पृष्ठ-संख्या
वाराणसी में व्यापारियों को फार्म-38 न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 ज्योत्सना श्रीवास्तव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वाणिज्य कर मंत्री का वक्तव्य	113-114
आजमगढ़ में ग्राम कम्मरपुर राजमर बस्ती बीघापुर में बोनी नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती विद्या चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य ...	114-115
जनपद प्रतापगढ़ में किरोसिन तेल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर खाद्य तथा रसद मंत्री का वक्तव्य	115
झांसी महानगर में पेयजल समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री प्रदीप जैन "आदित्य" द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य	116
मथुरा में यमुना नदी में हो रहे प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री प्रदीप माथुर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पर्यावरण मंत्री का वक्तव्य का स्थगन	117
रामपुर में भाखड़ा नदी पर ग्राम खण्डिया के पास पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कपूर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य	117
प्रदेश में विशिष्ट बी0टी0सी0 की चयन प्रक्रिया में अनियमितता बरते जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कपूर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य	117-118
जनपद उन्नाव की ग्राम सभा पारा में सस्ते गल्ले के दुकानदार द्वारा बी0पी0एल0 कार्ड धारकों की राशन सामग्री बाजार में विक्रय के सम्बन्ध में श्री उदय राज यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर खाद्य तथा रसद मंत्री का केवल वक्तव्य	118-119
जनपद कुशीनगर के क्षेत्र फाजिलनगर की नहरों में पानी न आने के सम्बन्ध में श्री विश्वनाथ द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य	119-120
जनपद लखीमपुर खीरी अन्तर्गत अम्बेडकर ग्रामों की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 कौशल किशोर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	120-121

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद आजमगढ़ के ग्राम उर्वासा निजामाबाद के मध्य तमसा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अंगद यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य ...	121
जनपद वाराणसी के वरुणा नदी पर कोइराजपुर पुल व दीन दयालपुर पुल को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम किशुन द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	122-123
जनपद खीरी के ग्राम नई बस्ती भिडौरा निवासी श्री सुन्दर लाल के हत्यारों को गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में श्री कृष्ण गोपाल पटेल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन ...	123
तथा	
महाराजगंज नौतनवां में खनिज विभाग द्वारा फार्म सी के नाम पर अवैध वसूली के सम्बन्ध में श्री अमरमणि त्रिपाठी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर खनिकर्म मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन	123
सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित किये जाने का प्रस्ताव ..... (स्वीकृत)	123-134
राष्ट्र-गान	134

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 20 फरवरी, 2009

(विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य-302

अंगद यादव, श्री	आजमगढ़
अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद
अकीलुर्रहमान खां, श्री	मुरादाबाद
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अजय तोमर, डा0	बागपत
अजय यादव, श्री	एटा
अजय सिंह, श्री	जालौन
अजन्ता मिश्रा, श्री	फर्रुखाबाद
अनिल कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
अनिल कुमार अहिरवार, श्री	महोबा
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
अनिल चौधरी, डा0	हाथरस (महामायानगर)
अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत
अनुग्रह नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
अनूप सण्डा, श्री	सुल्तानपुर
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अब्दुल वारिस खां, श्री	मुजफ्फरनगर
अभिमन्यु त्रिपाठी, श्री	महराजगंज
अमरेश कुमार शुक्ल, श्री	बाराबंकी
अम्बिका सिंह, श्री	गोरखपुर
अमोरिया प्रधान, श्री	गाजीपुर
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अरविन्द कुमार सिंह गोप, श्री	बाराबंकी
अरशद खान, श्री	पीलीभीत
अरुणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अलाउद्दीन, श्री	बलरामपुर
अलीम हाजी, श्री	बुलन्दशहर
अवध पाल सिंह यादव, श्री	एटा
अवधेश वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर
अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दूबे, श्री	महराजगंज
अवस्थी बाला प्रसाद, श्री	लखीमपुर खीरी
अशोक कुमार दोहरे, श्री	औरैया
अशोक-कुमार राणा, श्री	बिजनौर
अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
आदित्य पाण्डेय, श्री	फतेहपुर
आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय, श्री	इलाहाबाद
आर0 के0 शर्मा, पंडित	बरेली
आरिफ अनवर हाशमी, श्री	गोण्डा
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आसिफ, श्री	हरदोई
ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री	सिद्धार्थनगर
उदयभान करवरिया, श्री	इलाहाबाद
उदयराज, श्री	उन्नाव
उदयलाल मौर्य, श्री	वाराणसी
उमेश पाण्डेय, श्री	मऊ
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री	सुल्तानपुर
ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर
कमलेश चन्द्र दिवाकर, श्री	कानपुर देहात

उत्तर प्रदेश विधान सभा

कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
काशीराम, श्री	रामपुर
कुबेर सिंह, श्री	एटा
कुलदीप सिंह गंगवार, श्री	फर्रुखाबाद
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृपा शंकर सिंह, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार, श्री	बहराइच
कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कृष्ण गोपाल पटेल, श्री	लखीमपुर खीरी
के0 के0 सचान, डा0	जौनपुर
केदारनाथ वर्मा, श्री	बलिया
कैलाश सिंह राजपूत, श्री	कन्नौज
कौशल किशोर, डा0	लखीमपुर खीरी
कौशलेन्द्र नाथ योगी, महंत	बलरामपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री	बुलन्दशहर
गिरीश चन्द्र, श्री	मुरादाबाद
गुटियारी लाल दुबेश, श्री	आगरा
गुरू प्रसाद मौर्य, श्री	इलाहाबाद
गुलाम मोहम्मद खान, श्री	बहराइच
गेंदा लाल चौधरी, श्री	हाथरस (महामायानगर)
घूराराम, श्री	बलिया
चन्द्रदेव, श्री	आजमगढ़
चन्द्र प्रकाश मिश्र "भाटवारी", श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रभद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रवीर सिंह, श्री	मेरठ
छत्रपाल सिंह, श्री	बरेली
छोटे सिंह, श्री	जालौन
जगदीश नारायण, श्री	जौनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जगपाल, श्री	सहारनपुर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जयवीर सिंह, ठाकुर	अलीगढ़
जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री	चन्दौली
जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री	बस्ती
जितेन्द्र कुमार बब्लू भइया, श्री	फैजाबाद
जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री	आगरा
जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद
ज्योत्सना श्रीवास्तव, डा0	वाराणसी
ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर
ददुदन मिश्रा, श्री	श्रावस्ती
ददुदू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दाउद अहमद, श्री	हरदोई
दिनेश प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दूधराम, श्री	बस्ती
धनंजय सिंह, श्री	जौनपुर
धनीराम वर्मा, श्री	औरैया
धर्मपाल, श्री	गाजियाबाद
धर्मपाल यादव डी0पी0 यादव, श्री	बदायूं
धर्मपाल सिंह, डा0	आगरा
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धर्मी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बलरामपुर
धू राम लोधी, चौधरी, श्री	हमीरपुर
नकुल दूबे, श्री	लखनऊ
नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री	इलाहाबाद
नन्दिता शुक्ला, श्रीमती	गोण्डा
नरेन्द्र सिंह, श्री	सीतापुर
नाथू राम कुशवाहा 'इंजीनियर', श्री	ललितपुर
नारायण सिंह, श्री	आगरा
नितिन अग्रवाल, श्री	हरदोई
निर्मल वर्मा, श्री	सीतापुर
नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री	शाहजहाँपुर
पशुपति, श्री	गाजीपुर
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, श्री	बाँदा
पूजा पाल, श्रीमती	इलाहाबाद
पूरन प्रकाश, श्री	मथुरा
प्रजापालन, श्री	एटा
प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती	कानपुर देहात
प्रदीप कुमार उर्फ गुड्डू, श्री	बदायूं
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रमोद तिवारी, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद सिंह, श्री	देवरिया
प्रवीण पटेल, श्री	इलाहाबाद
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
फरहत हसन, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
फरीद महफूज किदवई, श्री	बाराबंकी
फागू, श्री	मऊ
बलबीर, श्री	मुजफ्फरनगर
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
बिमलेश सिंह, श्रीमती	अलीगढ़
बिरजू राम, श्री	जौनपुर
बृजेश सौरभ, श्री	प्रतापगढ़
बैजनाथ दूबे, श्री	गोण्डा
ब्रह्मशंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवती प्रसाद सागर, श्री	झाँसी
भगवान दास, श्री	सन्तकबीरनगर
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट, श्री	इटावा
भोला पासवान, श्री	आजमगढ़
मंजू, श्रीमती	बलिया
मदन भैया, श्री	बागपत
मदन भीहान, श्री	गाजियाबाद
मधुसूदन शर्मा, श्री	आगरा
मनोज चौधरी, श्री	सहारनपुर
ममतेश शाक्य, श्री	एटा
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
महिपाल सिंह, श्री	सहारनपुर
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ डीन बाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
महेश त्रिवेदी, श्री	कानपुर देहात
महेश चन्द्र गुप्ता, श्री	बदायूँ
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
माधव पासवान, श्री	गोरखपुर
मिथिलेश कुमार कटेरिया, श्री	शाहजहाँपुर
मिथलेश कटियार, श्रीमती	कानपुर देहात
मीता गौतम, कु0	बाराबंकी
मुरलीधर, श्री	फतेहपुर
मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
मुस्लिम खाँ, श्री	बदायूँ
मोहम्मद आजम खाँ, श्री	रामपुर
मोहम्मद इकबाल, श्री	बिजनौर
मोहम्मद गाजी, श्री	बिजनौर
मोहम्मद जलील खान, श्री	गोण्डा
मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री	सीतापुर
मोहम्मद तारीश खाँ, श्री	सन्तकबीरनगर
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
यशपाल सिंह, श्री	बिजनौर
यशवन्त सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
याकूब हाजी, श्री	मेरठ
योगराज सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
योगेन्द्र सागर, श्री	बदायूँ
योगेश वर्मा, श्री	मेरठ
रघुनाथ प्रसाद संखवार, डा0	कानपुर देहात
रजनी तिवारी, श्रीमती	हरदोई
रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री	फतेहपुर
रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	कुशीनगर
रतनलाल अहिरवार, श्री	झाँसी
रफी अहमद उस्मानी, डा0	लखीमपुर खीरी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रमेश गौतम, श्री	गोण्डा
रमेश चन्द्र बिन्द, डा0	मिर्जापुर
रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री	सहारनपुर
राकेश कुमार गोस्वामी, श्री	महोबा
राकेश धर त्रिपाठी, डा0	इलाहाबाद
राकेश बाबू, श्री	फिरोजाबाद
राजकुमार सिंह गौतम, डा0	गाजीपुर
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
राजबली जैसल, श्री	इलाहाबाद
राजाराम कोरी उर्फ त्यागी, श्री	रायबरेली
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र कुमार, श्री	मऊ
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोनी सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राजेन्द्र सिंह, डा0	आगरा
राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री	गोरखपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश कुमार, श्री	लखीमपुर खीरी
राजेश त्रिपाठी, श्री	गोरखपुर
राजेश यादव, श्री	शाहजहाँपुर
राजेश्वरी, श्रीमती	हरदोई
राधे लाल रावत, श्री	उन्नाव
राधे श्याम गुप्ता, श्री	फतेहपुर
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकरनगर
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश कुशवाहा, श्री	कानपुर नगर
राम प्रकाश यादव, श्री	फिरोजाबाद
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम प्रसाद जायसवाल, श्री	देवरिया
राम विशुन आजाद, श्री	गोण्डा
रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
राम शिरोमणि शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
राम सागर अकेला, श्री	श्रावस्ती
राम सिंह, डा0	अलीगढ़
रामसेवक, श्री	सुल्तानपुर
रामस्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
रोशन लाल वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर
लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा
लाखी राम नागर, श्री	मेरठ
लाल जी यादव, श्री	सिद्धार्थनगर
लाल जी वर्मा, श्री	अम्बेडकरनगर
वाचस्पति, श्री	कौशाम्बी
वारिस अली, श्री	बहराइच
वासुदेव सिंह "बाबा", श्री	बुलन्दशहर
विजय कुमार, श्री	गाजीपुर
विजय पाल सिंह, श्री	बरेली
विजय बहादुर यादव, श्री	गोरखपुर
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्यासागर गुप्त, श्री	लखनऊ
विनोद सिंह, श्री	सुल्तानपुर
विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विशम्भर सिंह यादव, श्री	बांदा
विश्वनाथ, श्री	कुशीनगर
वीरेन्द्र सिंह, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री	बुलन्दशहर
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
वृज सिंह उर्फ वृज कुंवरि, श्रीमती	गोण्डा
शम्भू चौधरी, श्री	कुशीनगर
शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री	बरेली
शारदा प्रसाद, श्री	चन्दौली
शहनवाज, श्री	बिजनौर
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव गणेश लोधी, श्री	रायबरेली

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शिवबालक पासी, श्री	रायबरेली
शिवशंकर, श्री	बलिया
शीशराम, श्री	बिजनौर
शेख नसीरउद्दीन सिद्दीकी, श्री	फिरोजाबाद
शेरबहादुर, श्री	अम्बेडकरनगर
शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री	जौनपुर
श्यामदेव राय चौधरी, श्री (दादा)	वाराणसी
श्याम नरायण यादव, श्री	आजमगढ़
श्याम लाल, श्री	बलरामपुर
श्रीपति आजाद, श्री	महराजगंज
संग्राम सिंह, श्री	बाराबंकी
संजय कुमार त्रिपाठी, श्री	प्रतापगढ़
संजय कपूर, श्री	रामपुर
संजीव दरियावादी, "बन्टी" श्री	कानपुर नगर
संध्या, कुमारी	मैनपुरी
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्य नारायण जैसल, श्री	सोनभद्र
सत्यपाल सिंह, चौधरी	अलीगढ़
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री	गौतमबुद्धनगर
सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0	बागपत
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सनातन पाण्डेय, श्री	बलिया
सिनोद कुमार शाक्य, श्री	बदायूं
सिवगतुल्लाह अंसारी, श्री	गाजीपुर
सी0 एम0 प्रसाद, श्री	सोनभद्र
सीमा द्विवेदी, श्रीमती	जौनपुर
सी0 वी0 इन्निस, श्री	नाम-निर्देशित
सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री	फतेहपुर
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुखलाल, श्री	पीलीभीत
सुन्दर लाल लोधी, श्री	उन्नाव
सुभाष, श्री	बलिया
सुभाष पाण्डेय, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री	आजमगढ़
सुरेश तिवारी, श्री	देवरिया
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सुरेश्वर सिंह, श्री	बहराइच
सुल्तान बेग, श्री	बरेली
सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सूर्यभान, श्री	मिर्जापुर
सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती	गाजीपुर
हरगोविन्द भार्गव, डा0	सीतापुर
हरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
हसरत उल्ला, श्री	एटा
होराम सिंह, श्री	गौतमबुद्धनगर
रिक्त	

नोट—भूतत्व एवं खनिकर्म तथा पंचायती राज मंत्री (श्री बाबू सिंह कुशवाहा) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मुम्बई में आतंकवादी हमले सहित देश के अन्य अंचलों को आतंकवादी हमलों में शहीद भारतीय सेना, पुलिस बल एवं अन्य सशस्त्र बलों और निर्दोष नागरिकों सहित सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने विषयक श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम 110 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आप कृपया उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 का नियम 110 देखने की कृपा करें।

इसमें है कि बिना सूचना के प्रस्ताव-निम्नलिखित प्रस्ताव यदि अध्यक्ष अनुज्ञा दें, बिना सूचना के किये जा सकेंगे-इसमें 110 (क) में है संवेदना या बधाई प्रस्ताव। मैं इस संदर्भ में आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

मान्यवर, मेरे प्रस्ताव को आप नियम 110 के अन्तर्गत स्वीकार कर सकते हैं। मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली 1958 के नियम 110 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि-

"यह सदन मुम्बई में आतंकवादी हमले सहित देश के अन्य अंचलों में हुये आतंवादी हमले में शहीद भारतीय सेना, पुलिस बल एवं अन्य सशस्त्र बलों और निर्दोष नागरिकों सहित सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है, तथा उनकी वीरता का अभिनन्दन करते हुये आतंकवाद से लड़ने के लिये एकजुटता का संकल्प लेता है। यह सदन आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष तब तक जारी रखने का संकल्प लेता है जब तक आतंकवाद पूरी तरह से नेस्तनाबूत न हो जाय और पराजित न हो जाय, इसके लिये एक जुटता का संकल्प लेता है।"

मान्यवर, मैंने यह प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है। यहां पर आदरणीय नेता विरोधी दल उपस्थित हैं। परम्परा यही रही है कि ऐसा प्रस्ताव नेता विरोधी दल और नेता सदन की सहमति से और यदि दोनों सहमत हों और आप अनुज्ञा दें तो पेश हो सकता है और, यदि नेता विरोधी दल सहमत न हों, नेता सदन सहमत न हों और आप अनुज्ञा न दें तो प्रस्ताव नहीं हो सकता है। यह मेरे मन की भावना है कि हम उन जाबांज शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं जिन्होंने देश की सुरक्षा करते हुये अपना जीवन अर्पित कर दिया है।

मान्यवर, गणतंत्र दिवस परेड पर हमने उन विधवाओं को देखा है जो अपने पति की शहादत पर देश का सर्वोच्च सम्मान लेने के लिये वहां आयी थीं। मान्यवर, अन्य विधान सभाओं में यह प्रस्ताव पारित हुआ है। यह उत्तर प्रदेश विधान सभा की सबसे बड़ी विधान सभा है। यह विधान सभा बहुत सी परम्पराओं को डालने वाली विधान सभा है। देश का नेतृत्व करने वाली विधान सभा है। मान्यवर, मैं आज देख रहा हूं कि सत्र का अंतिम दिन है लेकिन अभी तक यह प्रस्ताव नहीं आया है। कायदे से यह प्रस्ताव प्रारम्भ में ही आ जाना चाहिये था। मान्यवर, अगर ऐसा प्रस्ताव पास नहीं होगा तो हम पर कहीं यह कलंक न लग जाये कि इतनी महत्वपूर्ण घटना पर हमने अपनी आंखें मूदें रखीं और संवेदना व्यक्त नहीं की। मान्यवर, अगर इस प्रस्ताव में से

कोई शब्द निकालना हो, या जोड़ना हो तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री उसको तद्नुसार ठीक कर अपना प्रस्ताव ले आयें।

मैं समझता हूं मान्यवर कि माननीय नेता विरोधी दल मेरे प्रस्ताव से पूरी तरह से सहमत होंगे। वे देश के रक्षा मंत्री रहे हैं, वह इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। मेरा अनुरोध है कि इस प्रस्ताव को नियम 110 के अन्तर्गत ले लिया जाय और सर्वसम्मति से पारित कराया जाये।

नेता विरोधी दल (श्री मुलायम सिंह यादव)-

मान्यवर, मुझे विश्वास है कि इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं करेगा। हम इतना भी नहीं करेंगे तो हम समझते हैं कि इस विधान सभा के लिये एक बड़ा प्रश्नचिन्ह लग जायेगा कि इस विधान सभा ने उन शहीदों के प्रति कोई संवेदना व्यक्त नहीं की, उसको याद नहीं किया गया। मान्यवर, यह इसलिये भी जरूरी है कि जब ऐसा अवसर है कि जब देश में एक दहशत का वातावरण बनाने की साजिश है, कोशिश है, मैं नहीं कहता कि वे सफल हो जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रमोद तिवारी जी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उससे सहमत हूं और आपसे आग्रह है कि आप इसकी सहमति दें और पारित करा दें।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, माननीय प्रमोद तिवारी जी ने प्रस्ताव रखा है, मुम्बई में जो आतंकवाद की घटना हुई है उसमें जो हमारी सेना या पुलिस के जवान शहीद हुये हैं उनके सम्मान में उनकी याद में पूरे देश ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। मान्यवर, उसमें कदाचित कोई अनुचित बात नहीं है। मान्यवर, यह बात सही है कि अगर ऐसा प्रस्ताव यह पहले ही ले आये होते और पहले ही रख दिया होता तो सर्वसम्मति से वह आता। मैं उसके बावजूद यह कहना चाहता हूं कि यह एक बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है और हम उससे सहमत हैं। मैं चाहूंगा कि आप इस प्रस्ताव को पास कराने की कृपा करें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हमारी और हमारे दल की भी सहमति है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय प्रमोद तिवारी जी के द्वारा यह जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है इसमें नेता प्रतिपक्ष जी ने और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी अपनी सहमति व्यक्त किया है। मैं इस संदर्भ में प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि यह सदन मुम्बई में आतंकवादी हमले सहित देश के अन्य अंचलों में हुये आतंकवादी हमले में शहीद भारतीय सेना, पुलिस बल एवं अन्य सशस्त्र बलों और निर्दोष नागरिकों सहित सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है, तथा उनकी वीरता को अभिनन्दन करते हुये आतंकवाद से लड़ने के लिये एकजुटता का संकल्प लेता है। यह सदन आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष तब तक जारी रखने का संकल्प लेता है जब तक आतंकवाद पूरी तरह से नेस्तनाबूत न हो जाय और पराजित न हो जाय-इसके लिये एकजुटता का संकल्प लेता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद अर्पित करता हूं और माननीय नेता विरोधी दल को धन्यवाद अर्पित करता हूं और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को भी धन्यवाद अर्पित करता हूं।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिश विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 19 फरवरी, 2009 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 20 फरवरी, 2009 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है-

1-दिनांक 20 फरवरी, 2009 को प्रश्नकाल न हो एवं नियम-56 तथा 311 के अन्तर्गत सूचनायें न ली जायें एवं दिनांक 20 फरवरी, 2009 को ही वित्तीय वर्ष 2009-2010 के आय-व्ययक के समस्त अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान हो तथा उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2009 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण किया जाय।

2-दिनांक 24, 25, 26 तथा 27 फरवरी, 2009 को सदन की बैठकें न हों ?

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

छोटा बजट सत्र होने के सम्बन्ध में आपत्ति

नेता विरोधी दल (श्री मुलायम सिंह यादव)-

मान्यवर, मुझे एक मिनट सुन लीजिये। यह ठीक है कि कार्य-मंत्रणा समिति ने स्वीकार कर लिया लेकिन मुझे आपत्ति है फिर भी, कि आखिर कैसे स्वीकार कर लिया ? यह बजट सेशन इसी सरकार के कार्यकाल में इतना छोटा होता रहा, पहले भी होता रहा है। आप पहले उदाहरण देखेंगे कि कितने दिनों तक असेम्बली चलती थी और यह विधान सभा ऐसा मंच जहां पर जनता की रोजमर्रा की समस्यायें भी रखी जाती हैं, घटनायें आ जाती हैं उनका भी जिक्र होता है। और यहां पर अपने-अपने कार्यों के बारे में, विकास के बारे में कमियों के बारे में माननीय सदस्यों को अवसर मिलता हैं मुझे आश्चर्य होता है कि यहां एक लोकतांत्रिक मंच है जहां पर सदस्य अपने क्षेत्र की और प्रदेश की समस्याओं को रखते हैं। इतना छोटा सदन, इतना छोटा सत्र होना बहुत ही अनुचित हैं इस विशाल उत्तर प्रदेश में एक विशाल विधान सभा उत्तर प्रदेश की हैं और इसके बारे में यह सब कहा जाता है कि कभी-कभी संसद भी इसका अनुकरण करती है और करती रही है, यह आदर्श इतिहास रहा है। लेकिन, आज हमें ऐसा लगता है कि जो गिरावट आई है हर स्तर पर वह गिरावट कम से कम अध्यक्ष महोदय आप तो न होने दीजिये, इस सदन में। 90 दिन का सदन

चलाना चाहिये नहीं तो कम से कम 60-70 दिन का और चलता रहा, कोशिशें की गयीं लेकिन इतना छोटा सदन सिर्फ इसी सरकार में चलता है तो फिर क्या मतलब है इस सत्र को आप सोचिये। मैं आप सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि आकर यहां पर आपको कुछ बातें रखनी हैं इसलिये कम से कम 90 दिन नहीं तो 60-70 दिन तो चलना ही चाहिये सत्र और चलता रहा है। 90 दिन नहीं 120 दिन चला है 110 दिन चला है सीबी गुप्ता के जमाने में जो असली जगह है बात रखने की। सरकार माने या न मानें, उससे उम्मीद नहीं की जा सकती लेकिन अपनी भावनायें और समस्यायें रखने का अधिकार सबको है। यह क्या बतायेंगे जाकर अपने क्षेत्र में, कि आपने असेम्बली में जाकर क्या किया और क्यों इतना संक्षिप्त सत्र चलवाया ? लेकिन इन परम्पराओं को आप निभाइये। आप भी कहीं-कहीं हस्तक्षेप कर दीजिये। हम माननीय प्रमोद तिवारी जी आपसे कहेंगे कि कैसे कार्य-मंत्रणा समिति में आपने यह स्वीकार कर लिया। करें बहुमत से तो कर ले जायें। जो चाहें सो करें। लेकिन सदन के बारे में आप कैसे कटौती करते हो। कम से कम हमारे अपने जो भी माननीय सदस्य गये कार्य-मंत्रणा समिति में, उन्हीं से पूछ लिया करो। इतना संक्षिप्त सत्र, चलाने पर, मैं तो अध्यक्ष महोदय इस सरकार की निन्दा करता हूं। यह सरकार हर स्तर पर लोकतांत्रिक परम्पराओं का हनन कर रही है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, आप भी हस्तक्षेप करके किसी तरह से इसको बचाइये और माननीय प्रमोद तिवारी जी आप तो इतने प्रखर नेता हैं और इतना ज्ञान आपको है, इतना अनुभव है तब भी आप इतना छोटा सदन चलाने के लिये सहमत कैसे हो गये ? अब यह बहुमत में कर ले जायें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस संक्षिप्त सदन पर मुझे आपत्ति रहेगी और जनता भी जाने कि हम इससे सहमत नहीं हैं। आप भले ही सर्वसम्मति से करें लेकिन इस पर हम सर्वसम्मति के पक्ष में नहीं हैं। हमारा इस पर विरोध है।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्य-मंत्रणा समिति के अन्दर हम लोगों ने यह प्रस्ताव रखा था वैसे अंदर की बात सामान्यतः बाहर नहीं कही जाती है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

ऐसा नहीं है, जनता हर बात को जाने। कार्य-मंत्रणा समिति क्या कर रही है यह भी जानने का जनता को अधिकार है। यह मत सोचिये, आप तो इतने अनुभवी हैं। यह तो जनता का सवाल है।

श्री प्रमोद तिवारी-

नेता विरोधी दल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यही होना चाहिये। हम लोगों ने पहले प्रस्ताव किया था आप अवगत हैं कि इस सत्र में पहले वोट आन एकाउन्ट पास कर लीजिये और लोक सभा चुनाव के बाद विस्तृत बजट सत्र चलाया जाय। हम लोगों ने अपने विचार रख दिये थे। हम ने भी रख दिये थे, भारतीय जनता पार्टी ने भी रख दिये थे, आपकी पार्टी ने भी रख दिये थे सबने रख दिये थे लेकिन उसके बाद यह सरकार का निर्णय है और मान्यवर, अन्दर की बातें बाहर बहुत डिसकस नहीं की जाती है, लेकिन चूंकि हमारा नाम लिया गया था इसलिये मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी कि हमारे यह विचार थे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, अब मेरी बात सुन लें फिर यह उठावें। व्यवस्था का प्रश्न जब एक विषय खत्म हो जाये, तब उठाइये।

(श्री मुलायम सिंह यादव के खड़े होने पर)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यर, एक बात मेरी भी आ जाय कि माननीय प्रतिपक्ष के नेता.....

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय, इनको भी सिखा दीजिये कि विपक्ष का नेता, सदन का नेता जब खड़ा होता है तो क्या होता है ? अध्यक्ष महोदय, मैं इससे सहमत नहीं हूं कि इतना संक्षिप्त सदन चले और हम लोग यहां आकर दस्तखत कर जायें और चले जायें और भत्ता ले लें, हम लोग इसके लिये नहीं आये हैं। इसलिये इतना संक्षिप्त सदन चलाने के विरोध में, मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करते हैं।

(तत्पश्चात् समाजवादी पार्टी के सदन में उपस्थित सभी सदस्यगण सदन त्याग कर चले गये)

संसदीय कार्य वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, पहले बात सुन लेते नेता प्रतिपक्ष, तो ज्यादा अच्छा लगता। मान्यवर, 2003 में जब नेता प्रतिपक्ष मुख्य मंत्री की कुर्शी पर थे तो 3 दिन अनुदान मांग पर चर्चा हुयी थी और 2004 में कोई चुनाव ही नहीं होने जा रहा था। 20 फरवरी, 2004 को एक दिन में सम्पूर्ण बजट पास कराया गया, तब नेता प्रतिपक्ष मुख्य मंत्री की कुर्सी पर थे। मान्यवर, 2005 में कुल 5 दिन में अनुदान मांग पास कराई गयी थी तब नेता प्रतिपक्ष, सदन के नेता सदन थे। मान्यवर, 2006 में 11 मार्च, 2006 को एक दिन में सारी अनुदान मांगें एक साथ छपी थीं और एक ही दिन में पास कराया गया तब माननीय नेता प्रतिपक्ष को सदन का कार्य कम दिन में पास कराने का कष्ट नहीं हुआ। मान्यवर, मैं आज इस बात को दुहराना चाहूंगा। आज किंचित कुछ अखबारों में यह बात भी छपी है कि सरकारी पक्ष की तरफ से एक दिन में सारी अनुदान मांगें रखने का कभी प्रस्ताव नहीं आया था। लेकिन पूरा प्रदेश इस बात को जाने इसलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि वर्ष 2006 में 11 मार्च की कार्यवाही आप देखें तो सारी अनुदान मांगों को एक ही दिन में रखने का काम किया गया था और एक ही साथ उसको पास कराया गया था और 11 मार्च, 2006 को उस समय मा0 नेता प्रतिपक्ष नेता सदन थे और तब उनको सदन कम दिन होने का कष्ट दृष्टिगोचर नहीं हुआ था इनको उस समय अच्छा लगा था। आज जब पूरी तरह से हमारी पार्टी चाहती है कि संसदीय परम्पराओं के अनुसार सदन का समय जितना होना चाहिए वह रहे लेकिन मान्यवर, आज जिस प्रकार की राजनीतिक स्थिति है और आपने भी ऐसा अनुभव किया है कि सामान्य चर्चा रही हो या राज्यपाल की चर्चा रही हो, इन चर्चाओं का जब समय आता था तो अन्त में चर्चा करने के लिए भी पर्याप्त संख्या में लोग उपस्थित नहीं रहते थे, सबकी निगाहें लोकसभा के चुनाव पर लगी

हुई हैं और इन परिस्थितियों में सभी लोगों के सुझाव से ही ऐसा किया गया है। मैं अलग की बात को कहना नहीं चाहता हूं लेकिन समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने भी इस बात की चर्चा की कि लम्बे समय तक सदन को चलाने का काम न कीजिए क्योंकि हम सभी को अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का काम करना है। मान्यवर, यह मैंने इसलिए कहा कि सदन को इस बात की जानकारी रहे और सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश के लोगों को जानकारी रहे कि जो आज सबसे ज्यादा इस बात की चर्चा किये हैं उनका कार्यकाल 2003 रहा, 2004 रहा, 2005 रहा और 2006 भी रहा, उसके बाद 2007 का बजट तो हमारी सरकार आने के बाद पास हुआ था इसलिए इन तीन-चार वर्षों 2003, 2004, 2005 और 2006 देखें तो इनकी गणना 3 दिन, 1 दिन, 5 दिन और 1 दिन है। मान्यवर, उसके बाद भी इस प्रकार का आरोप लगाना उचित नहीं है और मैं यह चाहूंगा कि कार्य-मंत्रणा समिति में आपस में क्या बहस हुई क्या चर्चा हुई लेकिन अन्त में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया है इसलिए मैं चाहूंगा कि जो सदस्य बैठे हैं सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पास करने की कृपा करें।

*श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, जब दोनों पक्षों में औचित्य और परम्परा पर बहस होने लगती है तो मान्यवर हँसी आती है क्योंकि जो इधर से हुआ वही आप कर रहे हो। तो न आप इनको कहने लायक हो और न ये आपको कहने लायक रह गये। लेकिन प्रश्न यह है कि आखिर इस सदन की सार्थकता किस तरह से रहे, इसे आपको सुनिश्चित करना है। इस बात को न इधर न उधर का कोई सदस्य अस्वीकार करेगा और अभी मा0 संसदीय कार्य मंत्री ने उल्लेख किया लेकिन मान्यवर, सदन की कार्यवाही जनहित में चलती है उससे केवल विधायक का कोई हित नहीं होता है। जनहित के लिए सदन के कार्य को अधिक से अधिक अवधि तक संचालित करने की व्यवस्था भी है और परम्परा भी रही है। लेकिन यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि कुछ वर्षों से परम्पराएं टूटी हैं और संसदीय कार्य मंत्री जी ने कुछ वर्षों का उल्लेख भी किया है लेकिन मान्यवर, बजट ला करके लोकसभा चुनाव का उल्लेख करना या उसकी व्यस्तता की दुहाई देना उचित नहीं है। मान्यवर, केन्द्र सरकार भी ऐसा कर सकती थी लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। शुरू में हम लोगों ने कहा था कि वोट ऑफ एकाउण्ट ले लीजिए लेकिन बहुमत तो लाभ उठाना चाहता है अवसर का। इस सदन की कार्यवाही आज नहीं तो आगे चले और एक उल्लेख करके उसका परम्परा के रूप में उल्लेख करना और उसी के पदचिन्हों पर चलना कि कम समय में बजट पास कर लीजिए वह भी इसलिए कि पहले पास हुआ है यह एक तरह से उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है। मान्यवर, आज की जो कार्य-मंत्रणा समिति की रिपोर्ट है, संस्तुति है, वह भी परम्परा का दूसरा चरण बनेगा तो क्या आप यह परम्परा बनने देंगे, इस पर आपकी व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। दूसरी चीज कि बहुमत है, कार्य-मंत्रणा समिति में भी बहुमत होता है आप जो चाहे करा लेंगे लेकिन एक समन्वय, सद्भावना बनी रहे, इसलिए कार्य-मंत्रणा समिति की परम्परा है कि बहुमत से हो, सर्वसम्मति से हो।...

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्योंकि सर्व-सम्मति नहीं होगा तो बहुमत से हो जायेगा। एक स्वस्थ परम्परा चली आ रही है। मैं अभी चैम्बर से सुन रहा था कि एक परम्परा यह है कि अन्दर की बात बाहर अगर आ जायेगी तो फिर उसमें सद्भावना नहीं रह जायेगी और सर्व-सम्मति का कोई प्रश्न नहीं रह जायेगा। इस सबके पीछे एक ही बात है कि आपस की सद्भावना बनी रहे और वह सद्भावना जनहित का संरक्षण करे, परम्परायें जो पड़ी हैं वह जनहित के संरक्षण के लिए है, परम्पराओं को तोड़ने का मतलब है कि हम जनहित का उल्लंघन कर रहे हैं इसलिए मैं आपसे चाहूंगा, यह तो मैं सहमत नहीं हूं पहले भी, जब पिछली बार कार्य-मंत्रणा समिति हुई थी तो मैंने कहा था और आज पुनः कह रहा हूं जिसका उल्लेख संसदीय कार्य मंत्री जी ने किया वह भी औचित्यपूर्ण नहीं है, वह भी उचित नहीं है, वह भी जनहित में नहीं था और आज जो हो रहा है वह भी जनहित में नहीं है। लेकिन इस सदन की कार्यवाही चलनी चाहिए जिससे कि मा0 सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों की और पूरे प्रदेश की जनता की समस्याओं को यहां उठा करके शासन से कुछ उस पर कार्यवाही सुनिश्चित करा सकें। इसलिए मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी आप इस उदारता का परिचय दें और यह आश्वस्त करें कि चुनाव के बाद कम से कम 15 दिन इस सदन की बैठक होगी जिसमें मा0 सदस्यों को अपनी बातें रखने का अवसर मिलेगा। इसका समाधान तो यही है क्योंकि बहुमत की तानाशाही की परम्परा पहले भी थी और आज भी डाल रहे हैं। इस तानाशाही को लोकतंत्र में बदले और और जनभावना का आदर करें और मान्यवर, आप थोड़े कड़े हों, आप रूलिंग दे देंगे कि 15 दिन का सत्र बुलाया जायेगा। तो इनकी एक बाध्यता हो जायेगी, और कोई इनको इम्बैरेसिंग पोजीशन में नहीं डाल रहे हैं जनहित की बातें मा0 सदस्य कह पायेंगे और इस सदन की सार्थकता बनी रहेगी, इस सार्थकता को आप सुरक्षित कीजिए।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गयी हैं कि मुझे भी अपनी बात कहनी है जिससे कि दल की नीति स्पष्ट हो सके। कार्य-मंत्रणा समिति का गठन आपके द्वारा होता है। कार्य-मंत्रणा समिति में हर दल का प्रतिनिधि मौजूद रहता है, सबसे ज्यादा सत्तापक्ष का होता है, क्योंकि उसका बहुमत होता है। नेता विरोधी दल जो होता है, उनके बाद नम्बर-2 पर उनकी संख्या होती है, फिर भारतीय जनता पार्टी के दो सदस्य वहां पर है, सम्भवतः 3 सदस्य समाजवादी पार्टी के हैं। मैं तनहा हूं, अकेला आदमी हूं, लोकदल तनहा है। मान्यवर, मुझे एक आपत्ति सिर्फ है कि कुछ परम्परायें बनती हैं, बिगड़ती हैं पर जब उनके साक्षी हम होते हैं तो तकलीफ होती है। अन्दर क्या हुआ, क्या निर्णय हुआ ? भारतीय जनता पार्टी ने भी आपत्ति जतायी, मैंने भी आपत्ति जतायी। सबने कहा, बहुत से लोगों ने क्या कहा, यहां पर इस बात को मैं कहना नहीं चाहता हूं क्योंकि अगर कहता हूं तो मैं खुद परम्परा तोड़ूंगा। लेकिन मैंने भी यह बात उस समय कही थी कि उचित यही होगा कि अभी 3 महीने का लेखानुदान ले लें और उसके बाद सदन चलायें, लेकिन बहुमत किसका है यह सबको मालूम है ? बहुमत का आदर होता है। कार्य-मंत्रणा की सिफारिश कभी भी बहुमत से नहीं पारित होती, बहुमत से पारित होने उपरान्त परम्परा के अनुसार उसे सर्व सम्मति कहा जाता है अन्यथा कभी उससे बाहर निकल कर बहुमत नहीं कहा जा सकता। आदरणीय ओम

प्रकाश सिंह जी ने बता दिया कि उनकी गलतियां ये दोहरा रहे हैं, इनकी गलतियां वे दोहरा रहे हैं।

इसी सदन में पिछली बार जब ब0सपा0 और भा0ज0पा0 की मिलीजुली सरकार थी, मैं गवाह हूं, एक दिन में राज्यपाल का अभिभाषण करवाया था, एक दिन में बजट पारित कराया था, उसी दिन अविश्वास प्रस्ताव हमारा खारिज किया था और उस पीठ पर सर्वाधिक कालीन आज तक न कोई हुआ है न होगा, आदरणीय केशरी नाथ त्रिपाठी जी विराजमान थे। एक ही दिन में सब कुछ हुआ उसके बाद इसी सदन के, इसी जगह हम लोग रात 1.00 बजे तक बैठे रहे। सदन में बहिष्कार और सदन की वेल में इस आशा के साथ आया जाता है कि कम से कम उसके बाद कोई बुलायेगा, कहेगा, सम्मान देगा, हमको उठायेगा लेकिन 1.00 बजे तक नहीं आये, 1.00 बजे के बाद, मुझे आज तक उनका ड्रेस भी याद है पता नहीं कहां से आये थे ? उनकी पार्टी का अन्दरूनी मामला है। सूट पहने हुए, टाई लगाये हुए थे 1.00 बजे के बाद आये और आग्रह किया तब हम सब उठे। उस दिन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी था। मंत्रि-परिषद् में आदरणीय ओम प्रकाश सिंह जी भी थे और लोग रहे होंगे.....

परम्पराएं तो बुरी बनी है एक दूसरे को गिराने की जहां तक बात है। मैं ओम प्रकाश सिंह जी की इस बात से सहमत हूं जो उन्होंने कहा है यही मांग हमने की थी कि जैसे ही पार्लियामेंट का चुनाव खत्म हो यह अहसान नहीं करेंगे यह परम्परा है नियमावली में है नियमावली यह कहती है अध्याय-4 के अनुच्छेद 14 में है सभा के अधिवेशन-अनुच्छेद-174 के अधीन रहते हुए साधारणतया प्रत्येक वर्ष में सभा के 3 अधिवेशन अर्थात आय-व्ययक अधिवेशन, वर्षाकालीन अधिवेशन व शीतकालीन अधिवेशन और 90 दिन के उपवेशन होंगे मैं इस लाइन पर जोर दे रहा हूं जिसमें यथा सम्भव दो माह के अन्तराल पर कम से कम दस कार्यकारी दिवसों के लिए विधान सभा का सत्र बुलाया जायेगा। अगर आप मई या जून में सदन बुलाएंगे तो कोई बहुत बड़ा अहसान नहीं करेंगे यह तो अनुच्छेद 14 में लिखा है कि आपको बुलाना चाहिए। यथा सम्भव कहीं भारत के अगल-बगल युद्ध हो जाय, कहीं असाधारण परिस्थिति हो जाय तो अलग बात है। अन्यथा दो महीने में बुलाना आवश्यक है। इस बजट सत्र को लम्बा किया जाना चाहिए था कम से कम 21 सिटिंग होनी चाहिए थी परन्तु कांग्रेस मर्यादा का भी ध्यान रखती है मैं कोई ऐसी परम्परा नहीं डालना चाहता कि जो कुछ कार्य-मंत्रणा समिति में हो वह यहां से विखण्डित होकर पारित हो इसलिए मर्यादा का पालन करते हुए परम्परा का पालन करते हुए अपना विरोध दर्ज करते हुए कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश पर मैं और मेरा दल सहमत है।

कृषि मंत्री (चौ0 लक्ष्मी नारायण)-

वर्ष 1987 से पहले ऐसा कोई उदाहरण इस विधान सभा में नहीं है जब बजट कभी एक दिन में पारित हुआ हो। माननीय प्रमोद तिवारी जी यहां मंत्रिमण्डल में बैठे थे बीरबहादुर सिंह नेता सदन थे। हम और माननीय ओम प्रकाश सिंह जी वहां बैठे हुए थे पहली परम्परा कांग्रेस ने डाली। उत्तर प्रदेश विधान सभा में बीर बहादुर सिंह जी के जमाने में एक दिन में पूरा बजट पास किया गया। सारी मद पढ़कर सुनाई गई। यह परम्पराएं कांग्रेस ने ध्वस्त की है।

श्री अध्यक्ष-

कौन डोला से उतरेगा ?

श्री प्रमोद तिवारी-

चौधरी साहब के पास हर दल का खाता मौजूद है। सदन में ऐसा कोई दल नहीं जिसमें इनका खाता न खुला हो। बस एक शर्त पूरी होनी चाहिए इन्हें मंत्रि-मण्डल में स्थान मिलना चाहिए। यह अपनी नौकरी पूरी कर रहे हैं। लेकिन इस विधान सभा में मैं यही खड़े होकर चुनौती देता हूं कि कांग्रेस के शासनकाल में जितने दिन सत्र हुए उतने किसी के समय नहीं हुए। विधान सभा का रिकार्ड देख लीजिए कि कितने दिन कांग्रेस के समय सत्र होते थे। मंत्री जी जो एक दिन की सूचना दे रहे हैं वह गलत है, निराधार है, बिल्कुल सत्य से परे है। 6 दिन सदन चल चुका था अम्मार रिजवी साहब संसदीय कार्यमंत्री थे 6 दिन हंगामा हुआ हंगामें के सातवें दिन बजट पारित हुआ एक दिन में नहीं पारित हुआ जो नहीं जानते हैं वह गलत तथ्य सदन के सामने न रखें। जो यह कहा जा रहा है कि 9 दिन से सदन चल रहा है इस 9 दिन में राज्यपाल का अभिभाषण, निधन के निर्देश और उसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर चार दिन चर्चा हुई है। बजट कल ही रखा गया है। जिस समय की बात मंत्री जी कर रहे हैं उस समय बजट के सात दिन बाद हंगामा हुआ मैं उसका गवाह हूं यह वहां से कागज के गोले बनाकर फेंकते थे सदन अव्यवसस्थित था। मेरी चुनौती है कृषि मंत्री जी को कुछ बोलने के पहले तथ्यों का ज्ञान होना चाहिए बिना तथ्यों का ज्ञान हुए कोई बात नहीं कहनी चाहिए ? मंत्री जी को ओरल डायरिया है। मंत्री जी से पूछो खाद के क्या दाम हैं तो स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में बात करने लगेंगे ? संसदीय कार्यमंत्री जी योग्य है उन्हीं को उत्तर देने दीजिए आप विदेशी हैं वह कैडर के हैं उन्हें मत हिलाइए। आपने कांग्रेस का नाम लिया इसलिए मुझे उत्तर देना पड़ा क्योंकि यहां से किसी ने कांग्रेस का नाम नहीं लिया। मैं आपको चुनौती देता हूं वर्ष 1952-53, 53-54, 56-57 में जितने दिन कांग्रेस ने सत्र बुलाया उसके आधे भी दिन आप बुला लोगे तो मैं आपको साधुवाद और बधाई दूंगा। और उसके बाद मैं आपकी सूचना को सही करते हुए, माननीय कृषि मंत्री ने गलत सूचना दी थी कि एक दिन में पारित हुआ था वह सूचना को सही कर लें वो 8 दिन में पारित हुआ था। मैं आज कहना चाहता हूं कि वीर बहादुर सिंह से ज्यादा जनता से जुड़ा और कोई आदमी नहीं था। लोकतंत्र और प्रजातंत्र में विश्वास करने वाला और कोई आदमी नहीं था (कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने मेजें थपथपाई) मैं मानता हूं मान्यवर, इनका विवाद फतेह बहादुर सिंह से हो सकता है, दोनों एक मंत्रि-मण्डल में हैं। उनसे बदला लेने के लिये इन्होंने वीर बहादुर जी के लिये कहा। मान्यवर, वीर बहादुर सिंह जी हमारी पार्टी के लिये ही नहीं इस देश की धरोहर थे, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, सम्मान अर्पित करते हुए इनको सीख देता हूं कि आइंदा कभी जो इस दुनिया में नहीं हैं, उनके बारे में असम्मानजनक बात और तथ्यों से परे बात मत कीजियेगा।

श्री अध्यक्ष-

चलिये, अच्छा बैठ जाइये।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, अब सदन की राय जान लीजिये। उस विषय पर जो आपने प्रश्न रखा है।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

मैंने प्रश्न प्रस्तुत कर दिया है कि-

प्रश्न यह है कि क्या कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य-मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 20 फरवरी, 2009 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में जाने हेतु कुल 35 सूचनायें प्राप्त हुईं। सभी सूचनाएं स्वीकार कर ली गई हैं। माननीय सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं। श्रीमती विद्या चौधरी, श्री प्रदीप जैन आदित्य, श्री प्रदीप माथुर, श्री संजय कपूर, श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री सुख लाल, डा0 राजेन्द्र सिंह, श्री श्याम लाल, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री विजय बहादुर यादव, श्री अनूप सण्डा, श्री लाल जी यादव, श्री विश्वनाथ, श्री आरिफ अनवर हाशमी, डा0 बकार अहमद शाह, श्री राधेश्याम जायसवाल, श्री इमरान मसूद, श्री महेश चन्द्र गुप्ता, श्री अब्दुल वारिस खां, डा0 अनिल चौधरी, डा0 अजय तोमर, श्री पूरन प्रकाश, श्री कृष्ण कुमार सिंह उर्फ सतीश वर्मा, श्री सत्येन्द्र सोलंकी, श्री जोखू लाल यादव, डा0 आर0 ए0 उस्मानी, श्री कृष्ण गोपाल पटेल, श्री बैजनाथ दुबे, डा0 कौशल किशोर, श्री संजीव दरियाबादी, चौ0 सत्यपाल सिंह डा0 पी0 के0 राय, श्री जगन प्रसाद गर्ग, श्री मदन चौहान, श्रीमती शादाब फतिमा।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं।)

मेंहनगर जनपद आजमगढ़ के डीहा बाजार में 220 के0वी0 विद्युत सब-स्टेशन के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्रीमती विद्या चौधरी-

[मान्यवर, निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत डीहा बाजार में विद्युत सब-स्टेशन न रहने के कारण लगभग 20 ग्राम पड़ते हैं। बिजली की काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जनता की मांग है विद्युत सब-स्टेशन के लिये जो जनहित में आवश्यक है जिससे जनता में काफी आक्रोश है। अतः आपसे अनुरोध है कि लोकहित को ध्यान

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

में रखते हुए डीहा बाजार में विद्युत सब-स्टेशन 220 के0वी0 के निर्माण हेतु धन सहित समुचित आदेश देने की कृपा करें। |

झांसी महानगर स्थित महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज में चिकित्सकों की कमी एवं वहां उचित व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री प्रदीप जैन आदित्य-

|झांसी महानगर स्थित महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज में पूरे बुन्देलखण्ड के म0 प्र0 और उ0 प्र0 के समीपवर्ती जिलों के हजारों मरीज प्रतिदिन इलाज कराने आते हैं। बुन्देलखण्ड के करोड़ों लोगों के बीच में केवल एक ही मेडिकल कालेज है। दुर्घटनाग्रस्त हेड इंजरी के मरीजों के लिए यहां पर सी0टी0 स्कैन एवं एम0आर0आई0 मशीनें नहीं हैं। मेडिकल कालेज में मरीजों को देखने के लिए मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, दो चिकित्सा अधीक्षक तथा एक चिकित्सा उपाधीक्षक के पद खाली हैं, जिससे आये दिन जूनियर डाक्टर्स द्वारा देखभाल की जाती है। ब्लड बैंक आफिसर का पद वर्तमान में खाली है। पी0एम0एस0 चिकित्सक आन डेपुटेशन रखे गये हैं, उन्हें रिलीव करने में कठिनाई है। इमरजेंसी में 24 घण्टे सेवायें देने के लिए इमरजेंसी आफिसर ही है। तीन पद सृजित हैं, दो चिकित्सकों का स्थानान्तरण हो गया है, एक साल से पद रिक्त चल रहे हैं, यदि उन्हें भी हटा दिया जाता है तो इमरजेंसी सेवायें बाधित हो जायेंगी। चिकित्सकों के आधे से अधिक पद रिक्त हैं फिजियोलॉजी, बायोकेमेस्ट्री में कोई चिकित्सक नहीं है, जिससे छात्रों के पठन-पाठन में कठिनाइयां आ रही हैं। भविष्य में मान्यता पर भी संकट आ रहा है। डाक्टरों की कमी के कारण मरीजों को सारी सेवायें ठीक से नहीं मिलती हैं। सरकारी सेवायें ठीक से न मिलने के कारण तीमारदारों और चिकित्सकों में झगड़ा होता रहता है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर मैं सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूं। |

औचित्य/व्यवस्था के प्रश्न पर सदन द्वारा शासन को दिये गये निर्देश एवं विधायकों के प्रति शिष्टाचार हेतु बनाये गये नियम का शासन द्वारा तुरन्त अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप माथुर-

। महोदय, व्यक्ति विशेष अथवा सीमित उद्देश्य के कारण सदन में प्रश्न स्वीकार नहीं होते हैं। किन्तु विधायकों को इसका उत्तर मिले तथा सदन में कार्य का बोझ न बढ़े और श्रम शक्ति का अपव्यय न हो इसलिये संसदीय अनुभाग-1 के संकलन 25 अप्रैल, 2007 में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन व सचिव संसदीय अनुभाग ने शासन के प्रत्येक प्रमुख सचिव/सचिव को इस प्रकार के प्रश्न सीधे शासन से पूछने पर उनका उत्तर सीधे विधायक को दिये जाने की व्यवस्था प्रतिपादित है। शासन का उत्तरदायित्व विधायिका के प्रति है। अतः विधायिका के सदस्यों को जो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-| | यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अधिकार दिये गये हैं यदि उनको परिपूर्णता शासनाधिकारियों द्वारा नहीं की जाती है तो यह शासनादेश का उपहास तो है ही, विधायकों को प्राप्त विशेषाधिकार का भी हनन है।

उपरोक्त संदर्भित संकलन में मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन के अ0शा0प0सं0-1542-सं0-17-79-9-सं-79, दिनांक 21 फरवरी, 1979 तथा सचिव, संसदीय अनुभाग के अ0शा0प0सं0-782 (II)सं0/सत्रह/220/72, दिनांक 21 जुलाई, 1972 की व्यवस्था को शासन के प्रमुख सचिवों/सचिवों द्वारा अनुपालित नहीं किया जा रहा है। जिससे उत्तर प्राप्त नहीं होते हैं। एक तो सत्र कम समय तक चलता है, दूसरे सीमित उद्देश्य और व्यक्ति विशेष के सम्बन्ध में सदन में प्रश्न नहीं होगा किन्तु विधायक को अपनी जिज्ञासा के लिये उत्तर आवश्यक है। यदि यह उत्तर नहीं मिलते हैं तो शासन की पारदर्शिता नहीं प्रतीत होती है तथा सूचना स्पष्ट न होने के कारण भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ जाती है।

विधायिका व शासन में समता तो रहनी ही चाहिये किन्तु यदि इस दृष्टिकोण से शासन को विधायिका के अधिकारों को अनुपालित न करने की छूट इसी भांति दी जाती रही तो विशेषाधिकार हनन के बहुत ज्यादा मामले उठेंगे और विशेषाधिकार समिति में इसी प्रकार के प्रकरणों की भीड़ हो जायेगी।

इस सदन से औचित्य/व्यवस्था के इस प्रश्न पर शासन को निदेश दिया जाये कि उपरोक्त दोनों संदर्भित पत्रों का तो अनुपालन हो ही संसदीय अनु0-1 के संकलन में मा0 विधायकों के प्रति शिष्टाचार के जो नियम बनाये गये हैं तथा उनका अनुपालन शासन, प्रशासन स्तर से नहीं हो रहा है उनका तुरन्त अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा कार्य प्रणाली से वह परिलक्षित भी हो।]

जनपद रामपुर का मिलक बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री संजय कपूर

[जनपद रामपुर का मिलक-बिलासपुर मार्ग जोकि राष्ट्रीय राजमार्ग 24 व 87 को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है, जिसकी हालत बहुत दयनीय है। यह उत्तरांचल प्रदेश को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है। इस मार्ग के खराब होने के कारण तथा पुलिया आदि के टूटी होने के कारण रोज दुर्घटना घटित होती रहती है। इसकी सौन्दर्यीकरण की मांग काफी लम्बे समय से चली आ रही है तथा इसका आमंत्रण भी शासन में लम्बित है। बार-बार प्रयास के बावजूद भी इस मार्ग का निर्माण नहीं कराया जा रहा है। इस मार्ग का निर्माण अविलम्ब होना नितान्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सिद्धार्थनगर मुख्यालय पर जर्जर विद्युत तार एवं खम्भों को बदलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

[सिद्धार्थनगर मुख्यालय पर विद्युत तार एवं खम्भे पिछले 50 वर्ष पूर्व लगाये गये थे जो बिल्कुल जर्जर हालत में हैं। तार आदि खराब होने के कारण प्रायः विद्युत आपूर्ति बाधित होती है और पुनः बनाने में कई-कई घण्टों लग जाते हैं। अक्सर जर्जर खम्भों के टूटने से अनेक घटनायें घटती रहती हैं। इस प्रकार आये दिन विद्युत आपूर्ति बाधित होने से एवं कई-कई दिन तक विद्युत आपूर्ति न होने के कारण आम जनता बड़ी ही परेशानी में रहती है। इसके लिये जनता द्वारा अक्सर धरना एवं प्रदर्शन करके सड़क जाम किया जाता है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

पूरनपुर तहसील को विभाजित कर नई तहसील कलीनगर बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुखलाल-

[महोदय, विधान सभा क्षेत्र में पूरनपुर तहसील जनसंख्या व आकार के हिसाब से बहुत बड़ी है। वहां जनता द्वारा समय-समय पर पूरनपुर तहसील को विभाजित कर एक नई तहसील कलीनगर में बनाने की मांग की जाती रही है।

अतः जनहित में इस अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के विषय पर तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद आगरा के फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्रान्तगत रामपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 राजेन्द्र सिंह

[मान्यवर, आगरा जनपद की फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र के ग्राम रामपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की बहुत जरूरत है। 10 किमी0 दूरी तक कोई सरकारी अस्पताल नहीं है, पूरा क्षेत्र अनुसूचित व पिछड़े वर्ग व गरीबों की बाहुल्य वाला है। इस क्षेत्र की जनता द्वारा काफी समय से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की मांग की जाती रही है परन्तु अभी तक सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए आगरा के फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम रामपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड रुपैडीह के अन्तर्गत ग्राम जयरामपुर में चकरोड की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री श्याम लाल-

[जनपद-गोण्डा के विकास खण्ड-रूपैडीह अन्तर्गत ग्राम जयरामपुरवा के प्राथमिक विद्यालय के पीछे से लक्ष्मणपुरवा होते हुए विजयी बगिया तक जाने वाले चकरोड पर अतिक्रमण होने के कारण आवागमन बाधित हो रहा है। कृषि कार्य हेतु साधन ले जाने में भी कठिनाई होती है। इस चकरोड पर न तो मिट्टी पड़ी है न ही खड़न्जा बिछाया गया है जिसके कारण अतिक्रमण हुआ है। चकरोड पर अतिक्रमण के कारण वहां के निवासियों में भारी रोष व्याप्त है।

अतः अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय को आपके माध्यम से नियम-301 के अन्तर्गत सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए चकरोड की पैमाइस तथा मिट्टी व खड़न्जा कार्य किये जाने की मांग करता हूं।]

शाहजहांपुर के ग्राम राय खुर्द में 2 कि0मी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[महोदय, शाहजहांपुर के ग्राम राय खुर्द से सुभाष नगर तक का 2 किमी0 लम्बा मार्ग अत्यन्त जीर्णशीर्ण हालत में है। 06 माह पहले तक यह रास्ता कच्चा या मिट्टी का था। 2008 में शाहजहांपुर में भयंकर बाढ़ आने से ऊबड़-खाबड़ हो गया। यह रास्ता डूब जाने के कारण पूर्ण तरह समाप्त हो गया। इस समय आम आदमी इस रास्ते में केवल पैदल निकल सकता है परन्तु मोटर साईकिल या अन्य किसी सवारी से नहीं निकल सकता है। इसमें बहुत बड़े-बड़े गड्ढे हो गये है। इस मार्ग पर प्रतिदिन दस हजार से अधिक लोगों का आवागमन होता है। जनसामान्य में इस मार्ग के निर्माण न होने से काफी रोष है।

जनहित में दो कि0मी0 लम्बे इस मार्ग रायखुर्द से सुभाष नगर तक का निर्माण अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से सरकार से उपरोक्त मार्ग को त्वरित निर्माण कराने की मांग करता हूं।]

ग्राम विकास विभाग में नरेगा योजना के अन्तर्गत तकनीकी कार्यों का सम्पादन करने हेतु नियुक्त डिप्लोमा इंजीनियरों का मानदेय बढ़ाने, बकाया भुगतान तथा नियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विजय बहादुर यादव-

[मान्यवर, ग्राम विकास विभाग में नरेगा योजना के अन्तर्गत तकनीकी कार्यों का प्राक्कलन निरीक्षण एवं एम0बी0 कार्य सम्पादन करने हेतु ब्लाकों पर डिप्लोमा इन्जीनियरों को तकनीकी सहायक के पद पर नियुक्त किया गया है। यह कहना उचित होगा कि इनके नियुक्ति से विकास कार्यों में तेजी आयी है, जहां ब्लाक पर नियुक्त एक आर0ई0एस0 विभाग के अवर अभियन्ता के सहारे क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, विधायक एवं सांसद निधि के कार्यों को सम्पादन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

करने में कठिनाई होती थी वहीं इनकी नियुक्ति से कार्यों को गति मिली है। देवरिया, गोरखपुर व अन्य प्रदेश के जिलों में सात से आठ माह से अधिक होने के बावजूद भी तकनीकी सहायकों का मानदेय भुगतान नहीं किया गया है।

सरकार नरेगा के कार्यों को प्लेसमेन्ट एजेन्सी (ठेकेदारों से) कराना चाहती है। जबकि ग्राम पंचायत व क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत व डी0आर0डी0ए0 ये सब स्वयं ही कार्यदायी संस्था है। इससे यह प्रतीत होता है कि सरकार के पास प्रशासनिक व्यवस्था की कमी हो गयी है जिससे योजना को निजी हाथों में सौंप कर गरीबों को रोजगार देने की जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती है। शासन एवं प्रशासन द्वारा रोजगार देने की गारन्टी की जगह 3 साल से अधिक समय से ग्राम विकास विभाग द्वारा नियुक्त किये गये तकनीकी सहायकों को प्लेसमेन्ट एजेन्सी के हाथों सौंपना चाहती है। इस प्रकार की कार्यवाही से इन इन्जीनियरों के भविष्य व सपनों के साथ खिलवाड़ माना जायेगा। केन्द्र सरकार के द्वारा सभी प्रान्तों में मानदेय धनराशि दूनी करने के बाद बढ़े हुए मानदेय पर सभी प्रान्तों में भुगतान किया जा रहा है एक मात्र उत्तर प्रदेश में मानदेय का भुगतान पुराने शासनादेश से किया जा रहा है। अन्य प्रान्तों में मानदेय 10 हजार से 15 हजार के बीच किया जाता है जबकि हमारी सरकार अब तक मात्र 4 हजार मासिक मानदेय देने की बात कही है।

तकनीकी सहायकों के सपनों को तोड़ने की जगह इनके नियमितीकरण/समायोजन ग्राम विकास विभाग एवं डी0आर0डी0ए0 में बड़ी संख्या में रिक्त पदों पर करना उचित होगा। जबकि प्रशिक्षित बेरोजगार इन्जीनियरों, डिग्री डिप्लोमा एवं आई0टी0आई0 होल्डरों की जायज मांग की उपेक्षा करके गैर तकनीकी पदों पर प्राप्तांकों एवं उम्र के आधार पर मेरिट बनाकर नियुक्तियां की जा रही हैं। तकनीकी पदों पर भर्ती लिखित परीक्षा के आधार पर की जा रही है जिससे पेपर आउट होने जैसी घटनायें अक्सर घटित होती रहती हैं ऐसी दशा में शत-प्रतिशत पारदर्शिता आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार ध्यान आकृष्ट करते हुए इन इन्जीनियरों का मानदेय बढ़ाने, बकाया 7-8 माह का भुगतान एवं उनका नियमितीकरण करने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।

सुल्तानपुर के विकास खण्ड दूबेपुर में गाटा सं0-952 तालाब की भूमि से अवैध कब्जा हटवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनूप सण्डा-

मान्यवर, मैं आपका ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रकरण की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। सुल्तानपुर जनपद के वि0खं0 दूबेपुर में गाटा सं0-952 रकबा 1.1890 ग्राम पंचायत गोड़वा में तालाब के खाते में दर्ज है। उक्त तालाब पर ग्राम पंचायत कटांवा के निवासी राम नायक तिवारी पुत्र श्री देवतादीन तिवारी लगभग 25 वर्षों से अवैध रूप से बुआई-जुताई कर रहे थे। ग्राम पंचायत गोड़वा द्वारा वर्ष 2007-08 में कार्य योजना बनी है कि तालाब की खुदाई करवा कर सौंदर्यीकरण कराना है। प्रस्ताव की विकास खण्ड दूबेपुर से 37/17/06/08 को वित्तीय

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की गयी। वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद ग्राम प्रधान गोड़वा ज्ञान प्रकाश यादव द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के मजदूरों के द्वारा खुदाई का कार्य दिनांक 20-6-08 से कार्य प्रारम्भ किया गया। विपक्षी राम नायक तिवारी पुत्र देवतादीन तिवारी ने उक्त तालाब खोदने से मना किया जिसकी लिखित सूचना कोतवाली प्रभारी एवं विकास खण्ड अधिकारी को दी गयी कार्य चलता रहा। खुदाई लगभग आधी हो गयी दिनांक 6-9-08 को कोतवाली नगर में राम नायक तिवारी ने फर्जी तहरीर देकर ग्राम प्रधान के विरुद्ध एवं उनके करीबियों के विरुद्ध फर्जी मुकदमा अ0सं0-2332/08, 307, 504 आई0पी0सी0 की धारा में दर्ज कराया। इस मुकदमें में विरोधी दिनांक 20-6-08 से कार्य कर रहे सैकड़ों मजदूरों ने लिखित रूप में अपना बयान कोतवाली नगर को दिया कि उक्त तालाब पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ। लेकिन उक्त सैकड़ों मजदूरों के बयान को नजरन्दाज करते हुए ग्राम प्रधान ज्ञान प्रकाश यादव, भाई ओम प्रकाश यादव, पिता मोहन लाल यादव के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर दिया। जबकि उक्त गाटा सं0-952 रकबा 1.1890 क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा पैमाइश करके अलग कर दिया गया था कि यह तालाब का खाता है इस पर किसी प्रकार का कोई अवैध कब्जा न करें। गाटा सं0-992 जो ग्राम सभा के जमीन के खाते में दर्ज है। इस पर भी राम नायक तिवारी पुत्र देवतादीन तिवारी फर्जी रूप से अपना स्थगन आदेश दिखाते हैं जबकि यह स्थगन आदेश पूर्णतया फर्जी है। इस प्रकरण में ग्राम प्रधान गोड़वा ज्ञान प्रकाश यादव को फर्जी फंसाने वाले लोगों एवं पुलिस कर्मियों पर कार्यवाही आवश्यक है।

मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।।

जनपद सिद्धार्थनगर के बांसी क्षेत्र में कतिपय मार्गों को जोड़ने वाला बाईपास के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री लालजी यादव

। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र बांसी अन्तर्गत डुमरियागंज-बांसी सड़क से गौरा से पुरबौला, पुरबौला से बहबोल, बहबोल से बांसी-धानी मार्ग पर ग्राम तिवारीपुर के पास बाईपास बनाया जाना जनहित में बहुत ही आवश्यक है। बढ़ती आबादी के कारण आवागमन काफी बाधित होता है, आये दिन दुर्घटनायें होती हैं। बांसी धानी मार्ग बहुत ही सकरा है जिससे बड़े वाहन नहीं आ-जा सकते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है जनहित में उपरोक्त बाईपास बनाया जाना नितान्त आवश्यक है। बांसी-डुमरियागंज, बांसी-बस्ती, बांसी-गोरखपुर व बांसी-धानी मार्ग यह चारों मार्ग को जोड़ने वाला यह बाईपास आवागमन के लिए बहुत ही उपयोगी एवं नितान्त आवश्यक है।

नोट :-| |यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए शीघ्र उपरोक्त मार्गों को जोड़ने वाला बाईपास शीघ्र बनवाने की मांग करता हूं।]

जनपद कुशीनगर के फाजिल नगर क्षेत्रान्तर्गत ड्रेनेज की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विश्वनाथ-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र फाजिलनगर अन्तर्गत ड्रेनेज की सफाई न होने से जल जमाव के कारण हजारों एकड़ भूमि में कृषि नहीं हो पा रही है। इससे राष्ट्रीय उत्पादन और सम्बन्धित क्षेत्र के किसानों की भारी क्षति हो रही है, जल जमाव के कारण बीमारियों और संक्रामक रोगों का फैलना स्वाभाविक रहता है जिससे जनमानस में काफी असुरक्षा एवं रोष की भावना व्याप्त है।

अतः यह प्रस्ताव लोक महत्व का है, अविलम्बनीय है इसलिए सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए ड्रेनेज की सफाई की मांग करता हूं।]

जनपद बलरामपुर के सादुल्लानगर में कुसमौर घाट घुसवा मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री आरिफ अनवर हाशमी-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। जनपद बलरामपुर में सादुल्लानगर से घुसवा-उतरौला तहसील मुख्यालय मार्ग प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत है। कुसमौर घाट और घुसवा के बीच में लगभग 10 कि0मी0 विभागीय अधिकारियों एवं ठेकेदार की मिलीभगत के कारण सड़क नहीं बनायी जा रही है जिससे आम जनता का आवागमन दूभर हो गया है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त मार्ग निर्माण कराये जाने की जनहित में मांग करता हूं।]

जनपद श्रावस्ती में लक्ष्मननगर मथुरा घाट मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 वकार अहमद शाह-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। जनपद श्रावस्ती में लक्ष्मननगर से मथुरा घाट (जिला बलरामपुर) के बीच एक किमी0 बिल्कुल कच्चा मार्ग जिससे आवागमन बाधित हो रहा है यह सड़क महत्वपूर्ण सड़क है बार्डर एरिया की सड़क है तत्काल लेपन स्तर तक कार्य कराकर पूरी सड़क की मरम्मत कराया जाना जनहित में है, इसको लेकर बार-बार लिखा गया, परन्तु कार्यवाही नहीं होती है, जिससे स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है।

अतः इस गम्भीर विषय पर सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल अधूरी कच्ची सड़क को बनवाया जाये और टूटी सड़क की मरम्मत कराने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उप जिलाधिकारी लहरपुर, जनपद सीतापुर द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने एवं दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राधेश्याम जायसवाल-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। वर्तमान उप जिलाधिकारी लहरपुर, जनपद सीतापुर में तैनात श्री राजकुमार द्वारा हाल में आई बाढ़ से हुई क्षति के सम्बन्ध में मनमानी कर रहे हैं पीड़ितों को देय राशि की लूट कर रहे हैं इनके द्वारा वर्ष 2003 में लालगंज तहसील में तहसीलदार पद पर रहते हुए ग्राम प्रधान चौहत्तर के रिश्तेदारों को मनमाने ढंग से 6 लाख रुपये की कीमत की जमीन बिना छानबीन किये ही स्वीकृत कर दिया है, इसमें राजस्व निरीक्षक की भूमिका भी संदिग्ध रही है। जनवरी, 2008 को शासन द्वारा जिला अधिकारी से इस सम्बन्ध में 15 दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया, परन्तु शासन को नहीं भेजा गया। इसके अलावा करोड़ों की सम्पत्ति इनके पास है तमाम जांचें विभागीय व शासन स्तर पर लम्बित हैं इनका सरकारी कार्य में मन नहीं लगता है इनके कार्य व्यवहार से अन्य कर्मियों में रोष व्याप्त है यह गम्भीर लोक महत्व का विषय है।

अतः इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

मुजफ्फराबाद (सहारनपुर) हेतु आवंटित हैण्ड पम्प में से शेष 98 हैण्डपम्प अविलम्ब लगवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री इमरान मसूद-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र मुजफ्फराबाद हेतु वर्ष 2007-08 में आवंटित किये गये 225 हैण्डपम्प में से शेष 98 हैण्डपम्प जिनके लिये अपने विधायक निधि से 10 प्रतिशत धनराशि अंकन रुपये 17 लाख 64 हजार मात्र भी नियमानुसार जमा कर दी गयी थी, की विभाग द्वारा वर्तमान तक स्थापना नहीं की गयी है। उक्त शेष 98 हैण्डपम्प हेतु मेरे द्वारा स्थान चिन्हित कर बार-बार अनुरोध किये जाने के उपरान्त भी विभाग द्वारा हैण्डपम्पों की स्थापना नहीं की जा रही है। मेरा विधान सभा क्षेत्र मुजफ्फराबाद अत्यन्त पिछड़ा हुआ क्षेत्र है तथा साथ ही यह भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की अधिकांश भूमि पथरीली है। भूमि के अन्दर काफी गहराई तक पत्थर होने के कारण जनसाधारण द्वारा व्यक्तिगत रूप से हैण्डपम्प लगवाने का व्यय वहन नहीं किया जा पाता है। क्षेत्र में शुद्ध एवं स्वच्छ पेयजल की विकट समस्या है। क्षेत्रीय जनता को पेयजल हेतु अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उपरोक्त तथ्यों की सम्पूर्ण जानकारी होने के पश्चात् भी विभाग द्वारा मेरे विधान सभा क्षेत्र हेतु आवंटित हैण्डपम्पों की स्थापना करने में शिथिलता बरती जा रही है।

अतः मैं अविलम्बनीय इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर व्यापक चर्चा की मांग करता हूं।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद पीलीभीत में वन विभाग (माला रेंज) की जमीन का अधिग्रहण जनहित में किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री महेश चन्द्र गुप्ता-

[महोदय, गाटा सं0-2, विशनपुर, परगना-तहसील-पूरनपुर, जनपद-पीलीभीत में माला रेंज, पीलीभीत वन विभाग की 4.38 एकड़ भूमि आरक्षित वन घोषित किये जाने के फलस्वरूप अधिग्रहीत कर ली गयी। इस सम्बन्ध में एक मुकदमा भी मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ में निर्णीत हुआ है। रिट पिटीशन सं0-3524/1977, इसमें दिनांक 6-5-1988 को वन विभाग को अधिग्रहण करने पर पेड़ों सहित मूल्यांकन का भुगतान इसके स्वामी को देने का आदेश हुआ है। वन विभाग उ0 प्र0 द्वारा अभी तक उक्त आदेश का पालन करते हुए इसका भुगतान नहीं किया गया है। जनहित में सरकारी जमीन के अधिग्रहण करने के बाद इसका भुगतान होना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में कई प्रत्यावेदन दिये गये लेकिन उसका कोई परिणाम अभी तक सामने नहीं आया।

अतः अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस विषय पर आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करते हैं कि उपरोक्त जमीन जो सरकार द्वारा अधिग्रहीत की गयी है, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय का आदेश भी हुआ है। उक्त आदेश का अनुपालन वन विभाग से कराने की कृपा करें।]

जनपद बागपत, पठानकोट कब्जा व थाना बड़ौत निवासी श्री महताब के फर्जी इन्काउन्टर की जांच उच्चाधिकारियों द्वारा कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अब्दुल वारिस खाँ-

[मान्यवर, दिनांक 29 नवम्बर, 2008 को श्री महताब उम्र करीब 25 वर्ष पुत्र श्री इलियास, निवासी मोहल्ला पठान कोट कस्बा व थाना बडौत, जिला बागपत को एक फर्जी इनकाउन्टर में मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा मार डाला गया।

जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा बुढाना में बड़ौत रोड़, मेंन बाजार स्थित नवाब होटल पर खाना खाते समय सांय लगभग 4.15 बजे दिनांक 29 नवम्बर, 2008 को महताब व उसके साथी नौशाद पुत्र हजीमुद्दीन को सादी वर्दी में आये पुलिस कर्मियों द्वारा जीप में जबरदस्ती उठा कर ले जाया गया। तदोपरान्त नाबालिग नौशाद का अन्तर्गत धारा 18/20 एन0डी0पी0 एस0 एक्ट मे झूठा चालान शहर कोतवाली, जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा कर दिया गया व महताब को थाना मंसूरपुर, जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा फर्जी इनकाउन्टर में दिनांक 29 नवम्बर, 2008 को मार दिया गया। महताब जो कि अपने मां बाप का एकलौता सहारा था। लेकिन इस बेदर्द पुलिस का तो एक गुडवर्क था जो उन्होंने फर्जी इनकाउन्टर कर अपनी वीरता इस मासूम के खून से थपथपाने का काम किया।

क्षेत्र के जनपद बागपत व मुजफ्फरनगर में इस फर्जी इनकाउन्टर को लेकर भारी रोष व जन आक्रोश है। परिजन, रिश्तेदार व स्थानीय नागरिक आंदोलित है। मांगे की जा रही है कि इस

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः--[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

फर्जी इनकाउन्टर की जांच उच्चधिकारियों अथवा किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा कराई जाये तथा दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही की जाये।

अतः इस अविलम्बनीय जनहित के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कर सरकार से अविलम्ब कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद महामायानगर के कस्बा सादाबाद में करबन नदी के जर्जर पुल के नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 अनिल चौधरी-

[मान्यवर, जनपद महामायानगर के कस्बा सादाबाद में होकर गुजरने वाली करबन नदी का राष्ट्रीय राजमार्ग 93 पर अवस्थित पुल बहुत पुराना एवं जर्जर होने के कारण सदैव किसी बड़ी दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इस पुल के खम्भों में दरार स्पष्ट दिखाई देती है।

इस पुल के चौड़ा कर नवनिर्माण के बारे में क्षेत्रीय जनता कई बार आन्दोलन भी कर चुकी है।

व्यस्त राजमार्ग के उक्त पुल के अविलम्ब नवनिर्माण की मांग करता हूं।]

जनपद बागपत में कतिपय ग्रामीण मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 अजय तोमर-

[मान्यवर, जनपद बागपत जो एक कृषि प्रधान जनपद है यहां के ग्रामीण मार्ग कच्चे व जर्जर हैं ग्रामीण को आने जाने तथा अपने एक गांव से दूसरे गांव तक के कच्चे व जर्जर रास्तों से गन्ना का क्षेत्र होने के कारण ट्रैक्टर, ट्राली एवं भैसा बुग्गी आदि के चलने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसको दृष्टिगत रखते हुए निम्न मार्गों का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा पेन्टिंग स्तर तक/इण्टर लाकिंग टायल द्वारा आवश्यकतानुसार नाली सहित कराने की मांग स्थानीय स्तर पर नागरिकों द्वारा उठायी जा रही है।

1-ग्राम रठौरा में इस्लामिया स्कूल वाला बाईपास
2-ग्राम तुगाना बाईपास का अवशेष भाग
3-ग्राम तुगाना से छपरौली मार्ग तक
4-ग्राम सिनौली से चौवली मार्ग तक
5-ग्राम फतेहपुर पुट्ठी का बाईपास
6-ग्राम कुडो से ग्राम तुगाना तक
7-ग्राम ओढापुर से कोताना तक
8-ग्राम लूम्ब बाईपास का अवशेष भाग
9-ग्राम हसनपुर जिमानी से जिमाना वाया करीमपुर
10-ग्राम धनौरा सिल्वर नगर से ग्राम पोईस तक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।
नोटः--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

11-ग्राम धनौरा सिल्वर नगर इण्टर कालेज से तेडा बगले तक

12-बराल बाईपास का अवशेष भाग

13-बड़ौत-बुढाना मार्ग से बिजरौल तक

14-ग्राम चाढन हेडी में घार्साराम मलिकगेट से खास पुल तक

15-ग्राम लुम्ब धसौली मार्ग का अवशेष भाग

16-बड़ौत-दपरौली मार्ग से मलकपुर तक।

अतः उपरोक्त लोकमहत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कर सरकार से अविलम्ब कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद मथुरा अन्तर्गत गोवर्धन सुरक्षित क्षेत्र नेशनल हाई-वे पर आबादी वाले कतिपय स्थानों की जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री पूरन प्रकाश-

[महोदय, जनपद मथुरा के अन्तर्गत गोवर्धन सुरक्षित क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड मथुरा के द्वारा नेशनल हाईवे के आबादी वाले ग्राम फरह से गोवर्धन मार्ग में झुडावई सरूरपुर ओल, जाजम पट्टी मर्गोरा, फौंडर लोरिया, सौख, पैठा की आबादी एरिया की सी0सी0 सड़कें एवं नेशनल हाईवे झण्डीपुर, रिफाइनरी गेट नं0-09 से शीर्षा पीलूआ तथा बरारी से समसाबाद, बेरी-मार्ग लोक निर्माण विभाग द्वारा बनायी गयी है। जो कि देखरेख के अभाव में आबादी एरिया की एवं उपरोक्त सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गयी हैं। सड़कों पर पानी भर गया है। गांव के अन्दर आवागमन अवरुद्ध हो गया है। वाहन फंस जाते हैं एवं आये दिन दुर्घटना हो रही है। पूरे क्षेत्र के ग्रामीण अंचल की यही एक मुख्य सड़कें हैं। जिसमें एक लाख से अधिक ग्रामीण जनता बसी हुई है। आबादी वाले ग्रामों में पानी भर जाने एवं नाली के अभाव में बीमारी फैल रही है और दुर्घटनायें हो रही हैं।

अतः इस जनहित व लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार से अविलम्ब मांग करता हूं।]

जनपद हरदोई के अन्तर्गत मल्लावां क्षेत्र में कल्याणी नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कृष्ण कुमार सिंह उर्फ सतीश वर्मा-

[महोदय,जनपद हरदोई के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र-75 मल्लावां में गौसगंज, मल्लावां, मेंहदीघाट मार्ग से करवा, पूरनमऊ तथा बेरिया ग्राम होते हुए गंगा नदी तक 12 किलोमीटर लम्बाई का मार्ग है यह मार्ग पूर्ण रूप से लेपन स्तर तक निर्मित है परन्तु मार्ग के किलोमीटर दो से कल्याणी नदी गुजरती है (बहती है) इस कारण आवागमन नहीं हो पाता है। जिससे हमारे क्षेत्र के निवासियों को बहुत कठिनाई होती है जो बहुत ही कष्टदायक है। अतः जनकल्याण के इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आकर्षित कराना चाहता हूं। इस मार्ग में किलोमीटर (2) में कल्याणी नदी पर पुल का निर्माण अतिशीघ्र कराने का कष्ट करें।]

मेरठ में परगना-बरनावा, तहसील बड़ौत, ग्राम सभा शाहपुर बाणगंगा में ग्राम समाज की भूमि को वन विभाग से वापस दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

[महोदय, मैं सदन के माध्यम से आपके संज्ञान में एक लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में परगना-बरनावा, तहसील-बड़ौत, ग्राम सभा-शाहपुर बाणगंगा की जमीन खाता खतौनी क्रमशः रकबा 2.5290 हेक्टेयर जो स्कूल का फार्म है, वन विभाग ने विगत कई वर्षों से उक्त जमीन पर कब्जा कर रखा है, जो वन सीमा के बाहर भी है। इस सम्बन्ध में मैं अनुसचिव श्री मुनीर अहमद खां ने भी एक पत्र लिखकर उक्त जमीन पर खड़े पेड़ों की नीलामी कराकर उक्त भूमि को ग्राम समाज को वापस करने के लिये आदेश भी दिये थे।

खेद का विषय है कि काफी समय व्यतीत होने के बाद भी अभी तक जमीन को वन विभाग ने खाली नहीं किया है, इस कारण ग्रामसभा को उक्त जमीन वापस नहीं हो पाई है।

आपसे अनुरोध है कि उक्त जमीन को अपने स्तर से सरकार का ध्यान आकृष्ट कर वन विभाग से कब्जा हटाकर ग्रामसभा की भूमि वापस दिलाने हेतु निर्देशित करें।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस लोक महत्व के अविलम्बनीय जनहित के मामले पर सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करें।]

इलाहाबाद के प्रतापपुर अन्तर्गत ग्राम मुहीउद्दीनपुर एवं कुसेहटा में 33/11 के0वी0 का विद्युत उपकेन्द्र लगवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जोखू लाल यादव-

[महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत ग्राम मुहीउद्दीनपुर वि0 ख0 प्रतापपुर एवं ग्राम-कुसेहटा वि0 ख0-फूलपुर में 33/11 के0वी0 का विद्युत उपकेन्द्र न होने के कारण आस-पास गांवों को बिजली सुचारु रूप से नहीं मिल पाती है जिसके कारण जनता आक्रोशित है। यह लोकमहत्व का प्रश्न है।

अतः इस अविलम्बनीय एवं लोकमहत्व के प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार से कार्यवाही कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद लखीमपुर-खीरी के ग्राम महेवागंज में श्री जयमहालक्ष्मी भल्ला जी प्लाईवुड फैक्ट्री द्वारा उत्सर्जित प्रदूषण पर रोक लगाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

[महोदय, आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम-महेवागंज में श्री जय महालक्ष्मी भल्ला जी प्लाईवुड फैक्ट्री द्वारा बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैलाया जा रहा है जिससे आम जनता का

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः--[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जीवन खतरे में है। जनता द्वारा कई शिकायती प्रार्थना-पत्र उच्च अधिकारियों को दिये गये हैं किन्तु फैक्ट्री मालिक रिश्वत के दम पर फैक्ट्री के लाइसेंस का नवीनीकरण करा लेता है जिससे जनता में भारी आक्रोश/जनाक्रोश व्याप्त है। आम जनता के जीवन के खतरे को देखते हुए फैक्ट्री को आबादी से दूर स्थापित करने एवं कस्बे का लाइसेंस निरस्त कराना नितान्त जरूरी है। अतः इस लोक महत्व के विष्य पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए शीघ्र प्रभावी कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद लखीमपुर-खीरी के मोहल्ला थरवरनगंज में अवरुद्ध मार्ग को खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

[मान्यवर, आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जनपद लखीमपुर खीरी के नगर पालिका परिषद लखीमपुर के अन्तर्गत मेन रोड जो कचेहरी जाती है उस पर वर्मा बैट्री (विशाल) सुनहरी मस्जिद के सामने बगल की गली जो मोहल्ला थरवरन गंज के एजाज हसन नकवी के घर तक जाती है उसको अतिक्रमण करके बन्द कर दिया गया है। मार्ग के बीचो-बीच एक शुष्क शौचालय भी बना है जिसका मल मानव द्वारा ढोया जाता है। अतिक्रमण से जनता में काफी रोष/जनाक्रोष व्याप्त है। अवरुद्ध मार्ग को खोला जाना नितान्त जरूरी है। अतः इस लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान अवरुद्ध कराते हुए शीघ्र प्रभावी कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद हरदोई के ग्राम पंचायत जासू के ग्राम प्रधान द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच एवं कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बैजनाथ दुबे-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान लोक महत्व के अविलम्बनीय एवं जनहित के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। जनपद हरदोई के विकास खण्ड बेहन्दर अन्तर्गत ग्राम पंचायत जासू के ग्राम प्रधान द्वारा बी0 पी0एल0 सूची एवं इन्दिरा आवास के आवंटन में भारी पैमाने पर गम्भीर अनियमिततायें की गयी हैं। लोगों से धन वसूली करके अपात्रों को आवास आवंटित किये गये हैं तथा बी0पी0एल0 सूची में अपने ही परिवार के लोगों को ज्यादा महत्व दिया है। साथ ही अपात्रों को इसका लाभ दिया गया है। उक्त अनियमितताओं की जांच के लिये ग्रामवासियों द्वारा अनेकों शिकायतें की गयी परन्तु स्थानीय अधिकारियों की सांठ-गांठ से उक्त ग्राम प्रधान द्वारा जांच को दबवा दिया जाता है। स्थानीय जनता में काफी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है। उक्त ग्राम प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना जनहित में बहुत ही आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए शीघ्र कार्यवाही की मांग करता हूं।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद लखीमपुर में खीरी व ओयल को जोड़ने वाले क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 कौशल किशोर-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। हमारी विधान सभा क्षेत्र 54 लखीमपुर में कस्बा खीरी व कस्बा ओयल को जोड़ने वाली ग्राम बांसतानी से नहर की पुलिया क्रास करके कस्बा ओयल तथा पंचायत विभाग द्वारा पेन्टेड रोड कुछ वर्षों पूर्व बनायी गयी थी। यह सड़क इस वर्ष हैवी लोडेड ट्रकों के चलने व अतिवृष्टि से टूटकर ध्वस्त हो गयी है। यह सड़क दो अच्छी आबादी वाले कस्बों को जोड़ती है। इस पर आवागमन बहुत है, जगह-जगह पर गड्ढे हो गये हैं। मार्ग क्षतिग्रस्त होने की वजह से आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। जनहित में उक्त मार्ग का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

प्रदेश में एलोपैथिक फार्मासिस्टों के रिक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री संजीव दरियाबादी-

[महोदय, प्रदेश में एलोपैथिक फार्मासिस्टों के 5 हजार के लगभग पद रिक्त पड़े हैं। परन्तु शासन की उदासीनता के कारण लगभग 10 वर्षों से कोई नई नियुक्ति नहीं हो सकी है जिससे जनसामान्य के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। फार्मासिस्टों की कमी के कारण ग्रामीण अंचलों में जनस्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। जनसामान्य को अशिक्षित लोगों से औषधियां लेने को मजबूर होना पड़ रहा है। वर्ष 2007 में मात्र 766 फार्मासिस्टों के पद हेतु नियुक्ति का विज्ञापन निकला था परन्तु शासन की हठधर्मिता के कारण नियुक्ति नहीं हो पा रही है। विभागीय अधिकारी साक्षात्कार के आधार पर नियुक्ति करना चाहते हैं जिससे उनकी मनमानी चल सके। गौरतलब है कि फार्मासिस्ट सेवा नियमावली, 1980 में साक्षात्कार का प्रावधान नहीं है।

चिकित्सा विभाग, उ0 प्र0 द्वारा नवीं योजना में फार्मासिस्टों के पद संख्या की पुष्टि करते हुए 2002 तक 1592 नये पद सृजित करने की बात की गयी थी यदि उपरोक्त पदों को जोड़ दिया जाये तो यह आंकड़ा 9488 हो जाता है। विभाग द्वारा पूर्व सृजित पदों के विपरीत वर्तमान में पद संख्या मात्र 4500 बतायी जा रही है। फार्मासिस्टों के पदों को 7896 व 9488 से घटाकर 4500 कैसे कर दिया गया, यह समझ में नहीं आ रहा है। हजारों बेरोजगार फार्मासिस्ट भुखमरी की कगार पर पहुंच गये हैं तथा कई तो ओवरएज हो गये हैं। इनके पुनर्वास की कोई योजना नहीं है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट:--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के इस प्रश्न पर इस सदन के माध्यम से सरकार से तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं।|

जनपद गाजियाबाद में शस्त्र लाइसेंस को प्राथमिकता पर निर्गत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*चौधरी सत्यपाल सिंह-

|महोदय, मैं सदन के माध्यम से एक लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जनपद-गाजियाबाद निवासी आई/654 गोविन्दपुरम् थाना कविनगर श्री सुभाष चन्द्र पुत्र स्व0 लटूर सिंह ने अपनी जान-माल की सुरक्षा हेतु समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त 7 माह पूर्व से शस्त्र लाइसेंस का आवेदन किया था। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आवेदक की आवश्यकता औचित्य को दृष्टिगत रखते आयुध अधिनियम व शासनादेश अनुसार तहसीलदार, उपजिलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उक्त के जीवन भय को दृष्टिगत रखते हुए ही अपनी प्रबल संस्तुति सहित आख्या 28 नवम्बर, 2008 को जिलाधिकारी कार्यालय को प्रेषित कर दी थी। आवेदक की शस्त्र लाइसेंस की पत्रावली-1205 जिलाधिकारी कार्यालय में तीन माह से विचाराधीन है। आवेदक बार-बार कार्यालय के चक्कर लगा रहा है तथा लिपिक वर्ग नित नये-नये बहाने बनाकर टहलाते रहते हैं, जबकि शासन नीति के अनुसार शस्त्र लाइसेंस पर कई बार शासनादेश समय समय पर जारी करके यह निर्देश दिया गया कि शस्त्र लाइसेन्स निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर समय सीमा के अन्दर किया जाना चाहिए। मा0 उच्च न्यायालय ने प्रार्थना-पत्रों का तीन माह के अन्दर निस्तारण का आदेश दे रखा है, लेकिन जनपद-गाजियाबाद में कार्यालय के बाबू बिना सुविधा शुल्क संस्तुति वाली पत्रावली अधिकारियों के संज्ञान में नहीं लाते हैं जो शासन के नियमों का खुला उल्लंघन है, जिससे सरकार की छवि भी धूमिल होती है।

उपरोक्त शस्त्र लाइसेंस के मामले के अलावा गाजियाबाद जनपद के निवासी श्री अमित त्यागी पुत्र श्री राज कुमार त्यागी, गांव डुन्डा, थाना-विजयनगर के शस्त्र लाइसेंस की पत्रावली संख्या-332, जो तहसीलदार, उपजिलाधिकारी, थानाध्यक्ष, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की संस्तुति के उपरान्त चार माह से जिलाधिकारी के कार्यालय में लम्बित है।

अतः मेरा अनुरोध है कि उक्त शस्त्र लाइसेंस को प्राथमिकता पर निर्गत कराते हुए सरकार को वक्तव्य हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। |

जनपद कुशीनगर के कतिपय नहरों की सिल्ट सफाई एवं रेगुलेटर ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 पी0 के0 राय-

|मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र सेवरही, जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत निम्न नहरों कोटण्डा रजवाहा, परसौनी रजवाहा, तुलसी पट्टी माइनर, मालो माइनर, बांक खास माइनर, बेदूपार माइनर में सिल्ट साफ न होने की वजह से एवं रेगुलेटर टूटा होने की वजह से कहीं पर नहर टूट

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट:- | |यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जाने से फसलों का नुकसान हो रहा है। कहीं पर पानी न पहुंचने की वजह से फसल सूखने का शिकार हो गयी है। ऐसी स्थिति में शासन से अनुरोध है कि उपरोक्त नहरों की सिल्ट सफाई कराने एवं टूटे हुए रेगुलेटर को ठीक कराये जाने के लिये शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए लोक महत्वपूर्ण प्रश्न पर वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद आगरा में कृष्णा कालोनी जीवनी मंडी की सड़क मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जगन प्रसाद गर्ग-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से नगर विकास मंत्री का ध्यान कृष्णा कालोनी, जीवनी मण्डी, आगरा की जर्जर व गड्ढा युक्त सड़कों की ओर दिलाना चाहता हूं।

कृष्णा कालोनी, जीवनी मण्डी, आगरा की बहुत ही पुरानी व नक्शों से बनी हुई कालोनी है यहां के निवासी हाउस टैक्स व वाटर टैक्स भी पूर्ण रूप से देते हैं लेकिन सुविधाएं बिल्कुल नहीं हैं यहां की सड़कें विगत 10 वर्षों से जर्जर व गड्ढा युक्त हैं रिक्शा व स्कूटर आये दिन पलट जाते हैं। सड़कों से होकर यहां के निवासियों का आना जाना दूभर हो गया है। क्षेत्र की जनता परेशान है उसमें रोष है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद गाजियाबाद में सिम्भावली विद्युत घर के अन्तर्गत हरौड़ा फीडर के जूनियर इन्जीरियर श्री गणपति की करेन्ट लगने में हुई मृत्यु पर परिजनों को मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मदन चौहान

[महोदय, जनपद गाजियाबाद सिम्भावली विद्युत घर के अन्तर्गत हरौड़ा फीडर के जे0ई0 ने श्री गणपति पुत्र श्री विरजू ग्राम बिहूनी को ग्राम जखैड़ा में विद्युत तार जोड़ने के लिये भेजा तथा सिट डाउन भी लिया गया जब गणपति ग्राम में तार जोड़ रहा था तभी जे0ई0 ने फीडर से लाइन चालू करा दी जिससे गणपति की करन्ट लगने से मौत हो गयी। बहादुरगढ़ थाने में एफ0आई0आर0 कराई गई। लोगों ने प्रदर्शन भी किया हैं गणपति अत्यन्त निर्धन व गरीब परिवार से है। जिन लोगों की लापरवाही से मौत हुई है उनके खिलाफ उच्च स्तरीय जांच कराकर कार्यवाही कराने का निर्देश देने की कृपा करें तथा पीड़ित परिवार को कम से कम पांच लाख रुपये की सहायता राशि देने का सरकार से अनुरोध करता हूं।]

पदयात्रा में लिम्का बुक में नाम दर्ज कराकर कीर्तिमान स्थापित करने वाले स्व0 विजय शंकर मिश्रा के आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध मे नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

[मान्यवर, आपके संज्ञान में लाना है कि स्व0 विजय शंकर मिश्रा पुत्र स्व0 के0 सी0 मिश्रा आयु लगभग 35 वर्ष, शिक्षा एम0एस0सी0, एल0एल0बी0, जिनका नाम लिम्का बुक आफ

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रिकार्ड में 15 जुलाई, 1995 से पदयात्रा आरम्भ कर 2 फरवरी, 2009 तक कुल 1,80,032 कि0मी0 लम्बी यात्रा करने का कीर्तिमान स्थापित करने के कारण दर्ज है उनकी मृत्यु लखनऊ में मेडिकल कालेज में डाक्टरों की लापरवाही के कारण दिनांक 3 फरवरी, 2009 को हो गयी।

उन्होंने यह यात्रा पर्यावरण, कन्या भ्रूण हत्या एवं दहेज हत्या के उन्मूलन के उद्देश्य से की थी। चौबीस प्रान्तों की यात्रा के बाद जब वह पीलीभीत पहुंचे तो वहां उन्हें पीलिया हो गया वहां सरकारी अस्पताल में भर्ती हुए फिर वहां से उन्हें बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ भेज दिया गया पुनः बलरामपुर से मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया वहां महामहिम राज्यपाल पत्र भी भेजा कि उनका अच्छा इलाज हो पर डाक्टरों ने कोई ध्यान नहीं दिया परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गयी। मेडिकल कालेज के डाक्टरों ने न केवल लापरवाही की अपितु मृत्यु पूर्व क्रूर व्यवहार भी किया उन्होंने स्व0 मिश्रा के दोनों हाथ व पैर बेड से कसकर बांध दिये एवं नाक में नली से कोई द्रव चढ़ाना शुरू कर दिया जिससे व तड़पने लगे। यह देखकर उनकी मां डाक्टरों से गिड़गिड़ाने लगी परन्तु डाक्टरों ने उन्हें निर्ममतापूर्वक बाहर निकाल दिया एवं 3 फरवरी, 09 को प्रातः 4.50 मिनट पर उन्हें मृत घोषित कर दिया।

अब उनकी बूढ़ी मां का कोई सहारा नहीं है। अपनी इकलौती संतान की मृत्यु के पश्चात् बेसहारा हो गयी है। अतः आपसे निवदेन है कि आप सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें कि वह स्व0 विजय शंकर मिश्रा की माता जी को रहने के लिये मकान एवं आर्थिक सहायता देने का कष्ट करें।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 20 फरवरी, 2009 को नियम 300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 14 सूचनाएं प्राप्त हुईं। पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी की उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के अन्तर्गत नये नियम बनाने एवं संशोधन के प्राप्त अधिकार के अन्तर्गत भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता के सेक्शन 41 और 309 में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की प्रदेश में पेय जल समस्या के निराकरण हेतु इंडिया मार्क-2 हैण्डपम्प अधिष्ठापित कराये जाने की व्यवस्था से माननीय सदस्यों को अलग किये जाने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना डा0 राजेन्द्र सिंह की प्रदेश की पेय जल समस्या के निराकरण हेतु 225 हैण्डपम्प, 7 कि0मी0 की सड़क और पांच गांव विद्युतीकरण के लिये दिये जाते रहे हैं। इस वर्ष शासन द्वारा माननीय सदस्यों को इस व्यवस्था से अलग कर दिये जाने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की दिनांक 11 फरवरी, 2009 को समाचार पत्र इकोनॉमिक टाइम्स लखनऊ से प्रकाशित संस्करण के पृष्ठ-3 पर माइक्स पेपर फ्लायी इन यू0पी0 हाउस छपी खबर को संज्ञान में लेकर गलत रिपोर्टिंग पर अंकुश लगाये जाने के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचना श्री सुरेश चन्द्र तिवारी की दिनांक 16 फरवरी, 2009 को विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माननीय नगर विकास मंत्री द्वारा तथ्यों से परे वक्तव्य दिये जाने के सम्बन्ध में है। छठवीं सूचना डा0 कौशल किशोर की मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा किये गये आदेशों को अनुपालन कराये

जाने के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना श्री अमर मणि त्रिपाठी की जनपद महराजगंज के विधान सभा क्षेत्र सेसवा के अन्तर्गत श्री वीरेन्द्र यादव पुत्र राम हरख यादव निवासी-ग्राम सीतलापुर तहसील निचलौल के आ0 नं0-98 को जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 13-12-2008 को तीन वर्ष के लिये बालू की खुदाई हेतु पट्टे पर दिये जाने के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना श्री अनूप सण्डा की प्रदेश में नगरीय आवासीय योजना के अन्तर्गत निर्धनों को आवास दिलाने के लिये कांशीराम योजना संचालित की जा रही है। इस योजना में आवेदन करने वाले निर्धनों के साथ सरकारी धन के दुरूपयोग किये जाने के सम्बन्ध में है। नवीं सूचना श्री सर्वेश कुमार सिंह की राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ में तैनात महिला कर्मचारियों के उत्पीड़न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। दसवीं सूचना श्री आरिफ अनवर हाशमी की उत्तर प्रदेश के मृतक माननीय विधायकों की विधवाओं को पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में है। ग्यारहवीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की राज्य सम्पत्ति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा दिल्ली में बने उत्तर प्रदेश भवन में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में है। बारहवीं सूचना डा0 अजय तोमर और श्री अब्दुल वारिस खां की श्री मेहबात पुत्र श्री इलियास, मोहल्ला पठानकोट, कस्बा व थाना बड़ौत, जिला बागपत की फर्जी इन्काउन्टर की जांच उच्चाधिकारियों अथवा किसी स्वतंत्र एजेन्सी द्वारा कराये जाने के सम्बन्ध में है। तेरहवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश की जनपद मथुरा के अन्तर्गत श्री लाखन पहलवान के खिलाफ धारा-302 में फर्जी मुकदमा कायम किये जाने की सी0बी0सी0आई0डी0 जांच न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। चौहदवीं सूचना चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी की विधान सभा के द्वितीय सत्र के प्रथम सोमवार को निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-85 के उत्तर के सन्दर्भ में थाना कैसरबाग पुलिस को आऊट आफ टर्न प्रोन्नति के आदेश जारी न किये जाने के सम्बन्ध में है। मैंने इन सभी सूचनाओं का परीक्षण करा लिया है। इन सभी सूचनाओं को मैं अग्राह्य करता हूं यह नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती हैं। मैं दो मिनट के लिए, सूचना नम्बर एक और चौथे नम्बर पर सुरेश खन्ना जी की सूचना है, प्रमोद तिवारी जी और सुरेश खन्ना जी दो-दो मिनट में अपनी बात कह दें।

(श्री प्रमोद तिवारी का नाम पुकारे जाने एवं उनके उपस्थित न होने पर)

लखनऊ में प्रकाशित इकोनामिक टाइम्स के दिनांक 11 फरवरी, 2009 के संस्करण के पृष्ठ-3 पर "माइक्स पेपर फ्लाइ इन यू0 पी0 हाउस" सम्बन्धी खबर को संज्ञान में लेकर गलत रिर्पोटिंग पर अंकुश लगाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि नियम-300 की सूचना पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ प्रेस माना जाता है, पब्लिक ओपिनियन का बहुत बड़ा माध्यम है प्रेस, समाचार पत्र, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया, वैसे तो मान्यवर मैं इसे विशेषाधिकार के तहत देता लेकिन विशेषाधिकार की प्रक्रिया इतनी लम्बी है कि उसमें न तो पीठ से जल्दी निर्देश हो पाता है और न मान्यवर, इसमें जो सम्बन्धित पक्ष है उसको न्याय मिल पाता है। इसलिए मान्यवर मैं विशेष रूप से आपसे आग्रह करूंगा मैंने जो घटना का उल्लेख किया, समाचार-पत्र की कापी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसके साथ लगाई है। मैं खासतौर से आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि 11 तारीख के 'इकोनोमिक टाइम्स' की तरफ इसमें एक समाचार छपा है 'माइक्स फ्लाई,' डिटेल में छपा है, हर्ल माइक्स, हिन्दी तर्जुमा है जोर से फेंकने का, फ्लाई जैसा जानते हैं उड़ाने का, मान्यवर, ऐसी कोई घटना 11 तारीख को आदरणीय सदन में घटित नहीं हुई लेकिन इस प्रकार की रिपोंटिंग जिम्मेदार प्रेस के द्वारा, जिम्मेदार पत्र के द्वारा की गई यह पत्र मान्यवर, इसका स्तर जो है इण्टरनेट के ऊपर इसकी रिपोर्टिंग होती है। इससे देश और विदेश के लोग, खासतौर पर एन0आर0आई0 भी इसको देखते हैं इसका संज्ञान लेते हैं, इसको देखते हैं तो एक बहुत गलत धारणा यह बनती है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में यह हो रहा हैं उत्तर प्रदेश की विधान सभा में फिर से माइक्स उड़ाए गए, माइक्स जोर से फेंके गए, वास्तव में मान्यवर, आप भी प्रत्यक्ष रूप से इसके साक्षी हैं कि इस प्रकार की कोई घटना इस आदरणीय सदन में घटित नहीं हुई। तो ऐसी गैर जिम्मेदार रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए। जिससे माननीय सदस्यों के बारे में इस सदन के बारे में गलत धारणा जनता में बने, गलत ओपिनियन बने इसलिए मैं इस पीठ से व्यवस्था चाहता हूं। विशेष रूप से आपसे आग्रह करता हूं कि कम से कम इस गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग के प्रति आपकी पीठ से कोई व्यवस्था आ जाए ताकि इस प्रकार की रिपोर्टिंग पर अंकुश लग सके चूंकि सदन आगे चलना नहीं है। इसलिए मान्यवर, कम से कम इस पीठ से अगर निर्देश हो जाएगा तो सम्बन्धित पक्ष जो है वह इसका ध्यान रखेगा और गलत रिपोर्टिंग से बचना भी चाहेंगे। होनी तो मान्यवर, इस सम्बन्ध में बहुत गम्भीर कार्यवाही चाहिए लेकिन अगर आपकी पीठ से निर्देश आ जाता है तो भी इस पर बहुत कुछ अंकुश लग जाएगा। आपने 300 की सूचना पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

संसदीय कार्य वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, जहां तक नियमावली का नियम 300 है उसके अन्तर्गत यह सूचना नहीं आती है। मान्यवर, अगर हम सिर्फ प्रेस को ही दोष दें और माननीय सदस्यों का जिन्होंने वह आचरण किया, उनको दोष न दें तो यह मान्यवर, एक तरफा कार्यवाही होगी। आप स्वंय गवाह है जिस तरह से महामहिम राज्यपाल भाषण पढ़ने आए और उन्होंने शुरूवात की समाजवादी पार्टी के सदस्यों द्वारा और कुछ अन्य उनका साथ देने वाले लोगों के द्वारा जिस तरह से मान्यवर, लोकतंत्र की हत्या करने जैसी कार्यवाही करने का कृत्य हुआ उसकी भी निन्दा होनी चाहिए। जिस तरह से उठा उठाकर कागज के गोले फेंकने की कार्यवाही की गई हम तो आभार व्यक्त करेंगे धन्यवाद देंगे सुरक्षा कर्मियों का जो मार्शल के अधीन सुरक्षा कर्मी है। उन्होंने अपने को जोखिम में डालकर महामहिम राज्यपाल की हिफाजत करने का काम किया। उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। अब ऐसी स्थितियों में जब बहुत सी चीजें फेंकी जा रही थी, मैंने स्वयं देखा, जूते में कागज का गोला रखा था, उसको निकाल कर, मैंने तो यह महसूस किया कि शायद जूता फेंका जा रहा है लेकिन बाद में निकला उसमें कागज का गोला। तो उस घटना की हमें निंदा करनी चाहिए और उस घटना को देख कर अगर किसी पत्रकार को उसके देखने में, उतना देख न पाया हो जब बहुत सी चीजें फेंकी जा रही हैं, उसमें हो सकता है कि उसमें कुछ इस तरह की बात निकल गयी हो तो मान्यवर, मेरी राय में इसको क्षम्य करना चाहिए, इस पर कोई बड़ी प्रतिक्रिया या बहुत बड़ी

ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसके आधार पर हम यहां पर चर्चा करें और जहां तक नियम-300 के अन्तर्गत यह नहीं आती, इसलिए मैं चाहूंगा कि इसको अग्राह्य करें। मा0 खन्ना जी को अगर विशेषाधिकार या अन्य किसी में लाना है तो उसके लिए आपको नोटिस देंगे, आप परीक्षण कराकर उचित जो निर्णय लेना चाहें, उसको लें और उसके अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने श्री सुरेश कुमार खन्ना जी को सुना, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती, इसे मैं अग्राह्य करता हूं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मेरा नाम पुकारा था, जैसे वह पत्रकार अच्छी तरह से पूरी बात नहीं समझ सके, वैसे मैं भी नहीं समझ पाया।

श्री अध्यक्ष-

आप थे ही नहीं, समझेंगे क्या ?

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं पीछे था। इसमें कुछ माइक का दोष है, मेरा कम है। आप एक बार फिर से पुकार लें।

श्री अध्यक्ष-

कभी-कभी अपना भी दोष माना करिए।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं दीर्घा में गया था, मैं खेद व्यक्त करता हूं, मुझे मौका दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, लेकिन खन्ना साहब से राय ले लीजिए।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इनका तो रिजेक्ट होने लायक है। यह तो मानते हैं, रिजेक्ट होने लायक है, रिजेक्ट हो गया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैंने तो स्वयं कहा था कि यह विशेषाधिकार का मामला बनता है। जो नहीं हुआ उसी की तरफ मैं इंगित कर रहा था।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इनका तो जीवन ही है, कभी यह रिजेक्ट करते रहे, कभी वह इनको रिजेक्ट करती रहीं, अकेले रह गए दुनिया में, मान्यवर। इनकी तो कहानी ही ऐसी रही है, कभी यह, कभी वह।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह चर्चा जो है, कम से कम इसको आज कनक्लूड कर दिया जाए।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मत करिएगा, कहां से लाइएगा, कहां से इन्तजाम कराइएगा ? हो नहीं पाएगा तो आज चर्चा ही कनक्लूड नहीं हो सकती।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, प्रमोद तिवारी जी एक बड़े वकील क्यों नहीं बन पाए, यदि 1 मिनट आपकी इजाजत हो तो बता दें। यह हमेशा ऐसे केसेज के ऊपर लिमिटेशन के आधार पर प्लीड करते रहे कि लिमिटेशन के प्वाइंट के ऊपर ही हारते रहे। हमेशा टाइम बार्ड अपील इन्होंने ली और नतीजा यह हुआ कि टाइम बार्ड अपीलों में लिमिटेशन के प्वाइंट पर ही नहीं जीत पाए, इसलिए मान्यवर, लोगों ने इन्हें वकील करना बन्द कर दिया। अगर लिमिटेशन के ओवर से पहले यह कर लेते तो यह कम से कम इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो टाप के 4-5 एडवोकेट हैं, उनमें होते। इसलिए मान्यवर, जब यह वहां से रिजेक्ट किए गए, तब यहां आकर बैठ गए। वैसे तब इनको पूरे उत्तर प्रदेश के लोग रिकगनाइज करते, अब केवल जो इनका क्षेत्र पड़ता है, वहीं के लोग रिकगनाइज करते हैं और वहीं अपनी फोड़ते रहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

कहीं आप पर लिमिटेशन लगा है, क्या ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

नहीं मान्यवर, यह तो टाइम बार्ड अपीलों के चक्कर में रह गए। हमेशा टाइम बार्ड अपीलें लीं।

श्री अध्यक्ष-

चलिए, आप रिव्यू कराते रहिएगा। अपील मत करिए, रिव्यू करा लीजिएगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, रिव्यू की आवश्यकता ही नहीं है। जो टाइम बार्ड में खारिज हो गया, वह खारिज हो गया।

श्री प्रमोद तिवारी-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं और आपसे ज्यादा खन्ना साहब का आभारी हूं कि आज उन्होंने अपना मेडिकल सर्टीफिकेट इस सदन में प्रस्तुत कर दिया कि वह टाइम बार्ड हो चुके हैं। (हंसी)

मैं तो अभी तक शंका करता था कि शादी नहीं हुई है लेकिन अगर मामला खारिज है तो ठीक ही है, काहे को किसी का जीवन बर्बाद किया जाए, इनका बनाने के लिए दूसरे का बर्बाद किया जाए। वैसे मैं इन्हें एक सलाह दूंगा कि आज के वैज्ञानिक युग में एक बार वकील छोड़कर, डाक्टर का ट्राई करें। यह मेरा खन्ना साहब से अनुरोध है और उस समय फिर मैं इनका मुकदमा फ्री लड़ूंगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

यह फिर से हार जायेंगे।

श्री प्रमोद तिवारी-

अच्छा, मान्यवर, फिर मैं इनका मुकदमा राकेश धर त्रिपाठी जी से लड़वा दूंगा।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के अन्तर्गत नये नियम बनाने एवं संशोधन के प्राप्त अधिकार के अन्तर्गत भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता के सेक्शन-41 एवं 309 में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे अनुमति दी। मैंने यह प्रश्न औचित्य के माध्यम से उठाया है, जो बहुत जनहित का है। मान्यवर, भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर से एक अधिसूचना जारी होनी है, उनके हस्ताक्षर हो गये हैं। हर प्रदेश को यह अधिकार होता है कि वह उसको स्वीकार करे या न करे, सी0आर0पी0सी0 में अमेंड कर ले, न करे। यह हर राज्य के लिये होता है। भारत सरकार का तो यह दायित्व होता है कि वह एक कानून बना देती है। सी0आर0पी0सी0 में संशोधन कर देती है और सी0आर0पी0सी0 में यह भी व्यवस्था है कि जो प्रदेश चाहे अपने स्तर पर जो उस योग्य हो कि यह राज्य सरकार के अधीन आता है उसे परिवर्तित कर सकती है। जैसे भारत सरकार ने एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन रखा है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवर्तित करके अपने यहां एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन खत्म कर रखा है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो अधिसूचना जारी करने के लिये हस्ताक्षर किया है उसमें सी0आर0पी0सी0 में सेक्शन 41 में संशोधन करके 7 साल की सजा जिन अपराधों में हो सकती है उनमें तब तक गिरफ्तारी नहीं करने की बात कही है जब तक अभियुक्त को सूचना देकर उसे मौका न दिया जाये, बुलाया न जाये और इसके लिये सक्षम न्यायालय आदेश न पारित कर दें।

मान्यवर, मैं आपसे चिन्ता व्यक्त करना चाहता हूं कि पूरे देश में आतंकवाद है, आपराधिक घटनाओं की बाढ़ आयी हुई है और 7 वर्ष की सजा सामान्यतः जिन आरोपों में दी जाती है वह संघातिक अपराधों के होते हैं मेरा कहने का मतलब है कि बहुत से ऐसे अपराधों के होते हैं जिससे समाज में अव्यवस्था उत्पन्न होती है। समाज में हिंसा होती है। और वह बाकायदे सी0आर0पी0सी0 में सूची जारी हुई है कि कौन सा अपराध संज्ञेय है और कौन सा अपराध संज्ञेय नहीं है। मान्यवर, यह इसलिये रखा गया था कि पहले तहकीकात हो सके। इसके पहले पुलिस काम करे उसके पहले उसमें जांच हो जाये। लेकिन अब मान्यवर, एक ब्लेंकेट पूरी तरह से सभी पर लागू होने वाला यह संशोधन आया है कि सेक्शन 41 में संशोधन हो जाने के बाद 7 साल तक की सजा में गिरफ्तारी नहीं होगी जब तक न्यायालय का आदेश न प्राप्त हो जाये। मैं समझता हूं कि इससे अव्यवस्था फैलेगी। कई राज्यों के लिये जो यह बहुत अच्छा है। जैसे दिल्ली है वहां कई ऐसे प्रकरण आये जहां पर आपने किसी को गिरफ्तार कर लिया, बाद में सी0बी0आई0 जांच हुई सक्षम न्यायालयों ने पुलिस के खिलाफ जारी किया और उसी के तहत जब बाद में संसद में यह बात उठी तो यह स्वीकार किया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थितियां विषम हैं, फर्क है मान्यवर। अगर यहां पर जिन अपराध में 7 साल की सजा हो सकती है उस अपराध के लिये

केन्द्र ने बढ़ाया है सारे प्रदेशों के लिये। और प्रदेश को यह अधिकार है कि जो चाहे स्वीकार करे और जो चाहे स्वीकार न करे। मान्यवर, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह से अधिवक्ता आन्दोलित हैं और उनकी बहुत जायज मांग है। जैसे यह विधान सभा है कोई एक प्रीसाइडिंग आफिसर यहां पर नहीं होता है, हाई कोर्ट में एक साथ 30-35 कोर्ट एक साथ चलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कई जज बैठते हैं। तो एक अधिवक्ता के कई जगह मुकदमें लगे रहते हैं। यह जो संशोधन किया गया है, 309 में संशोधन करके कि अगर व्यस्तता के कारण और बीमारी के कारण अगर अधिवक्ता उपस्थित नहीं हो पा रहा है तो कोर्ट वादी और प्रतिवादी को दूसरे वकील को नियुक्त करने की सलाह दे सकता है। मान्यवर, इसी तरह से उसकी बीमारी का कारण न माना जाये। मैं कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया बहुत उचित बनाया लेकिन प्रदेशों पर छोड़ दिया है कि वह इसे मानें या न मानें। मान्यवर, मैं इसको बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं क्योंकि लालजी वर्मा जी की हंसी प्रश्न उपस्थित कर रही है। मान्यवर, केंद्र तो बहुत से कानून बनाता है किस राज्य को उसे स्वीकार करना है किसको उसे स्वीकार नहीं करना है यह उसके विवेक पर छोड़ देता है। सी0आर0पी0सी0 पढ़ लीजिएगा जो कानून आप चाहें स्वीकार करें जो कानून न चाहें न स्वीकार करें चूंकि मुझे एक प्लेटफार्म उत्तर प्रदेश का मिला हुआ है। उत्तर प्रदेश का यह विधान सभा सर्वोच्च सदन है तो मैं उत्तर प्रदेश का ही विषय उठा सकता हूं तो मैं उत्तर प्रदेश का ही विषय उठाते हुए कहना चाहता हूं कि सरकार को उचित निर्देश दें कि यह सेक्शन 41 और सेक्शन 309 के अन्तर्गत जो संशोधन हैं उसको स्वीकार करने में इनको कठिनाई क्या है। केंद्र सरकार ने इनको यह छूट भी दे दी है यह हां करेंगे तो हां यह न करेंगे तो न। बहुत से प्रदेशों में इसकी छूट है बहुत से प्रदेशों में यह स्थित है वहां इसका लाभ मिल सकता है। मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि क्या आप प्रदेश सरकार को निर्देश देने की कृपा करेंगे कि जनभावनाओं के अनुरूप इनका संशोधन यहां स्वीकार न हो।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मुझे इस बात पर हंसी आई कि माननीय तिवारी जी की अपनी ही पार्टी की नीति है और इस बात के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से केन्द्र सरकार के इस संशोधन की मुखालफत करने का काम किया और मान्यवर, यह इनकी मजबूरी थी, इसको यह भी कह दें कि केन्द्र ने जो किया अच्छा किया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंनें हमारी बात को माना है। मान्यवर, अभी माननीय प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में माननीय मुख्यमंत्रियों की एक बैठक दिल्ली में हुई थी और उस बैठक में माननीया मुख्य मंत्री जी की तरफ से प्रतिनिधित्व करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ था। हमने भी और अधिकांश प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने भी इस बात को जोर-शोर से उठाने का काम किया था, कि जो यह संशोधन है इससे अपराधों पर अंकुश लगाने में कमी आयेगी, इसलिये इस संशोधन को न माना जाय, इसको न किया जाय, लेकिन इसके बावजूद भी केन्द्र सरकार ने स्वीकार नहीं किया। तो मान्यवर, यह सी0आर0पी0सी0 का जो संशोधन है यह केन्द्र का अधिनियम है और वहीं से सम्भव हो सकता है। हमने प्रदेश की तरफ से पुरजोर विरोध किया और माननीय मुख्यमंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ था उसमें प्रधान मंत्री के सामने विरोध किया था। गृह मंत्री जी जो भारत सरकार के हैं, उनको हो सकता है वह बात अच्छी न लगी हो। मान्यवर, हम इस बात से सहमत हैं कि अगर यह अधिनियम लागू होता

है तो इससे अपराधों पर अंकुश करने में दिक्कत होगी। जहां तक नियम-300 का प्रश्न है मान्यवर, उसको तो आप स्वयं, इसको पहले से ही देख लिये और पहले से ही आपने मन बना लिया कि निरस्त करना है। नियम-300 में कहीं दूर-दूर से भी नहीं आती है, इसलिए मैं चाहूंगा कि इसको अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आप रिजेक्ट कर दें, लेकिन सदन की कार्यवाही में यह गलत अंकित न हो जाय कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा, सी0आर0पी0सी0 में संशोधन करने का अधिकार प्रदेश को नहीं है। यह बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल होगी मैं समझता हूं, संसदीय कार्य मंत्री जी को मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं आप कृपा पूर्वक अलग से अपने प्रमुख सचिव से भी राय ले लें मान्यवर, और मैं आग्रह करूंगा कि एडवोकेट जनरल को इस मामले में उत्तर प्रदेश की विधान सभा में बुला लें, आग्रह कर लें कि वह इसमें स्पष्ट कर दें। मान्यवर, सी0आर0पी0सी0 में बहुत से नियमों के तहत आप उत्तर प्रदेश में क्या लागू हो, न लागू हो, मैंने उदाहरण दिया एण्टीसिपेट्री बेल का जो उत्तर प्रदेश में नहीं लागू है। बहुत से प्रदेशों में लागू है, बहुत से प्रदेशों ने उसे माना है, बहुत से प्रदेशों नें नहीं माना है। हो सकता है माननीय मंत्री जी को यह गलत राय मिल गई हो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप नहीं चाहेंगें तो एडवोकेट जनरल को मान्यवर, आप यहां बुला लें, उनसे स्थिति स्पष्ट करा लें, तब तक मान्यवर, इसे आप स्थगित कर दें, इस पर अपनी कोई रूलिंग देने के पहले। क्योंकि मैं बहुत ही दृढ़ता ही सावधानी से और बहुत ही जानकारी के आधार पर कह रहा हूं कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार सी0आर0पी0सी0 में इस संशोधन को नहीं स्वीकार करेगी तो यह अधिकार उत्तर प्रदेश सरकार को है कि वह न करे, इसलिए मान्यवर, जो तथ्य गलत आ गया है माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से इस पर रूलिंग देने से पहले एडवोकेट जनरल और मैं स्वयं कहूंगा कि अपने एल0आर0 से और प्रमुख सचिव, विधान सभा से राय ले लें। सी0आर0पी0सी0 में संशोधन करने का अधिकार उत्तर प्रदेश सरकार को है और इन नियमों के अन्तर्गत है। अतः मैं यह आग्रह करूंगा कि भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है, बहुत अच्छा लिया है और तब लिया है, जब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्ट्रांग व्यू लिया है, इसका इतिहास समझ लें कि जब एक बेगुनाह को फंसाया गया और फंसाने के बाद उस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आब्जर्वेशन दिया कि पुलिस ने इसमें बहुत ज्यादती की है, पुलिस का रोल बहुत खराब रहा है, सावधानी बरतें। तो मान्यवर, लॉ कमीशन के सुझाव पर यह आया है, भारत सरकार का सही कदम है, लेकिन उत्तर प्रदेश में यह व्यवहारिक नहीं है उचित नहीं है। यहां कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए यह नहीं लागू होना चाहिए, आपको अधिकार है। मान्यवर, कतई भी माननीय संसदीय कार्य मंत्री की इस कही बात को अवश्य सदन की कार्यवाही से या तो निकाल दें या एडवोकेट जनरल से राय ले लें अन्यथा बहुत गलत परम्परा बन जायेगी।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसको स्थगित करने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए मैंनें यह कहा कि जो नियमावली का नियम-300 है उसके अन्तर्गत यह ग्राह्य योग्य नहीं है, इसलिए मान्यवर, इसको अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

मैंनें माननीय प्रमोद तिवारी जी को सुना, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना यह नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती है, इसलिए मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

(श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या-1 लिये जाने पर)

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं (क्रमागत)

(श्री सुरेश चन्द्र तिवारी तथा डा0 राजेन्द्र सिंह के खड़े होने एवं उनकी सूचना पर सुने जाने की मांग किये जाने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सुरेश तिवारी जी, नियमों में यह व्यवस्था है कि अगर आपको गलत जवाब मिला है तो उसकी सूचना दे दें। यह नियम 300 में नहीं आता है। माननीय राजेन्द्र सिंह जी हैण्ड पम्प का मामला कई बार विधान सभा में उठ चुका है। आप लोग कृपया बैठ जायें।

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड लखनऊ के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन*

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960 की धारा 30 (5) में दी गयी व्यवस्थानुसार उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड लखनऊ के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखता हूं।

सतर्कता विभाग की अधिसूचना संख्या-लो0आ0-319/39-4-07-15 (5)-06, दिनांक 01 अप्रैल, 2008**

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से सतर्कता अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या-लो0आ0-319/ 39-4-07-15 (5)-06, दिनांक 01 अप्रैल, 2008 को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 21 (3) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

आगरा जांच आयोग, फाइनल रिपोर्ट (कृत कार्यवाही के विवरण सहित)††

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से आगरा जांच आयोग, फाइनल रिपोर्ट (कृत कार्यवाही के विवरण सहित) को जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 (4) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

---

* छापा नहीं गया।

** छापी नहीं गयी।

मेरठ के विक्टोरिया पार्क में "ब्रान्डस इण्डिया कन्ज्यूमर शो" के पण्डालों में हुए भीषण अग्निकाण्ड/दुर्घटना के सम्बन्ध में गठित किये गये एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग की आख्या (कृत कार्यवाही के विवरण सहित)*

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद मेरठ के थाना सिविल लाइन्स क्षेत्रान्तर्गत विक्टोरिया पार्क में "ब्रान्डस इण्डिया कन्ज्यूमर शो" के पण्डालों में हुए भीषण अग्निकाण्ड/दुर्घटना के सम्बन्ध में गठित किये गये एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग की आख्या (कृत कार्यवाही के विवरण सहित) को जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 (4) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 21 अगस्त, 2008 को पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ पारेषित किया गया था तथा दिनांक 22 अगस्त, 2008 को सदन की मेज पर रखा गया था, विधान परिषद् द्वारा बिना उसके पारित हुए तीन माह से अधिक का समय व्यतीत हो जाने पर उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2009 को उसी रूप में, जिस रूप में वह इस सदन द्वारा दिनांक 21 अगस्त, 2008 को मूलतः पारित किया गया था, पुनः पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा उसी रूप, जिस रूप में वह इस सदन द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2009 को पुनः पारित किया गया था, पारित होने के उपरान्त दिनांक 19 फरवरी, 2009 को वापस प्राप्त हो गया।

डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2008

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2008, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 20 अगस्त, 2008 को पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ पारेषित किया गया था तथा दिनांक 21 अगस्त, 2008 को सदन की मेज पर रखा गया था, विधान परिषद् द्वारा बिना उसके पारित हुए तीन माह से अधिक का समय व्यतीत हो जाने पर उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2009 को उसी रूप में, जिस रूप में वह इस सदन द्वारा दिनांक 20 अगस्त, 2008 को मूलतः पारित किया गया था, पुनः पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा उसी रूप, जिस रूप में वह इस सदन द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2009 को पुनः पारित किया गया था, पारित होने के उपरान्त दिनांक 19 फरवरी, 2009 को वापस प्राप्त हो गया।

---

* छापी नहीं गयी।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-6 में कुछ नहीं है। मद संख्या-7 लेता हूं।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के अन्तर्गत ग्राम बरैछावीर एवं ग्राम हरिहरपुर में कीना बाबा धाम के मध्य गोमती नदी पर पुल तथा सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री दिनेश कुमार आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री बिरजू राम-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद जौनपुर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र केराकत के अन्तर्गत ग्राम बरैछावीर एवं ग्राम हरिहरपुर में कीना बाबा धाम के मध्य गोमती नदी पर पुल तथा सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री दिनेश कुमार निवासी जनपद जौनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-8 में कुछ नहीं है। मैं मद संख्या-9 (क) को लेता हूं।

उत्तर प्रदेश अरबी, फारसी विश्वविद्यालय विधेयक, 2009†

उच्च शिक्षा मंत्री (डा0 राकेशधर त्रिपाठी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश अरबी-फारसी विश्वविद्यालय विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अरबी-फारसी विश्वविद्यालय विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश अरबी-फारसी विश्वविद्यालय विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करता हूं।

शारदा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009†

उच्च शिक्षा मंत्री (डा0 राकेशधर त्रिपाठी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से शारदा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि शारदा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

---

† दिनांक 19 मार्च, 2009 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से शारदा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2009†

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करता हूं।

सभी अनुदानों की मांगों को एक साथ रखे जाने की अनुमति मांगे जाने पर आपत्ति

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, मेरा एक प्रस्ताव है कि सारी अनुदान मांगों को एक साथ रख दूं, इसकी अनुमति चाहता हूं।

*श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, सारा बजट आज प्रस्तुत होना है यह तो कार्यमंत्रणा में है लेकिन बजट पर चर्चा नहीं होगी यह कहीं नहीं है। मान्यवर, सारे अनुदानों को अलग-अलग रखायें, हम लोग चर्चा में भाग लेंगे। सदन जितने बजे तक चलता है उसको चलायें। मान्यवर, जैसे यह आबकारी का है, शहरी नियोजन का है हर बार विधान सभा में इन पर चर्चाएं होती रही हैं। मान्यवर, हमारा दल बजट पर चर्चा करने के पक्ष में है। सारे अनुदानों को अलग-अलग रखाया जाय हम उस पर कटौती रखेंगे और उस पर चर्चा भी करेंगे।

(टोकाटाकी होने पर)

आपके कहने पर नहीं बैठेंगे, मैं माननीय अध्यक्ष जी से बात कर रहा हूं आप थोड़ा सा मर्यादित रहें।

मान्यवर, हम चर्चा के पक्षधर हैं। बजट आप आज प्रस्तुत करिये, हम उस पर कटौती रखेंगे और उस पर चर्चा करने के हम पक्षधर हैं।

---

† दिनांक 19 मार्च, 2009 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मेरा यह निवेदन है कि हम चर्चा से रोक नहीं रहे हैं। हम एक साथ रखेंगे तो एक साथ कटौती रख दें। जिस तरह से 2006 में एक साथ सब रखे गये और एक साथ कटौती प्रस्तुत हो गया था, तो एक साथ कटौती माननीय सदस्य प्रस्तुत कर दें और उसके बाद उस पर चर्चा कर लें। हम उससे भाग नहीं रहे हैं। इसलिये मैं चाहूंगा कि एक साथ रखने की अनुमति दे दें।

(श्री सुरेश कुमार खन्ना के खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष-

खन्ना साहब, वह चर्चा से नहीं भाग रहे हैं, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं। वह सही है कि सदन आज तो उठना ही है, यह सच है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, उठना है, हमने देख लिया, कार्यमंत्रणा सुन ली, अभी तब सुबह की कार्यवाही सब देख ली लेकिन मान्यवर, अलग-अलग अगर मदें आयेंगी तो उसमें कोई आसमान नहीं फट जायेगा उसमें ज्यादा से ज्यादा एक घंटे का समय और लगेगा। लेकिन इस तरह एक साथ रख देना, इसका न कोई औचित्य है और न कोई परम्परा है। दूसरा जो विभाग वर्षों से जिस पर विवाद होता रहा, जिस पर इस सदन मे कटौती पेश करने का अधिकार मिलता रहा है, जिस पर चर्चा होती रही उन विभागों पर भी इस बार विवाद न होने की बात इस एजेन्डे से उन विभागों के बारे में परिलक्षित हो रही है। जैसे मान्यवर, आबकारी विभाग है आबकारी विभाग से शुरू हो रहा है, वह विभाग जिस पर इस सदन की परम्परा रही है इस पर वर्षो से चर्चा होती रही है उस पर माननीय सदस्यों के विचार आते रहे हैं। आबकारी विभाग है सरकार के आय का एक बहुत बड़ा स्रोत है उससे उत्पाद शुल्क आपने बताया कि पिछले वर्ष से 16 प्रतिशत हमने बढ़ा दिया है।

श्री अध्यक्ष-

एक मिनट सुन लें खन्ना साहब, आज बजट पारित होना है कार्यमंत्रणा सुन लिये और तय कर लिया। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने एक अनुरोध किया कि मैं कंसालिडेटेड एक साथ सभी मांगों को रख दे रहा हूं कटौती का प्रस्ताव कोई माननीय सदस्य रख दे इसके बाद सामूहिक तौर पर जैसे कोई महत्वपूर्ण विषय आप आबकारी पर बोलना चाहते हैं या उच्च शिक्षा पर बोलना चाहते हैं कोई माननीय सदस्य, कटौती आप सामूहिक तौर पर वह भी कंसालीडेटेड रख दें, इसके बाद बोल लें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मुझे एक साथ रखने पर आपत्ति है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, माननीय खन्ना जी सदन में थे। मान्यवर, मेरे पास 11 मार्च, 2006 की सदन की कार्यवाही का विवरण हैं उस समय माननीय संसदीय कार्य और नगर विकास मंत्री जो थे, उन्होंने सारी मांगे एक साथ रखीं और जब यह प्रस्ताव आया तो भारतीय जनता पार्टी के एक भी

सदस्य ने इसका विरोध नहीं किया। मैंने जरूर इस बात का कहा था कि अलग-अलग रखा जाय लेकिन माननीय अध्यक्ष ने इसको नहीं माना तब एक साथ ही मैंने ही कटौती को रखा था, यह मेरे पास मान्यवर, विवरण है। मैं चाहूंगा कि माननीय खन्ना जी इसको देख लें। एक साथ उन्होंने सारा प्रस्ताव रखा था और एक साथ मैंने उस समय सारी कटौती रखी थी और उस कटौती के आधार पर अगर आप हिस्सा लेना चाहेंगे तो आपको अवसर ज्यादा मिल जायेगा। एक-एक हम रखेंगे तो समय ज्यादा लगेगा। चूंकि आज हमको विधान परिषद् से भी विनियोग विधेयक पास कराना है। हमारा जितना समय अलग-अलग रखने में जायेगा, उस समय को आप चाहें तो चर्चा में ले लें। तो इससे वह समय बच जायेगा और अगर माननीय खन्ना जी कुछ बात रखना चाहते हैं तो इनको स्वयं सुविधा मिलेगी और हमें विधान परिषद् में आज ही विनियोग विधेयक पास कराने का अवसर मिल जायेगा। इसलिये मैं चाहूंगा कि खन्ना जी सहर्ष इसको स्वीकार कर लें। इसमें कोई बहस का मुद्दा नहीं है। मैं आपसे चाहूंगा कि आप इसकी अनुमति दे दें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के पास, जितनी गलत परम्परायें हैं, सब कोट करने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष-

नहीं ऐसा नहीं है, केवल उन्होंने दृष्टांत दिखाया है। यह चर्चा कराने से हट नहीं रहे हैं। मैं आपको एक साथ रखने की अनुमति दे रहा हूं। आप लोग बाद में खूब बोलियेगा। महाना साहब आप भी बोलियेगा।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं और मेरा दल इसके विरोध मे सदन का बहिष्कार करते हैं।

(श्री सुरेश कुमार खन्ना ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का बहिष्कार किया।)

वित्तीय वर्ष 2009-2010 के आय-व्ययक में समेकित अनुदान की मांगों पर मतदान

(1) अनुदान संख्या-01-आबकारी विभाग, (2) अनुदान संख्या-02-आवास विभाग, (3) अनुदान संख्या-03-उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन), (4) अनुदान संख्या-04-उद्योग विभाग (खानें और खनिज), (5) अनुदान संख्या-05-उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग), (6) अनुदान संख्या-06-उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग), (7) अनुदान संख्या-07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग), (8) अनुदान संख्या-08-उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री), (9) अनुदान संख्या-09-ऊर्जा विभाग, (10) अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास), (11) अनुदान संख्या-11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि), (12) अनुदान संख्या-12-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन), (13) अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास), (14) अनुदान

संख्या-14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज), (15) अनुदान संख्या-15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन), (16) अनुदान संख्या-16-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास), (17) अनुदान संख्या-17-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य), (18) अनुदान संख्या-18-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता), (19) अनुदान संख्या-19-कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) (20) अनुदान संख्या-20-कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग), (21) अनुदान संख्या-21-खाद्य तथा रसद विभाग, (22) अनुदान संख्या-22-खेल विभाग, (23) अनुदान संख्या-23-गन्ना विकास विभाग (गन्ना), (24) अनुदान संख्या-24-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग), (25) अनुदान संख्या-25-गृह विभाग (कारागार), (26) अनुदान संख्या-26-गृह विभाग (पुलिस), (27) अनुदान संख्या-27-गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा), (28) अनुदान संख्या-28-गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय), (29) अनुदान संख्या-30-गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय), (30) अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण), (31) अनुदान संख्या-32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा), (32) अनुदान संख्या-33-चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा), (33) अनुदान संख्या-34-चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा), (34) अनुदान संख्या-35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण), (35) अनुदान संख्या-36-चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य), (36) अनुदान संख्या-37-नगर विकास विभाग, (37) अनुदान संख्या-38-नागरिक उड्डयन विभाग, (38) अनुदान संख्या-39-भाषा विभाग, (39) अनुदान संख्या-40-नियोजन विभाग, (40) अनुदान संख्या-41-निर्वाचन विभाग, (41) अनुदान संख्या-42-न्याय विभाग, (42) अनुदान संख्या-43-परिवहन विभाग, (43) अनुदान संख्या-44-पर्यटन विभाग, (44) अनुदान संख्या-45-पर्यावरण विभाग, (45) अनुदान संख्या-46-प्रशासनिक सुधार विभाग, (46) अनुदान संख्या-47-प्राविधिक शिक्षा विभाग, (47) अनुदान संख्या-48-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, (48) अनुदान संख्या-49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग, (49) अनुदान संख्या-50-राजस्व विभाग (जिला प्रशासन), (50) अनुदान संख्या-51-राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत), (51) अनुदान संख्या-52-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय), (52) अनुदान संख्या-53-राष्ट्रीय एकीकरण विभाग, (53) अनुदान संख्या-54-लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), (54) अनुदान संख्या-55-लोक निर्माण विभाग (भवन), (55) अनुदान संख्या-56-लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम), (56) अनुदान संख्या-57-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु), (57) अनुदान संख्या-58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें), (58) अनुदान संख्या-59-लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय), (59) अनुदान संख्या-60-वन विभाग, (60) अनुदान संख्या-61-वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय), (61) अनुदान संख्या-62-वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें), (62) अनुदान संख्या-63-वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन), (63) अनुदान संख्या-65-वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि), (64) अनुदान संख्या-66-वित्त विभाग (सामूहिक बीमा), (65) अनुदान संख्या-67-विधान परिषद् सचिवालय, (66) अनुदान संख्या-68-विधान सभा

सचिवालय, (67) अनुदान संख्या-70-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, (68) अनुदान संख्या-71-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा), (69) अनुदान संख्या-72-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा), (70) अनुदान संख्या-73-शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा), (71) अनुदान संख्या-75-शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्), (72) अनुदान संख्या-76-श्रम विभाग (श्रम कल्याण), (73) अनुदान संख्या-77-श्रम विभाग (सेवायोजन), (74) अनुदान संख्या-78-सचिवालय प्रशासन विभाग, (75) अनुदान संख्या-79-समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण), (76) अनुदान संख्या-80-समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण), (77) अनुदान संख्या-81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण), (78) अनुदान संख्या-82-सतर्कता विभाग, (79) अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना), (80) अनुदान संख्या-84-सामान्य प्रशासन विभाग, (81) अनुदान संख्या-85-सार्वजनिक उद्यम विभाग, (82) अनुदान संख्या-86-सूचना विभाग, (83) अनुदान संख्या-87-सैनिक कल्याण विभाग, (84) अनुदान संख्या-88-संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय), (85) अनुदान संख्या-89-संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर) (86) अनुदान संख्या-90-संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन कर तथा बार्जाकर), (87) अनुदान संख्या-91-संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) (88) अनुदान संख्या-92-संस्कृति विभाग, (89) अनुदान संख्या-95-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान), (90) अनुदान संख्या-96-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले में अनुदान संख्या-01 लगायत 28, 30 लगायत 63, 65 लगायत 68, 70 लगायत 73, 75 लगायत 92 तथा 95 लगायत 96 के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, रुपये एक लाख नौ हजार, पांच सौ पच्चीस करोड़, बानवे लाख, इक्कीस हजार (1,09,525,92,21,000) से अनधिक की धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, एक और निवेदन करना चाहूंगा। मान्यवर, मैंने अपने बजट भाषण में पृष्ठ 18 पर उल्लेख किया था कि कानपुर में नये प्राविधिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी। इस सम्बन्ध में मान्यवर, तमाम माननीय सदस्यों से इस बात का आग्रह प्राप्त हुआ कि लखनऊ में एक उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय है और लखनऊ और कानपुर के बीच में दूरी केवल 80 कि0मी0 की है इसलिये इस प्राविधिक विश्वविद्यालय को सुगमता की दृष्टि से पश्चिमी क्षेत्र में रखा जाय। इस बात को, मांग को ध्यान में रखते हुए मान्यवर, यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र की संस्थाओं से दोनों विश्वविद्यालयों की दूरी समान होने के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संस्थाओं के सुगम संचालन एवं प्रभावकारी नियंत्रण हेतु उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय के नोएडा कैम्पस को विकसित कर वहां द्वितीय उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। धन्यवाद।

(श्री अध्यक्ष द्वारा मदवार बजट लेने पर)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, पूछ लें कि कोई कटौती रखना चाहता है।

श्री अध्यक्ष-

कोई माननीय सदस्य कटौती रखना चाहते हैं।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, आपकी अनुमति से।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, कटौती रखने के लिये आवश्यक है कि इनका नाम कटौती प्रस्ताव रखने वाले नामों की सूची में हो। मान्यवर, इसे दिखवा लें अगर नाम इसमें हो तभी यह रख सकते हैं।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, हमें आपने अनुमति दी है।

श्री अध्यक्ष-

नाम होगा तभी रखेंगे।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, कटौती नहीं रख सकते हैं अपने विचार रख सकते हैं।

श्री पूरन प्रकाश-

एक तरफ तो हमारे मा0 मंत्री जी कह रहे हैं कि आप भी जाओ और एक तरफ कह रहे हैं बोलो तो मान्यवर, यह बड़ी असमंजस की स्थिति है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, कोई कटौती नहीं रख रहा है।

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा सदन का त्याग करने के कारण कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब हम अनुदान पढ़ रहे हैं।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-01 लगायत 28, 30 लगायत 63, 65 लगायत 68, 70 लगायत 73, 75 लगायत 92 तथा 95 लगायत 96 के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, रुपये एक लाख नौ हजार, पांच सौ पच्चीस करोड़, बानवे लाख, इक्कीस हजार रुपये (1,09,525,92,21,000) से अनधिक की धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2009

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

विनियोग विधेयक की प्रतियां बांट दी जाएं।

(प्रतियां बांटी गईं)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग, 2009 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, अनुसूची, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2009

31 मार्च, 2010 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2009 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 2009-2010 के लिए 144615,16,23,000 रुपये का निकाला जाना

2-ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त जो 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 144615,16,23,000 रुपये (एक लाख चौवालीस हजार छः सौ पन्द्रह करोड़ सोलह लाख तेईस हजार रुपये मात्र) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3-इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये गये हैं।

अनुसूची

(धारा-2 और 3 देखें)

अनुदान क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
1	आबकारी विभाग	राजस्व :	728088	1000	729088
		पूंजी :	2000	...	2000
2	आवास विभाग	राजस्व :	338995	65928	404923
		पूंजी :	6412707	98233	6510940
3.	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व :	984783	400	985183
		पूंजी :	30902	...	30902
4	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	राजस्व :	162602	1	162603
		पूंजी :	80000	...	80000
5	उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)	राजस्व :	492586	...	492586
		पूंजी :	...	...	0
6	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व :	363432	...	363432
		पूंजी :	...	...	0
7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व :	1213894	...	1213894
		पूंजी :	1468000	...	1468000
8	उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन-सामग्री)	राजस्व :	1076958	...	1076958
		पूंजी :	15000	...	15000
9	ऊर्जा विभाग	राजस्व :	27095339	306172	27401511
		पूंजी :	70059500	...	70059500
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	राजस्व :	1899432	7357	1906789
		पूंजी :	42229	...	42229
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व :	23081826	1510	23083336
		पूंजी :	3081640	...	3081640

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	राजस्व :	1880984	...	1880984
		पूंजी :	...	...	0
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	राजस्व :	18135931	1000	18136931
		पूंजी :	7383284	...	7383284
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	राजस्व :	17667938	...	17667938
		पूंजी :	6300004	...	6300004
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व :	3909324	1379	3910703
		पूंजी :	197001	...	197001
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	राजस्व :	257105	1	257106
		पूंजी :	1	...	1
17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	राजस्व :	579266	...	579266
		पूंजी :	...	...	0
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	राजस्व :	1457589	58295	1515884
		पूंजी :	163800	117370	281170
19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	69490	...	69490
		पूंजी :	...	...	0
20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	राजस्व :	16486	215859	232345
		पूंजी :	...	500	500
21	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व :	383089	...	383089
		पूंजी :	69123876	24000150	93124026
22	खेल विभाग	राजस्व :	317507	100	317607
		पूंजी :	319064	...	319064
23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व :	1318656	150	1318806
		पूंजी :	165000	...	165000
24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व :	419270	...	419270
		पूंजी :	3090000	...	3090000
25	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व :	2456499	800	2457299
		पूंजी :	2525730	...	2525730
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व :	57017464	6527	57023991
		पूंजी :	3359044	...	3359044
27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व :	3123168	...	3123168
		पूंजी :	96181	...	96181

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6
28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	976925	...	976925
		पूंजी :	3000	...	3000
29	*गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	राजस्व :	...	67751	67751
		पूंजी :	...	...	0
30	गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	25715	...	25715
		पूंजी :	...	...	0
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व :	7111442	...	7111442
		पूंजी :	2250134	...	2250134
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा)	राजस्व :	23747857	2000	23749857
		पूंजी :	5884466	...	5884466
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	राजस्व :	3533606	...	3533606
		पूंजी :	60000	...	60000
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	राजस्व :	1710219	...	1710219
		पूंजी :	96780	...	96780
35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व :	11700893	1500	11702393
		पूंजी :	700000	...	700000
36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व :	379802	100	3793902
		पूंजी :	...	...	0
37	नगर विकास विभाग	राजस्व :	5387549	..	5387549
		पूंजी :	12654506	...	12654506
38	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व :	202012	...	202012
		पूंजी :	531002	...	531002
39	भाषा विभाग	राजस्व :	97586	...	97586
		पूंजी :	...	...	0
40	नियोजन विभाग	राजस्व :	1017122	...	1017122
		पूंजी :	811433	...	811433
41	निर्वाचन विभाग	राजस्व :	1014003	...	1014003
		पूंजी :	...	...	0
42	न्याय विभाग	राजस्व :	7972478	1357648	9330126
		पूंजी :	1312505	...	1312505

* भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम संख्या

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6
43	परिवहन विभाग	राजस्व :	748045	...	748045
		पूंजी :	27343	...	27343
44	पर्यटन विभाग	राजस्व :	189466	...	189466
		पूंजी :	577799	...	577799
45	पर्यावरण विभाग	राजस्व :	154763	...	154763
		पूंजी :	501	...	501
46	प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व :	77091	...	77091
		पूंजी :	1	...	1
47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व :	2921492	102	2921594
		पूंजी :	2262216	...	2262216
48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	राजस्व :	7646171	205	7646376
		पूंजी :	2311672	...	2311672
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व :	29358082	1000	29359082
		पूंजी :	12906	...	12906
50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)		4112310	1754	4114064
			1410223	...	1410223
51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	राजस्व :	6876558	...	6876558
		पूंजी :	1	...	1
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	14052676	6977	14059653
		पूंजी :	1000	1051	2051
53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व :	13132	...	13132
		पूंजी :	100	...	100
54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व :	10345302	400	10345702
		पूंजी :	...	...	0
55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	राजस्व :	306500	26187	332687
		पूंजी :	340504	5285	5789
56	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	राजस्व :	250000	...	250000
		पूंजी :	3000001	...	3000001
57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)	राजस्व :	110000	...	110000
		पूंजी :	6204292	...	6204292
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	राजस्व :	12843786	500	12844286
		पूंजी :	27630476	55000	27685476

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6
59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	राजस्व :	907912	...	907912
		पूंजी :	906702	...	906702
60	वन विभाग	राजस्व :	3713332	1370	3714702
		पूंजी :	1661785	...	1661785
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	43297324	163528966	206826290
		पूंजी :	4600050	158668356	163268406
62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	राजस्व :	87868275	175467	88043742
		पूंजी :	1500000	...	1500000
63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व :	1207249	1	1207250
		पूंजी :	27171	...	27171
65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अन्य वचत आदि)	राजस्व :	1375125	...	1375125
		पूंजी :	850	...	850
66	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व :	21737	1314890	1336627
		पूंजी :	7546	...	7546
67	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व :	219790	4654	224444
		पूंजी :	600	...	600
68	विधान सभा सचिवालय	राजस्व :	567914	6100	574014
		पूंजी :	46055	...	46055
70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व :	311437	...	311437
		पूंजी :	...	...	0
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व :	122961664	...	122961664
		पूंजी :	83430	...	83430
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व :	48248449	270	48248719
		पूंजी :	457390	...	457390
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व :	11393695	1	11393696
		पूंजी :	717103	...	717103
75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	राजस्व :	971279	...	971279
		पूंजी :	1004	...	1004
76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व :	1487046	...	1487046
		पूंजी :	...	...	0
77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व :	420789	...	420789
		पूंजी :	1825	...	1825

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व :	3488852	...	3488852
		पूंजी :	...	...	0
79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	राजस्व :	13123876	...	13123876
		पूंजी :	1026002	...	1026002
80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	राजस्व :	23357519	...	23357519
		पूंजी :	...	...	0
81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्व :	424606	10	424616
		पूंजी :	81193	...	81193
82	सतर्कता विभाग	राजस्व :	264205	22669	286874
		पूंजी :	96930	...	96930
83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	राजस्व :	36355767	...	36355767
		पूंजी :	481994452	...	48199452
84	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व :	11473	...	11473
		पूंजी :	...	...	0
85	सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्व :	31374	...	31374
		पूंजी :	...	...	0
86	सूचना विभाग	राजस्व :	700440	...	700440
		पूंजी :	...	...	0
87	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व :	541235	10	541245
		पूंजी :	8600	...	8600
88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	राजस्व :	342256	...	342256
		पूंजी :	...	...	0
89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	राजस्व :	3911002	654437	4565439
		पूंजी :	72051	...	72051
90	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	राजस्व :	651057	...	651057
		पूंजी :	...	...	0
91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	राजस्व :	1355038	4	1355042
		पूंजी :	20000	...	20000
92	संस्कृति विभाग	राजस्व :	255936	5	255941
		पूंजी :	171895	...	171895

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6
95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व :	15854009	5	15859009
		पूंजी :	2789320	...	2789320
96	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व :	14089441	...	14089441
		पूंजी :	26309056	100000	26409056
	योग	राजस्व :	764475387	167846457	932321844
		पूंजी :	330783834	183045945	513829779
	महायोग :		1095259221	350892402	1446151623

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, अनुसूची, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2009 पारित किया जाय ?

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2009 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश अरबी-फारसी विश्वविद्यालय विधेयक, 2009 उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2009 तथा शारदा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009 पर विचार एवं उनके पारण सम्बन्धी मदें आज ही लिये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनके पारण सम्बन्धी मदें आज ही ले ली जाय :-

1-उत्तर प्रदेश अरबी-फारसी विश्वविद्यालय विधेयक, 2009

2-उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2009

3-शारदा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनके पारण सम्बन्धी मदें आज ही ले ली जायं :-

1-उत्तर प्रदेश अरबी-फारसी विश्वविद्यालय विधेयक, 2009

2-उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2009

3-शारदा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश अरबी-फारसी विश्वविद्यालय विधेयक, 2009

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अरबी-फारसी विश्वविद्यालय विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अरबी-फारसी विश्वविद्यालय विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-40 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश अरबी–फारसी विश्वविद्यालय विधेयक, 2009

उर्दू, अरबी और फारसी भाषाओं में शिक्षण और अनुसंधान के लिए लखनऊ, उत्तर प्रदेश में अरबी–फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उपबंध करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1– (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अरबी–फारसी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 कहा जायेगा।

(2) उस दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषायें

2– इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो–

(1) "विद्या परिषद" "सभा" और "कार्य परिषद" का तात्पर्य विश्वविद्यालय की क्रमशः विद्या परिषद, सभा और कार्य परिषद से है;

(2) "संबद्ध महाविद्यालय" का तात्पर्य ऐसी संस्था से है जो इस अधिनियम के उपबन्धों या विश्वविद्यालय के परिनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय से संबद्ध हो'

(3) "सहयुक्त महाविद्यालय" का तात्पर्य ऐसी संस्था से है जो विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त हो;

(4) "संकाय" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के संकाय से है;

(5) विश्वविद्यालय का "छात्र निवास" (या महाविद्यालय) का तात्पर्य छात्रों के निवास की ऐसी इकाई से है जो विश्वविद्यालय द्वारा पोषित या मान्यता प्राप्त हो और जिसमें पाठन तथा अन्य अनुपूरक शिक्षण की व्यवस्था हो;

(6) विश्वविद्यालय का "छात्रावास" का तात्पर्य छात्र निवास से भिन्न छात्रों के निवास की ऐसी इकाई से है जो विश्वविद्यालय द्वारा पोषित या मान्यता प्राप्त हो तथा "संबद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय का छात्रावास" का तात्पर्य उस महाविद्यालय के छात्रों के निवास की इकाई से है;

(7) "विहित" का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है;

(8) किसी संबद्ध सहयुक्त या घटक महाविद्यालय के सम्बन्ध में "प्राचार्य" का तात्पर्य ऐसे महाविद्यालय के प्रधान से है;

(9) "रजिस्ट्रीकृत स्नातक" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के किसी स्नातक से है;

(10) "परिनियम", "अध्यादेश" और "विनियम" का तात्पर्य क्रमशः विश्वविद्यालय के परिनियम, अध्यादेश और विनियम से है;

(11) "अध्यापक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो विश्वविद्यालय के किसी संस्थान या किसी घटक, सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय में नियोजित हो;

(12) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित अरबी-फारसी विश्वविद्यालय से है;

अध्याय–दो

विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय की स्थापना तथा निगमन

3– (1) लखनऊ, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश अरबी-फारसी विश्वविद्यालय, के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी।

(2) विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

4– विश्वविद्यालय का उद्देश्य छात्रों को उर्दू, अरबी एवं फारसी भाषा के शिक्षण एवं अनुसंधान द्वारा उन्नत ज्ञान, प्रज्ञा एवं समझ प्रदान करना होगा।

विश्वविद्यालय सभी वर्गों और पंथ के लिए होगा

5– विश्वविद्यालय वर्ग या पंथ के भेदभाव के बिना सभी व्यक्तियों के लिए होगा, किन्तु इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी शिक्षण पाठ्यक्रम में अवधारित संख्या से अधिक छात्र प्रविष्ट करना अपेक्षित है।

परन्तु इस धारा की कोई बात विश्वविद्यालय को अनुसूचित जातियों अथवा नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के प्रवेश के लिए विशेष उपबन्ध बनाने से नहीं रोकेगी।

विश्वविद्यालय की शक्तियां तथा कर्तव्य

6— विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां तथा कर्तव्य होंगे, अर्थात:—

(1) विद्या की ऐसी शाखाओं में, जिन्हे विश्वविद्यालय उचित समझे, शिक्षण की व्यवस्था करना और अनुसंधान के लिए तथा ज्ञान की अभिवृद्धि एवं प्रसार के निमित व्यवस्था करना;

(2) किसी महाविद्यालय को सम्बद्धता या मान्यता का विशेषाधिकार प्रदान करना और सम्बद्ध एवं सहयुक्त महाविद्यालयों का मार्गदर्शन करना तथा उनके कार्य का नियंत्रण करना;

(3) उपाधियों, डिप्लोमाओं तथा अन्य शैक्षिक विशिष्टयों को संस्थित करना;

(4) ऐसे व्यक्तियों के लिए परीक्षाओं का आयोजन करना तथा उन्हें उपाधियों, डिप्लोमा और अन्य शैक्षिक विशिष्टयाँ स्वीकृत एवं प्रदान करना:—

(क) जिन्होंने विश्वविद्यालय में या किसी घटक महाविद्यालय में या किसी संबद्ध महाविद्यालय में अथवा किसी सहयुक्त महाविद्यालय में किसी पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो; या

(ख) जिन्होंने विश्वविद्यालय में, या विश्वविद्यालय द्वारा उस निमित्त मान्यता प्राप्त किसी संस्था में या स्वतंत्र रूप से, परिनियमों तथा अध्यादेशों में अधिकथित शर्तों के अधीन अनुसंधान कार्य किया हो; या

(ग) जिन्होंने पत्राचार द्वारा, चाहे विश्वविद्यालय के क्षेत्र में या उसके बाहर निवास करके, किसी पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो, और जो ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो परिनियमों तथा अध्यादेशों में अधिकथित की जाएं, वाह्य अभ्यर्थियों के रूप में विश्वविद्यालय द्वारा रजिस्ट्रीकृत किये गये हों; या

(घ) जो परिनियमों तथा अध्यादेशों में अधिकथित शर्तों के अधीन विश्वविद्यालय में या किसी संस्थान में या किसी घटक या संबद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय में या अन्य शिक्षण संस्थाओं में अध्यापक या अन्य कर्मचारी हों अथवा राज्य सरकार के शिक्षा विभाग में स्थायी रूप नियोजित निरीक्षण अधिकारी हो, और अर्ह हो और जिन्होंने परिनियमों तथा अध्यादेशों में अधिकथित शर्तों के

अधीन निजी रूप से अध्ययन किया हो, या

(ङ) जो महिलायें हो और अर्ह हो और जिन्होंने परिनियमों तथा अध्यादेशों में अधिकथित शर्तों के अधीन व्यक्तिगत रूप से अध्ययन किया हो; या

(च) जो नेत्रहीन हो और अर्ह हो और जिन्होंने परिनियमों तथा अध्यादेशों में अधिकथित शर्तों के अधीन व्यक्तिगत रूप से अध्ययन किया हो.

(5) ऐसे व्यक्तियों के लिए, जिन्होंने परिनियमों तथा अध्यादेशों में अधिकथित शर्तों के अधीन अध्ययन किया हो, परीक्षायें आयोजित करना और उन्हें विश्वविद्यालय की उपाधि प्रदान करना;

(6) परिनियमों मे अधिकथित रीति तथा शर्तों के अधीन मानद उपाधियां अथवा अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टयाँ प्रदान करना;

(7) ऐसे व्यक्तियों को, जो विश्वविद्यालय के छात्र न हो, ऐसे डिप्लोमा देना और उनके लिए ऐसे व्याख्यानों तथा शिक्षण की व्यवस्था करना जैसा विश्वविद्यालय अवधारित करे;

(8) अन्य विश्वविद्यालयों तथा प्राधिकरणों से ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए सहकार्य या सहयोग करना जैसी विश्वविद्यालय अवधारित करें;

(9) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित अध्यापन–पदों को संस्थित करना तथा ऐसे पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति करना;

(10) छात्र निवास में शिक्षण देने के लिए अध्यापकों को मान्यता देना;

(11) महाविद्यालयों की संबद्धता या मान्यता सम्बन्धी शर्तें अधिकथित करना और समय–समय पर निरीक्षणों द्वारा या अन्यथा अपना यह समाधान करना कि ऐसी शर्त पूरी की जा रही है;

(12) परिनियमो तथा अध्यादेशों के अनुसार छात्रवृत्तियों, अधिछात्रवृत्तियों (जिसके अन्तर्गत यात्रा अधिछात्रवृत्तियां भी हैं), विद्यावृत्तियों तथा पारितोषिकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;

(13) छात्र निवासों तथा छात्रावासों को संस्थित तथा पोषित करना और विश्वविद्यालय संस्थानों या घटक या सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों के छात्रों के लिए निवास स्थानों को मान्यता प्रदान करना;

(14) ऐसी फीस और अन्य प्रभार मांगना तथा प्राप्त करना जो अध्यादेशों द्वारा नियत किये जाएं;

(15) विश्वविद्यालय, संस्थान तथा घटक या सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों के छात्रों के निवास का पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करना और उनमें अनुशासन को विनियमित करना और उनके स्वास्थ्य सुधार के लिए व्यवस्था करना;

(16) प्रशासकीय, लिपिक वर्गीय तथा अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना, तथा

(17) ऐसी सभी कार्य करना, चाहे वे उपर्युक्त शक्तियों के आनुषंगिक हों या न हो, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए अपेक्षित हों।

अध्याय–तीन

विश्वविद्यालय के अधिकारी

विश्वविद्यालय के अधिकारी

7– विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे:–

(क) कुलाधिपति,

(ख) कुलपति

(ग) वित्त अधिकारी

(घ) कुलसचिव

(ङ) परीक्षा नियंत्रक,

(च) संकायों के संकायाध्यक्ष,

(छ) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायें।

कुलाधिपति

8– (1) राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होंगे। वह अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय के प्रधान तथा सभा का सभापति होंगें और जब वह उपस्थित हो तो सभा के अधिवेशनों और विश्वविद्यालय के किसी दीक्षान्त समारोह का सभापत्तिव करेंगे।

(2) मानद उपाधि प्रदान करने का प्रत्येक प्रस्ताव कुलाधिपति की पुष्टि के अध्यधीन होगा।

(3) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि विश्वविद्यालय के प्रशासन कार्य से सम्बन्धित ऐसी जानकारी या अभिलेख, जिन्हें कुलाधिपति मांगे, प्रस्तुत करें।

(4) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियां होगी जो उसे इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा या उनके अधीन प्रदान की जाए।

कुलपति

9– (1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और वह कुलाधिपति द्वारा उन व्यक्तियों में से

नियुक्त किया जायेगा जिनके नाम उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार गठित समिति द्वारा उन्हें प्रस्तुत किये गये हों।

(2) समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात:–

(क) एक व्यक्ति (जो विश्वविद्यालय, संस्थान घटक महाविद्यालय, सहयुक्त या सम्बद्ध महाविद्यालय अथवा, छात्रनिवास या छात्रावास से सम्बन्धित न हों) जिसका निर्वाचन कार्य परिषद द्वारा किया जाना है (कुलपति की पदावधि की समाप्ति के कारण उसके पद में होने वाली रिक्ति की तारीख से कम से कम तीन मास पूर्व)।

(ख) इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक व्यक्ति, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधिपति है या रहा हो और

(ग) कुलाधिपति द्वारा नाम–निर्दिष्ट एक व्यक्ति जो समिति का संयोजक भी होगा,

परन्तु जहां कार्य परिषद खण्ड–(क) के अनुसार किसी व्यक्ति का निर्वाचन करने में असफल रहती है, वहां कुलाधिपति खण्ड–(ग) के अधीन अपने द्वारा नाम–निर्दिष्ट व्यक्ति के अतिरिक्त एक व्यक्ति को कार्य परिषद के प्रतिनिधि के बदले में नाम–निर्दिष्ट करेंगे।

(3) उपधारा (7) के अधीन पदावधि समाप्ति अथवा पदत्याग के कारण, कुलपति के पद में होने वाली रिक्ति की तारीख से यथाशक्य कम से कम साठ दिन पूर्व और जब कभी भी कुलाधिपति द्वारा अपेक्षा की जाये और ऐसी तारीख के पूर्व जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, समिति कुलाधिपति को कम से कम तीन और अधिक से अधिक पांच ऐसे व्यक्तियों के नाम प्रस्तुत करेगी जो कुलपति का पद धारण करने के उपयुक्त हों। समिति कुलाधिपति को नाम प्रस्तुत करते समय सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से प्रत्येक की शैक्षिक अर्हताएं तथा अन्य विशिष्टियों का एक संक्षिप्त विवरण भी भेजेगी किन्तु वह उसमें कोई अधिमान–क्रम उपदर्शित न करेगी।

(4) जहां कुलाधिपति समिति द्वारा सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से किसी एक या अधिक व्यक्ति को कुलपति नियुक्त किये जाने के उपयुक्त नहीं समझते हैं अथवा सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से एक या एकाधिक

व्यक्ति नियुक्ति के लिए उपलब्ध न हों और कुलाधिपति के लिए चयन करना तीन से कम व्यक्तियों तक सीमित हो जाय तो वह समिति से उपधारा (3) के अनुसार नए नामों की सूची प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेंगे।

(5) यदि समिति उपधारा (3) या उपधारा (4) में निर्दिष्ट स्थिति में कुलाधिपति द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी नाम का सुझाव देने में असफल या असमर्थ है या यदि कुलाधिपति समिति द्वारा सिफारिश किये गये नये नाम वालों में से किसी एक या अधिक को कुलपति नियुक्त किये जाने के लिए उपयुक्त नहीं समझते हैं तो कुलाधिपति शिक्षा क्षेत्र में प्रतिष्ठित तीन व्यक्तियों की एक अन्य समिति नियुक्त करेंगे जो धारा (3) के अनुसरण में किसी का नाम प्रस्तुत करेंगी।

(6) समिति का कोई या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं की जायेगी कि उसके सदस्यों में कोई रिक्ति या रिक्तियां थीं अथवा किसी ऐसे व्यक्ति ने उसकी कार्यवाहियों में भाग लिया जिसके सम्बन्ध में बाद में यह पाया जाये कि वह ऐसा करने का हकदार नहीं था।

(7) (क) केवल ऐसा व्यक्ति कुलपति के पद पर नियुक्ति के लिए अर्ह होगा जिसने पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त न की हो;

(ख) कुलपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि पर्यन्त पद धारण करेगा;

(ग) कुलपति, जिसने पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, इस रूप में दूसरी अवधि के लिए नियुक्त किये जा सकते हैं

परन्तु कुलाधिपति को सम्बोधित और स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा कुलपति अपना पद त्याग सकेगा और कुलाधिपति द्वारा ऐसा त्याग–पत्र मंजूर कर लिये जाने पर वह अपना पद धारण करने से विरत हो जायेगा।

(8) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कुलपति की उपलब्धियां तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त अवधारित करें।

(9) कुलपति राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा (33) के अधीन गठित किसी पेंशन, बीमा या भविष्य निधि के फायदे का हकदार न होगा,

परन्तु जब किसी विश्वविद्यालय अथवा किसी सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय का कोई अध्यापक अथवा अन्य कर्मचारी कुलपति नियुक्त किया जाये तो उसे उस भविष्य निधि में जिसका यह अभिदाता है, अंशदान करते रहने की अनुमति होगी और विश्वविद्यालय का अंशदान उस सीमा तक रहेगा जिस सीमा तक वह उसके कुलपति नियुक्त होने के ठीक पूर्व अंशदान करता रहा हो।

(10) निम्नलिखित किन्हीं भी परिस्थितियों में (जिनके विद्यमान होने के एक मात्र निर्णायक स्वयं कुलाधिपति होंगे) कुलाधिपति, किसी उपयुक्त व्यक्ति को छः मास से अनधिक पदावधि के लिए जैसा वह विनिर्दिष्ट करे, कुलपति के पद पर नियुक्त कर सकेंगे:–

(क) जहां कुलपति का पद छुट्टी लेने के कारण अथवा पद त्याग या पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी अन्य कारण से, रिक्त हो जाये अथवा उसका रिक्त होना सम्भाव्य हो, तो उसकी सूचना कुलसचिव द्वारा कुलाधिपति को तुरन्त दी जाएगी;

(ख) जहां कुलपति का पद रिक्त हो जाये और उसे उपधारा (1) से (5) के उपबन्धों के अनुसार सुविधा तथा शीघ्रता से भरा न सकता हो;

(ग) किसी अन्य आपात स्थिति में :

परन्तु कुलाधिपति इस उपधारा के अधीन कुलपति पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति की पदावधि को समय–समय पर बढ़ा सकेगा किन्तु इस प्रकार की ऐसी नियुक्ति की कुल पदावधि जिसके अन्तर्गत मूल आदेश में नियत अवधि भी है एक वर्ष से अधिक न हो।

(11) जब तक कि उपधारा (1) या उपधारा (5) या उपधारा (10) के अधीन नियुक्त कुलपति अपने पद का कार्यभार न संभाल ले तब तक विश्वविद्यालय का ज्येष्ठतम आचार्य, कुलपति के कर्तव्यों का भी निर्वहन करेगा।

(12) यदि कुलाधिपति की राय में कुलपति जानबूझकर इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित नहीं करता या कार्यान्वित करने से इन्कार करता है या अपने में निहित शक्तियों का दुरूपयोग करता है या यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत हो कि कुलपति का पद पर बना रहना विश्वविद्यालय के लिए अहितकर है,

तो कुलाधिपति, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह उचित समझे, आदेश द्वारा कुलपति को हटा सकते है।

(13) उपधारा (12) में निर्दिष्ट किसी जांच के विचाराधीन रहने के दौरान या ऐसी जांच को अनुध्यात करते हुए कुलाधिपति यह आदेश दे सकते है कि अग्रेतर आदेश तक:–

(क) ऐसा कुलपति, कुलपति के पद के कार्य संचालन से विरत रहेगा किन्तु उसे वह उपलब्धियां प्राप्त होती रहेंगी जिनके लिए वह अन्यथा उपधारा (8) के अधीन हकदार था;

(ख) कुलपति के पद के कार्य का सम्पादन, आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।

अधिकारियों की शक्तियाँ तथा कर्तव्य

10– विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी, कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक, संकायाध्यक्ष तथा अन्य अधिकारियों की शक्तियां तथा कर्तव्य ऐसी होंगी, जैसी निर्धारित की जाएं।

अध्याय–चार

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

11– विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे –

(क) कार्य परिषद,

(ख) सभा,

(ग) विद्या परिषद,

(घ) वित्त समिति,

(ड) संकाय,

(च) प्रवेश समिति,

(छ) परीक्षा समिति, और

(ज) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी होने के लिये घोषित किये जाएं।

कार्य परिषद का गठन

12–(1) कार्य परिषद में निम्नलिखित होंगे :–

(क) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा,

(ख) विश्वविद्यालय के परिनियमों द्वारा यथा विहित रूप में चक्रानुक्रम से दो संकायों के संकायाध्यक्ष,

(2) (क) विश्वविद्यालय के दो आचार्य जो उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी संकायाध्यक्ष से भिन्न हों, दो उपाचार्य और दो प्राध्यापक, जिनका चयन ऐसी रीति से किया जाय जैसी विहित की जाय।

(ख) किसी सहयुक्त महाविद्यालय का एक प्राचार्य जिसका चयन ऐसी रीति से किया जाय जैसी विहित की जाय।

(3) सभा के सदस्यों द्वारा उन व्यक्तियों में से चुने गये चार व्यक्ति जो विश्वविद्यालय या संस्थान या किसी संस्थान या घटक महाविद्यालय या किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय अथवा छात्र निवास हाल या छात्रावास में छात्र के रूप में नामांकित न हों या उनकी सेवा में न हों,

(4) (क) कुलाधिपति द्वारा नाम–निर्दिष्ट किये जाने वाले शैक्षणिक प्रतिष्ठा के चार व्यक्ति :

(ख) ऐसे प्रख्यात उद्योगपतियों में से नाम–निर्दिष्ट किया जाने वाला एक व्यक्ति जिसने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया हो।

परन्तु इस प्रकार नाम–निर्दिष्ट किये गये व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जो मा0 उच्चतम न्यायालय या मा0 उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो।

(5) सदस्यों का कार्यकाल ऐसा होगा कि जैसा कि विश्वविद्यालय के परिनियमों और अध्यादेशों में विनिर्दिष्ट हो।

(6) कोई भी व्यक्ति, कार्य परिषद का लगातार दो से अधिक अवधि के लिए सदस्य न होगा।

(7) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी व्यक्ति को तब तक कार्य परिषद के सदस्य के रूप निर्वाचित या नाम-निर्दिष्ट नहीं किया जायेगा जब तक कि वह स्नातक न हो।

(8) कोई भी व्यक्ति कार्य परिषद का सदस्य चुने जाने और बने रहने के लिए अनर्ह होगा यदि वह या उसका सम्बन्धी विश्वविद्यालय में अथवा उसके निमित्त किसी काम के लिए कोई पारिश्रमिक अथवा विश्वविद्यालय को माल की आपूर्ति करने की या उसके निमित्त किसी कार्य का निष्पादन करने की कोई संविदा स्वीकार करता है:

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी अध्यापक द्वारा इस रूप में अथवा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी परीक्षा के सम्बन्ध में किन्हीं कर्तव्यों का पालन करने के लिए अथवा किसी प्रशिक्षण इकाई या किसी छात्र निवास या छात्रावास के अधीक्षक या वार्डन अथवा प्राक्टर या ट्यूटर के रूप में किन्हीं कर्तव्यों के लिए अथवा विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में तत्सदृश किन्हीं कर्तव्यों के लिए कोई पारिश्रमिक स्वीकार करने पर लागू न होगी।

स्पष्टीकरण – इस धारा में, "नातेदार" का तात्पर्य कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा–6 में परिभाषित नातेदारों से है और इसके अन्तर्गत पत्नी (या पति) का भाई, पत्नी (या पति) का पिता, पत्नी (या पति) की बहिन, भतीजा और भतीजी, भी है।

कार्य परिषद की शक्तियां और कर्तव्य

13– (1) कार्य परिषद विश्वविद्यालय की मुख्य कार्य निकाय होगी और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उसकी निम्नलिखित शक्तियां होगी, अर्थात –

(एक) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा निधियों को धारण करना और उन पर नियंत्रण रखना;

(दो) विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति का अर्जन या अन्तरण करना;

(तीन) परिनियमों तथा अध्यादेशों को बनाना, संशोधित करना या निरस्त करना;

(चार) विशिष्ट प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के व्ययाधिकार में रखी गई किसी निधि का प्रशासन करना;

(पांच) विश्वविद्यालय का बजट तैयार करना;

(छः) परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार छात्रवृत्तियां, अभिछात्र वृत्तियां, निर्धन छात्रवृत्तियां, पदक तथा अन्य पारितोषिक प्रदान करना;

(सात) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करना और उनके कर्तव्यों तथा उनकी सेवा की शर्तों को परिभाषित करना और उनके पदों की अस्थायी आकस्मिक रिक्तियों को भरने की व्यवस्था करना;

(आठ) परीक्षकों की फीस, उपलब्धियां तथा यात्रा तथा अन्य भत्ते नियत करना,

(नौ) किसी महाविद्यालय को सम्बद्धता या मान्यता के विशेषाधिकारों को प्रदान करना;

(दस) संस्थानों, सम्बद्ध, सहयुक्त या घटक महाविद्यालयों, छात्र–निवास, छात्रावासों तथा छात्रों के अन्य निवास स्थानों के निरीक्षण का प्रबन्ध करना और निदेश देना,

(ग्यारह) विश्वविद्यालय की सामान्य मुहर के आकार तथा प्रयोग के सम्बन्ध में निदेश देना,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(बारह) विश्वविद्यालय के अध्यापक वर्ग, प्रशासकीय वर्ग तथा अन्य कर्मचारीवर्ग के सदस्यों के बीच अनुशासन को परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार विनियमित तथा प्रवर्तित करना;

(तेरह) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखों, विनिधानों, सम्पत्ति, कारोबार तथा अन्य सभी प्रशासकीय कार्य–कलापों का प्रबन्ध और विनियमन करना, और उक्त प्रयोजन के लिए ऐसे अभिकर्ता नियुक्त करना, जिन्हें वह ठीक समझे;

(चौदह) विश्वविद्यालय के किसी धन को विनिधानित करना;

(पन्द्रह) विश्वविद्यालय के कार्य करने के लिए आवश्यक भवनों, परिसरों, फर्नीचर तथा साधित्र और अन्य साधनों की व्यवस्था करना;

(सोलह) विश्वविद्यालय की ओर से संविदा करना, उनमें परिवर्तन करना, उन्हें कार्यान्वित और निरस्त करना;

(सत्रह) इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार विश्वविद्यालय तथा घटक सम्बद्ध और सहयुक्त महाविद्यालय से सम्बन्धित अन्य सभी विषयों को विनियमित और निर्धारित करना।

(2) राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना कार्य परिषद, बन्धक, विक्रय, विनियम, दान या अन्यथा विश्वविद्यालय की किसी स्थावर सम्पत्ति का (सिवाय साधारण प्रबन्धन के अनुक्रम में मासानुमास किराये पर देने के) न तो अन्तरण करेगी और न, सिवाय राज्य सरकार से विश्वविद्यालय के लिए कोई सहायक अनुदान प्राप्त होने की शर्त के रूप मे अथवा राज्य सरकार की पूरी मंजूरी के किसी अन्य व्यक्ति से उसकी प्रतिभूति पर कोई धन उधार या अग्रिम लेगी।

(3) राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त किये बिना कोई ऐसा व्यय उपगत नहीं किया जायेगा जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम या परिनियमों अथवा अध्यादेशों द्वारा ऐसा अनुमोदन अपेक्षित हो, और राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के सिवाय कोई भी पद विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा पोषित किसी भी संस्थान अथवा घटक महाविद्यालय में सृजित नही किया जाएगा (अथवा सिवाय उन निर्देशों के जो राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेष रूप से दिये गये हों)।

(4) कार्य परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक का स्वीकृत संख्या के अतिरिक्त पद इस दृष्टि से सृजित कर सकती है कि ऐसा अध्यापक, जो तत्समय भारत या विदेश में शिक्षा के प्रशासन या इसी प्रकार के अन्य समनुदेशन में राष्ट्रीय महत्व के किसी उत्तरदायी पद पर हो, ऐसे अध्यापक के रूप में परिनियमों के अनुसार अपना लीएन (धारणाधिकार) और ज्येष्ठता बनाये रख सके और साथ ही अपने कर्तव्यभार की अवधि में पूर्ववत् अपने वेतनमान में वेतन वृद्धियां अर्जित कर सके और भविष्य निधि में अंशदान कर सके और सेवानिवृत्ति के लाभ, यदि कोई हों, प्राप्त कर सके;

परन्तु ऐसे कर्तव्यभार की अवधि के लिए ऐसे अध्यापक को विश्वविद्यालय द्वारा कोई वेतन देय नहीं होगा।

(5) विश्वविद्यालय या किसी संस्थान अथवा घटक महाविद्यालय या कोई सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य भत्ते वही होंगे जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किये जायें।

(6) कार्य परिषद प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय के लिए वित्त समिति द्वारा नियत सीमा से अधिक व्यय उपगत नहीं करेगी।

(7) विद्या परिषद और सम्बद्ध संकायों के बोर्डो के परामर्श पर विचार किये बिना कार्य परिषद, अध्यापकों की संख्या, अर्हताओं तथा उपलब्धियों और परीक्षकों को संदेय फीस के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं करेगी।

(8) कार्य परिषद सभा के प्रत्येक संकल्प पर सम्यक् रूप से विचार करेगी और उस पर ऐसी कार्यवाही करेगी जिसे वह ठीक समझे और सभा को, यथास्थिति, की गई कार्यवाही या संकल्प स्वीकार न करने के कारणों की रिपोर्ट देगी।

(9) कार्य परिषद परिनियमों में अधिकथित किन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी को अथवा अपने द्वारा नियुक्त किसी समिति को, अपनी कोई शक्ति, जिसे वह ठीक समझे प्रत्यायोजित कर सकेगी।

उत्तर प्रदेश शासन

14– (1) सभा में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात :– धारा

वर्ग–एक पदेन सदस्य

(एक) कुलाधिपति, जो अध्यक्ष होंगे।

(दो) कार्य परिषद के सदस्य,

(तीन) वित्त अधिकारी

वर्ग–दो आजीवन सदस्य

(चार) किसी विद्यमान विश्वविद्यालय की दशा में प्रत्येक व्यक्ति, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व सभा या नियामक सभा (सीनेट) का आजीवन सदस्य था,

वर्ग–तीन अध्यापकों आदि के प्रतिनिधि

(पांच) विश्वविद्यालय तथा उसके द्वारा पोषित घटक महाविद्यालयों के सभी विभागाध्यक्ष;

(छः) विश्वविद्यालय और उसके घटक महाविद्यालय तथा संस्थानों के छात्रावासों और छात्र निवास के प्रोवोस्टों तथा वार्डनों के दो प्रतिनिधि जिनका चयन चक्रानुक्रम से, ऐसी रीति से किया जाय जैसी विहित की जाय,

(सात) पन्द्रह अध्यापक जिनका चयन, ऐसी रीति से किया जाय जैसी विहित की जाय;

(आठ) सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों के प्रबन्ध मण्डल के दो प्रतिनिधि, जिनका चयन चक्रानुक्रम से ऐसी रीति से किया जाय जैसी विहित की जाय;

वर्ग–चार रजिस्ट्रीकृत स्नातक

(नौ) रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के पन्द्रह प्रतिनिधि, जो ऐसी अवस्थिति के रजिस्ट्रीकृत स्नातकों द्वारा जैसी विहित की जाय, ऐसे रजिस्ट्रीकृत स्नातकों में से निर्वाचित किये जाएंगे जो विश्वविद्यालय या किसी संस्थान या घटक महाविद्यालय, की सेवा में न हो अथवा सम्बद्ध महाविद्यालय में, सहयुक्त महाविद्यालय छात्र–निवास या छात्रावास की सेवा में अथवा उसके प्रबन्ध से सम्बद्ध न हो,

वर्ग–पांच छात्रों का प्रतिनिधित्व

(दस) प्रत्येक संकाय का एक छात्र जो उस संकाय में, विश्वविद्यालय के पूर्ववर्ती उपाधि परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करने के पश्चात, विश्वविद्यालय में किसी स्नातकोत्तर उपाधियों के शिक्षा पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहा हो,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वर्ग–छह राज्य विधान मण्डल के प्रतिनिधि

(ग्यारह) विधान परिषद के दो सदस्य, जिनका चयन उसके द्वारा किया जाय;

(बारह) विधान सभा के पांच सदस्य, जिनका चयन उसके द्वारा किया जाय।

(2) उपधारा (1) में वर्णित वर्ग एक, दो और पांच के सिवाय प्रत्येक वर्ग के सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी और उक्त वर्ग 5 के सदस्यों की पदावधि एक वर्ष होगी।

सभा की शक्तियां तथा कर्तव्य

15– सभा एक सलाहकार निकाय होगी, और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उसकी निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात –

(क) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों एवं उसके कार्यक्रमों का समय–समय पर पुनर्विलोकन करना और विश्वविद्यालय के सुधार तथा विकास के लिए उपायों का सुझाव देना;

(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखों तथा उनकी संपरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना;

(ग) कुलाधिपति को किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में जो उन्हें सलाह के लिए निर्दिष्ट किये जाएं, सलाह देना; और

(घ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना तथा कृत्यों का सम्पादन करना जो उसे इस अधिनियम या परिनियमों अथवा कुलाधिपति द्वारा सौंपे जाएं।

सभा का अधिवेशन

16– (1) सभा का अधिवेशन वर्ष में एक बार ऐसी तारीख को होगा जो कुलपति द्वारा नियत की जाती है और ऐसा अधिवेशन सभा का वार्षिक अधिवेशन कहलाएगा।

(2) कुलपति, जब कभी वह ठीक समझे, सभा का विशेष अधिवेशन बुला सकेगा, और सभा के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर से लिखित अध्यपेक्षा पर सभा का विशेष अधिवेशन बुलाएगा।

विद्या परिषद

17– (1) विद्या परिषद विश्वविद्यालय की मुख्य विद्या निकाय होगी और इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए –

(क) विश्वविद्यालय में दिये जाने वाले शिक्षण, शिक्षा और किये जाने वाले अनुसंधान कार्य के स्तर को बनाए रखने

के लिए उत्तरदायी होगी और उसका नियंत्रण और सामान्य विनियमन करेगी;

(ख) विद्या सम्बन्धी समस्त विषयों पर, जिनके अन्तर्गत विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित परीक्षाओं से सम्बन्धित विषय भी हैं, कार्य परिषद को सलाह दे सकेगी, और

(ग) उसकी ऐसी अन्य शक्तियां तथा कर्तव्य होगें जो उसे परिनियमों द्वारा प्रदत्त हों या उस पर अधिरोपित किये जाएं।

(2) विद्या परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात –

(एक) कुलपति, जो अध्यक्ष होगा;

(दो) सभी संकायों के संकायाध्यक्ष;

(तीन) विश्वविद्यालय के सभी विभागाध्यक्ष;

(चार) विश्वविद्यालय के ऐसे सभी आचार्य जो विभागाध्यक्ष न हों;

(पांच) घटक महाविद्यालयों के प्राचार्य तथा संस्थानों के निदेशक;

(छः) प्रत्येक घटक महाविद्यालय से (यदि कोई हों) चक्रानुक्रम से, ज्येष्ठता क्रम में जो विहित रीति में अवधारित की जाए, दो आचार्य;

(सात) सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों के तीन प्राचार्य, जिनका विहित रीति में चक्रानुक्रम से, चयन किया जाए;

(आठ) पन्द्रह अध्यापक, जिनका विहित रीति से चयन किया जाय;

(नौ) विश्विविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष; और

(दस) शिक्षा क्षेत्र में प्रख्यात पांच व्यक्ति जो विहित रीति से सहयोजित किये जाएंगे।

(3) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी जैसी विहित की जाए।

वित्त समिति 18– (1) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे :–

(क) कुलपति, जो अध्यक्ष होगा;

(ख) राज्य सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग का सचिव;

(ग) राज्य सरकार के वित्त विभाग का सचिव;

(घ) कुलसचिव;

(ङ) परीक्षा नियंत्रक;

(च) कार्य परिषद द्वारा निर्वाचित एक ऐसा व्यक्ति जो कार्य परिषद या विद्या परिषद का सदस्य या विश्वविद्यालय या किसी संस्थान या घटक महाविद्यालय में सेवा करने वाला व्यक्ति या किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति का सदस्य या ऐसे महाविद्यालय की सेवा करने वाला व्यक्ति न हो; और

(छ) वित्त अधिकारी, जो समिति का सचिव भी होगा।

(2) उपधारा–(1) के खण्ड–(ख) एवं खण्ड–(ग) में निर्दिष्ट कोई सदस्य वित्त समिति की किसी बैठक में स्वयं भाग लेने के बजाय राज्य सरकार के संयुक्त सचिव से अनिम्न पद के किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति कर सकता है और इस प्रकार प्रतिनियुक्ति अधिकारी को मत देने का भी अधिकार होगा।

(3) वित्त समिति, कार्य परिषद को विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा निधियों के प्रशासन से सम्बद्ध विषयों पर सलाह देगी। यह विश्वविद्यालय की आय और साधनों को ध्यान में रखते हुए आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कुल आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय की सीमा नियत करेगी और किसी विशेष कारण से, वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रकार नियत व्यय की सीमा को पुनरीक्षित कर सकेगी और इस प्रकार नियत सीमा कार्य परिषद पर आबद्धकर होगी।

(4) वित्त समिति की ऐसी अन्य शक्तियां तथा कर्तव्य होंगे जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त हों अथवा उस पर अधिरोपित किये जाएं।

(5) जब तक वित्तीय निहितार्थ वाले किसी प्रस्ताव की वित्त समिति द्वारा सिफारिश न की जायं, कार्य परिषद इस पर कोई विनिश्चय नहीं करेंगी और यदि कार्य परिषद, वित्त समिति की सिफारिशों से असहमत हो तो वह निर्दिष्ट प्रस्ताव को अपने असहमति के कारणों के साथ वित्त समिति को वापस करेगी और यदि कार्य परिषद पुनः वित्त समिति की सिफारिशों से असहमत हो तो मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

संकाय

19.– (1) विश्वविद्यालय में ऐसे संकाय होंगे जैसे विहित किए जाएं।

(2) प्रत्येक संकाय में अध्यापन के ऐसे विभाग होंगे जैसे विहित किए जाएं और प्रत्येक विभाग में ऐसे पाठ्य विषय होंगे जो उसे अध्यादेश द्वारा सौंपे जाएं।

(3) प्रत्येक संकाय का एक बोर्ड होगा, जिसका गठन (जिसके अन्तर्गत उसके सदस्यों की पदावधि भी है) तथा शक्तियां और कर्तव्य वहीं होगें जो विहित किए जाएं।

(4) प्रत्येक संकाय का एक संकायाध्यक्ष होगा जो आचार्यों में से, चक्रानुक्रम से, ज्येष्ठता क्रम में चुना जाएगा और तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

(5) संकायाध्यक्ष संकाय के बोर्ड का अध्यक्ष होगा और वह –

(क) संकाय के विभागों में अध्यापन तथा अनुसंधान कार्यों के संगठन तथा संचालन; तथा

(ख) संकाय से सम्बन्धित परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के सम्यक् पालन के लिए उत्तरदायी होगा।

(6) विश्वविद्यालय के प्रत्येक अध्यापन विभाग में एक विभागाध्यक्ष होगा, जिसकी नियुक्ति परिनियमों द्वारा विनियमित की जायेगी।

(7) विभागाध्यक्ष अपने विभाग में अध्यापन के संगठन के लिए संकायाध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होगा और उसकी ऐसी अन्य शक्तियां तथा कर्तव्य होगे जो अध्यादेशों में उपबन्धित किये जाए।

(8) विभिन्न पाठ्य विषयों के सम्बन्ध में अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुसार, अध्ययन बोर्डों को गठित किया जायेगा और एक अध्ययन बोर्ड को एक से अधिक विषय सौंपे जा सकेंगे।

20– (1) विश्वविद्यालय की एक प्रवेश समिति होगी, जिसका गठन इस प्रकार होगा जैसा अध्यादेशों में उपबन्धित किया जाय। प्रवेश समिति

(2) प्रवेश समिति को उतनी उप–समितियां नियुक्त करने की शक्ति होगी जितनी वह ठीक समझे,

(3) विद्या परिषद के अधीक्षणाधीन रहते हुए प्रवेश समिति विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश की नीतियों को शासित करने वाले सिद्धान्तों या प्रतिमानों को अधिकथित करेगी और विश्वविद्यालय द्वारा पोषित संस्थान या घटक विश्वविद्यालय में किसी पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में प्रवेश प्राधिकारी के रूप में किसी व्यक्ति या उपसमिति को भी नामनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(4) इस धारा के उपबन्धों का उल्लंघन करके किसी महाविद्यालय में प्रविष्ट किसी छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी, और ऐसा उल्लंघन करके दिये गये किसी प्रवेश को रद्द करने की कुलपति को शक्ति होगी।

परीक्षा समिति

21– (1) विश्वविद्यालय में एक परीक्षा समिति होगी जिसका गठन इस प्रकार होगा जैसे अध्यादेशों में उपबन्धित किया जाय।

(2) परीक्षा समिति, साधारणतया विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाओं का जिसके अन्तर्गत अनुसीमन तथा सारणीकरण भी है, पर्यवेक्षण करेगी, और निम्नलिखित अन्य कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात :–

(क) परीक्षकों तथा अनुसीमकों को नियुक्त करना तथा यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना;

(ख) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के परिणामों का समय–समय पर पुनर्विलोकन करना और उनके बारे में विद्या परिषद को रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(ग) परीक्षा की पद्धति में सुधार के लिए विद्या परिषद से सिफारिश करना;

(घ) अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्तावित परीक्षकों की सूची की संवीक्षा करना, उसे अन्तिम रूप देना और विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणामों की घोषणा करना।

(3) परीक्षा समिति उतनी उप–समितियां नियुक्त कर सकेगी जितनी वह ठीक समझे और विशिष्टतया किसी एक या अधिक शक्तियों अथवा उप–समितियों को परीक्षार्थियों द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग करने से सम्बन्धित मामलों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने तथा उन पर विनिश्चय करने की शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगी।

(4) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी परीक्षा समिति या, यथास्थिति, किसी उप–समिति या किसी व्यक्ति के लिए, जिसे परीक्षा समिति ने उपधारा (3) के अधीन इस निमित्त अपनी शक्ति का प्रत्यायोजन किया हो, विश्वविद्यालय की भावी परीक्षाओं से किसी परीक्षार्थी को विवर्जित करना विधिपूर्ण होगा, यदि उसकी राय में ऐसा परीक्षार्थी किसी परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करने का दोषी है।

अन्य प्राधिकारी

22– विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन, उनकी शक्तियां तथा कर्तव्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाएं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अध्याय–पांच

विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा की शर्तें

23– विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी सेवा की निबन्धन एवं शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जांय। अध्यापकों की नियुक्ति

अध्याय–छः

सम्बद्धता

24– (1) यह धारा महाविद्यालयों पर लागू होगी। महाविद्यालयों की सम्बद्धता

(2) कार्य परिषद, कुलाधिपति की पूर्व मंजूरी से, सम्बद्धता की ऐसी शर्तों को जैसी विहित की जाएं पूरा करने वाले महाविद्यालय को सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान कर सकेगी अथवा पहले से ही सम्बद्ध किसी महाविद्यालय के विशेषाधिकार को बढ़ा सकेगी या किसी ऐसे विशेषाधिकार को वापस ले सकेगी या उसमें कमी कर सकेगी।

(3) किसी महाविद्यालय के लिये, उसी स्थानीय क्षेत्र में स्थित किसी अन्य महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के अध्यापन या अनुसंधान कार्य में सहयोग प्राप्त करने की व्यवस्था करना विधिपूर्ण होगा।

(4) इस अधिनियम द्वारा यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी महाविद्यालय का प्रबन्धतंत्र, महाविद्यालय के कार्यकलापों का प्रबन्ध और नियंत्रण करने के लिये स्वतंत्र होगा और उसके पोषण तथा रखरखाव के लिये उत्तरदायी होगा और उसका प्राचार्य उसके छात्रों में अनुशासन बनाये रखने तथा उसके कर्मचारिवृन्द पर अधीक्षण तथा नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होगा।

(5) प्रत्येक महाविद्यालय ऐसी रिपोर्ट, विवरणियां तथा अन्य विशिष्टियां प्रस्तुत करेगा जिन्हें कार्य परिषद या कुलपति मांगे।

(6) कार्य परिषद, प्रत्येक महाविद्यालय का, अपने द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत एक या एकाधिक व्यक्तियों से समय–समय पर पांच वर्ष से अनधिक अन्तरालों पर निरीक्षण करायेगी और निरीक्षण की रिपोर्ट कार्य परिषद को भेजी जायेगी।

(7) कार्य परिषद, इस प्रकार निरीक्षित किसी महाविद्यालय को ऐसी अवधि के भीतर जैसी विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसी कार्यवाही करने का निदेश दे सकेगी जो उसे आवश्यक प्रतीत हो।

(8) कार्य परिषद द्वारा किसी ऐसे महाविद्यालय की सम्बद्धता का विशेषाधिकार जो उपधारा (7) के अधीन कार्य परिषद के किसी निदेश का अनुपालन करने में अथवा सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करने में असफल हो, महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र से उस विषय पर रिपोर्ट लेने के बाद कुलाधिपति की पूर्व मंजूरी से विनियमों के उपबन्धों के अनुसार वापस लिया जा सकेगा या कम किया जा सकेगा।

(9) उपधारा (2) एवं (8) में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी विद्यालय का प्रबन्धतंत्र, सम्बद्धता की शर्तें पूरी करने में असफल रहा है तो कुलाधिपति, प्रबन्धतंत्र और कुलपति से रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् सम्बद्धता के विशेषाधिकार को वापस ले सकेगा या उसमें कमी कर सकेगा।

प्रबन्धतंत्र की सदस्यता के लिए अनर्हता

25– कोई भी व्यक्ति, (केवल राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पोषित महाविद्यालय से भिन्न) किसी महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र का सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिए निरर्हित होगा, यदि वह अथवा उसका सम्बन्धी ऐसे महाविद्यालय में अथवा उसके निमित्त किसी काम के लिए कोई पारिश्रमिक अथवा ऐसे महाविद्यालय को माल का प्रदाय करने के लिए अथवा उसके निमित्त किसी संकर्म का निष्पादन करने के लिये कोई संविदा स्वीकार करता है।

निरीक्षण एवं जांच

26– (1) राज्य सरकार को किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जैसा वह निदेश दे, किसी महाविद्यालय के, जिसके अन्तर्गत उसका भवन, प्रयोगशाला तथा उपस्कर भी है और महाविद्यालय द्वारा संचालित या ली गई परीक्षा, अध्यापन कार्य तथा अन्य काम का निरीक्षण कराने अथवा ऐसे महाविद्यालय के प्रशासन अथवा वित्त से सम्बन्धित किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में जांच कराने का अधिकार होगा।

(2) यदि राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच कराने का निश्चय करें तो वह उसकी सूचना महाविद्यालय के प्रबन्ध तंत्र को देगी और प्रबन्धतंत्र द्वारा नियुक्त एक प्रतिनिधि तथा यदि प्रबन्धतंत्र कोई प्रतिनिधि नियुक्त करने में असफल रहे तो महाविद्यालय का प्राचार्य ऐसे निरीक्षण या जांच के समय उपस्थित हो सकता है और उसे प्रबन्धतंत्र की ओर से सुनवाई का अधिकार होगा, किन्तु ऐसे निरीक्षण या जांच के समय महाविद्यालय की ओर से कोई विधि व्यवसायी न तो उपस्थित होगा, न अभिवचन करेगा और न कोई कार्य करेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच कराने के लिये नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद पर विचार करते समय शपथ पर साक्ष्य लेने और साक्षियों के उपस्थित होने के लिये तथा दस्तावेजों और सारवान् वस्तुओं को प्रस्तुत करने के लिये मजबूर करने के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होगीं और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 तथा 46 के अर्थान्तर्गत सिविल न्यायालय समझा जायेगा और उसके या उनके समक्ष कोई भी कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता की धारा–193 और 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी।

(4) राज्य सरकार महाविद्यालय प्रबन्धतंत्र को ऐसे निरीक्षण या जांच का परिणाम संसूचित कर सकेगी और किये जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में निदेश दे सकेगी और प्रबन्धतंत्र ऐसे निदेशों का तत्काल अनुपालन करेगा।

(5) राज्य सरकार उपधारा (4) के अधीन प्रबन्धतंत्र को दी गयी किसी संसूचना के बारे में कुलपति को जानकारी देगी और कुलपति कार्य–परिषद को राज्य सरकार के दृष्टिकोण और उस पर की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में राज्य, सरकार द्वारा दी जाने वाली सलाह को संसूचित करेगा।

(6) तत्पश्चात, कुलपति ऐसे समय के भीतर जैसा कि राज्य सरकार समय निश्चित करें, उस अवधि के अन्दर कार्यकारी परिषद द्वारा की गयी कार्यवाही या की जाने वाली कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी।

(7) यदि राज्य सरकार की संतुष्टि हेतु विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा निश्चित समय में कार्यवाही नहीं की जाती है तो राज्य सरकार ऐसे किसी स्पष्टीकरण पर जिसे विश्वविद्यालय के प्राधिकारी प्रस्तुत करे, विचारोपरान्त ऐसे निर्देश दे सकती है जैसा वह उचित समझे और विश्वविद्यालय के प्राधिकारी ऐसे निर्देश से बाध्य होंगे।

(8) राज्य सरकार महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र अथवा प्राचार्य से ऐसे निरीक्षण या जांच के सम्बन्ध में कोई जानकारी किसी भी समय मांग सकेगी।

महाविद्यालय में प्रवेश पाने के लिये कोई दान आदि प्रभारित करने पर रोक

27– किसी महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र से सम्बन्धित कोई व्यक्ति और उसका कोई प्राचार्य या अन्य अध्यापक या अन्य कर्मचारी ऐसे महाविद्यालय में प्रवेश देने या प्रवेश के पश्चात् पूर्ववत् रहने की अनुज्ञा देने की शर्त के रूप में किसी छात्र से अथवा उसकी ओर से विनियमों में निर्धारित दर पर फीस के सिवाय, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, कोई अंशदान, दान, फीस या किसी प्रकार का कोई अन्य संदाय, चाहे वह नगद हो या वस्तु रूप में न लेगा न प्राप्त करेगा और न लेने या प्राप्त करने देगा।

अध्याय–सात

परिनियम एवं अध्यादेश

परिनियम कैसे बनाये जायेंगे

28– (1) विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा बनाये जायेंगे।

(2) कार्य परिषद समय–समय पर नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमो में संशोधन या उन्हें निरस्त कर सकेगी :

परन्तु यह कि कार्य परिषद विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्रस्थिति, शक्तियों या गठन को प्राभावित करने वाला कोई परिनियम तब तक नहीं बनायेगी, उसका संशोधन नहीं करेगी या उसका निरसन नहीं करेगी जब तक ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तावित परिवर्तनों पर अपनी राय लिखित रूप से अभिव्यक्त करने का युक्ति–युक्त अवसर न दे दिया गया हो और इस प्रकार अभिव्यक्त किसी राय पर कार्य परिषद द्वारा विचार न किया गया हो।

(3) पूर्ववर्ती उपधाराओं में दी गयी किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार, अध्ययन, अध्यापन या अनुसंधान के हित में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के किसी सुझाव या सिफारिश या राज्य या राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर अपने द्वारा दिये गये किसी विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिये कार्य परिषद से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नये या अतिरिक्त परिनियम बनाने या उपधारा (1) में या उपधारा (2) में निर्दिष्ट परिनियमों को संशोधित करने या निरसित करने की अपेक्षा कर सकेगी और यदि कार्य परिषद ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन करने में विफल रहे तो राज्य सरकार नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी या उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट परिनियम का संशोधन या निरसन कर सकेगी।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(4) इस अधिनियम के उपबन्धो के अधीन रहते हुए परिनियम में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी विषय के लिए उपबन्ध किए जा सकेंगे और विशिष्टतया निम्नलिखित के लिए उपबन्ध किए जायेगे।

(क) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियां और कर्तव्य,

(ख) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, तथा अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिये पेन्शन या भविष्य निधि का गठन अथवा बीमा योजना की स्थापना,

(ग) सम्मानार्थ उपाधियों का प्रदान किया जाना,

(घ) उपाधियां और अन्य शैक्षिक विशिष्टियों को वापस लेना,

(ङ) वे शर्तें जिनके अधीन महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान किया जाए और वे शर्तें जिनके अधीन कोई ऐसा विशेषाधिकार वापस लिया जा सके,

(च) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधियां तथा अन्य शैक्षिक विशिष्टियों और उनके लिये अर्हतायें और उसे प्रदान करने या प्राप्त करने के सम्बन्ध में ली जाने वाली धनराशि,

(छ) विश्वविद्यालय में अध्ययन पाठ्यक्रम के लिये और परीक्षा में प्रवेश, उपाधियों और विश्वविद्यालय की अन्य शैक्षिक विशिष्टियों के लिये ली जाने वाली फीस,

(ज) छात्रवृत्तियों, अधिछात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदकों तथा पारितोषिकों को प्रदान करने की शर्तें,

(झ) परीक्षाओं का संचालन जिनके अन्तर्गत परीक्षण निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों के पद की शर्तें और उनके नियुक्ति की रीति और कर्तव्य भी हैं,

(ञ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों (कुलाधिपति को छोड़कर) और कर्मचारियों को हटाने की शक्ति और उनकी परिलब्धियां और सेवा के निबन्धन और शर्तें,

(ट) अन्य सभी विषय जो इस अधिनियम द्वारा परिनियमों में उपबन्धित किये जाने हों या किये जा सकेंगे।

अध्यादेश बनाने की शक्ति

29– (1) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अध्यादेशों को कार्य परिषद द्वारा बनाया जायेगा जिसमें निम्नलिखित समस्त या उनमे से किसी विषय के लिये उपबन्ध किये जा सकेंगे, अर्थात :–

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और इस रूप में उनका नामांकन,

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाणपत्रों के लिये अधिकथित किये जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम,

(ग) अनुदेश और परीक्षा का माध्यम,

(घ) उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाण-पत्रों और अन्य शैक्षिणिक विशिष्टियां प्रदान करना, और उनकी अर्हतायें निर्धारित करना और उन्हें प्रदान किये जाने और प्राप्त करने के सम्बन्ध में किये जाने वाले माध्यम,

(ङ) विश्वविद्यालय में अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिये परीक्षाओं में प्रवेश और विश्वविद्यालय की उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाण पत्रों के लिये प्रभारित की जाने वाली फीस,

(च) अधिछात्रवृत्तियां, छात्रवृत्तियां, विद्यावृत्तियां,, पदकों और पारितोषिकों को प्रदान करने की शर्तें,

(छ) परीक्षाओं का संचालन जिसके अन्तर्गत परीक्षा निकायों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और परीक्षकों और अनुसीमकों के कर्तव्य भी हैं,

(ज) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें,

(झ) महिला छात्राओं के निवास, अनुशासन और अध्यापन के लिये बनायी जाने वाली विशेष व्यवस्थायें, यदि कोई हो, और उनके लिये विश्वविद्यालय के भीतर विशेष अध्ययन पाठ्यक्रमों को विहित करना,

(ञ) ऐसे कर्मचारियों जिनके लिये परिनियम में उपबन्ध किया गया हो, से भिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति और परिलब्धियां,

(ट) अध्ययन केन्द्रों, अध्ययन बोर्डों, अन्तर्शास्त्रीय अध्ययन, विशिष्टि केन्द्रों, विशिष्टि प्रयोगशालाओं और अन्य समितियों की स्थापना,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(ठ) अन्तर्गत विद्वत निकाय और संघों को सम्मिलित करते हुए अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकरणों के साथ सहयोग और सहभागिता

(ड) किसी ऐसे अन्य निकाय जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन के सुधार के लिए आवश्यक समझी जाय, के सृजन संरचना और कृत्य,

(ढ) परीक्षकों, अनुसीमकों, अन्तरीक्षकों और सारणीकारों को भुगतान किये जाने वाले पारिश्रमिक,

(ण) अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारीवृन्द की सेवा की ऐसी अन्य निबन्धन और शर्तें जो परिनियमों द्वारा विहित न किये गये हों,

अध्याय–आठ

वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा

वार्षिक प्रतिवेदन

30– (1) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन, कार्य परिषद के निदेशों के अधीन तैयार किया जायेगा जिसके अन्तर्गत अन्य विषयों के साथ, विश्वविद्यालय द्वारा उसके उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में किये गये उपाय होंगे।

(2) इस प्रकार तैयार किया गया वार्षिक प्रतिवेदन कुलाधिपति को ऐसे दिनांक को या इसके पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा जो विहित किया जाए।

(3) उपधारा (1) के अधीन तैयार किये गये वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि राज्य सरकार को भी प्रस्तुत की जायेगी।

लेखा तथा लेखा परीक्षा

31– (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलनपत्र कार्य परिषद के निदेशों के अध्यधीन तैयार किये जायेंगे और निदेशक, स्थानीय निधि, लेखा, उत्तर प्रदेश या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें राज्य सरकार इस निमित्त प्राधिकृत करें, प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार और पन्द्रह मास से अनधिक के अन्तरालों पर उनकी लेखा परीक्षा की जायेगी।

(2) वार्षिक लेखा और तुलनपत्र की एक प्रति उस पर लेखा परीक्षा के प्रतिवेदन सहित राज्य सरकार को कार्य परिषद के संप्रेक्षणों, यदि कोई हों, के साथ प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर के पूर्व प्रस्तुत की जायेगी।

(3) वार्षिक लेखाओं पर राज्य सरकार द्वारा किये गये संप्रेक्षण कार्य परिषद के ध्यान में लाये जायेंगे और ऐसे संप्रेक्षणों पर कार्य परिषद के विचार यदि कोई हो, राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जायेंगे।

अधिभार

32– (1) जब कभी राज्य सरकार को विश्वविद्यालय के किसी धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय, या दुरूपयोजन के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हो या राज्य सरकार स्वयं उपयुक्त समझे तो वह निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश या उसके किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा विश्वविद्यालय की विशेष लेखा परीक्षा किये जाने का निदेश दे सकेगी।

(2) विशेष लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के उस अधिकारी को, जिसकी उपेक्षा या कदाचार के कारण उपधारा (1) में निर्दिष्ट हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोजन हुआ है, एक नोटिस जारी करके उससे यह अपेक्षा करेगी कि वह राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियत समय के भीतर अपने कृत कार्य को स्पष्ट करें।

(3) यदि राज्य सरकार की राय हो कि अधिकारी को राज्य सरकार द्वारा अवधारित अधिभार का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी ठहराया जाए तो अधिभार को बकाये के रूप में, या ऐसी अन्य रीति से जैसी राज्य सरकार द्वारा निदेशित की जाए, वसूल किया जायेगा।

अध्याय–नौ

प्रकीर्ण

प्राधिकारियों के अधिकारियों और सदस्यों की नियुक्ति करने की रीति

33– (1) इस अधिनियम व परिनियमों द्वारा अभिव्यक्त रूप से यथा उपबन्धित के सिवाय, विश्वविद्यालय के अधिकारी और विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के सदस्य, यथासम्भव, निर्वाचन से भिन्न रीति से चुने जायेंगे,

(2) जहां इस अधिनियम या परिनियमों में चक्रानुक्रम से या ज्येष्ठता अथवा अन्य अर्हताओं के अनुसार किसी नियुक्ति के लिए कोई उपबन्ध किया गया हो तो चक्रानुक्रम और ज्येष्ठता और अन्य अर्हतायें अवधारित करने की रीति वही होगी जो विहित की जाए।

आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति

34– (1) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति उसी रीति से की जायेगी जिस रीति से वह सदस्य जिसकी रिक्ति की पूर्ति करनी हो, चुना गया हो, और रिक्ति की पूर्ति करने वाला व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी

या निकाय का सदस्य होगा और उस अवशिष्ट अवधि के लिये होगा जिसके लिये वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य बना रहता,

(2) कोई व्यक्ति, जो किसी अन्य निकाय के प्रतिनिधि के रूप में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का सदस्य हो, चाहे वह निकाय विश्वविद्यालय का हो अथवा बाहरी, तब तक ऐसे प्राधिकारी में अपने पद पर रहेगा जब तक कि वह ऐसे निकाय का प्रतिनिधि बना रहे।

रिक्तियों आदि के कारण कार्यवाही का अविधिमान्य न होना

35– विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय अथवा समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य न होगा कि –

(क) उसमें कोई रिक्ति अथवा उसके गठन में कोई त्रुटि थी, या

(ख) कार्यवाही में किसी ऐसे व्यक्ति ने भाग लिया है, जो ऐसा करने के लिए हकदार नहीं था, या

(ग) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन, नाम–निर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि थी, या

(घ) उसकी कार्यवाही में कोई ऐसी अनियमितता थी जिससे मामले के गुणावगुण पर कोई प्रभाव न पड़ता हो।

विश्वविद्यालय की सदस्यता से हटाया जाना

36– कार्य परिषद, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की दो तिहाई मत से किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय की सदस्यता से इस आधार पर कि ऐसा व्यक्ति ऐसे अपराध के लिये सिद्धदोष हुआ है जो कार्य परिषद की राय में नैतिक अधमता संबंधी अपराध हो अथवा इस आधार पर कि वह कलंकात्मक आचरण का दोषी है अथवा उसने ऐसी रीति से व्यवहार किया है जो विश्वविद्यालय के सदस्य के लिये अशोभनीय हो, हटा सकती है और उन्हीं आधारो पर किसी व्यक्ति से विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या मंजूर की गयी कोई उपाधि, या प्रमाण पत्र वापस ले सकती है।

कुलाधिपति को निर्देश

37– यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का सम्यक्रूप से निर्वाचित या नियुक्त सदस्य या उसका सदस्य होने का हकदार है या नहीं, अथवा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी का कोई विनिश्चय (जिसके अन्तर्गत परिनियम की विधिमान्यता से सम्बन्धित कोई प्रश्न भी है) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये विनियमों के अनुरूप

है या नही तो उक्त विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा और कुलाधिपति का उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई निर्देश –

(क) उस तारीख से जब कि प्रश्न पहली बार उठाया जा सकता था, तीन मास से अधिक के पश्चात् या

(ख) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी अथवा व्यथित व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा नहीं किया जायेगा।

वाद का वर्जन

38– राज्य सरकार या विश्वविद्यालय या उसके किसी अधिकारी, प्राधिकारी या उसके निकाय के विरूद्ध इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये परिनियमों के अनुसरण में किये गये अथवा किये जाने के लिए तात्पर्यित या आशयित किसी कार्य के लिये न कोई वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा और न कोई अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

विश्वविद्यालय के अभिलेख को सिद्ध करने की रीति

39– (1) विश्वविद्यालय के कब्जे में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी अथवा समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज अथवा विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक् रूप से अनुरक्षित किसी रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की प्रति, यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित हो तो ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही या संकल्प अथवा दस्तावेज के अथवा रजिस्टर में प्रविष्टि होने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायेगी और उसमें अभिलिखित विषय तथा व्यवहार के लिये साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण की जायेगी जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गयी होती तो वह साक्ष्य में ग्राह्य होती,

(2) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या सेवक से, किसी ऐसी कार्यवाही में जिसमें विश्वविद्यालय एक पक्ष न हो, विश्वविद्यालय का कोई दस्तावेज, रजिस्टर या अन्य अभिलेख जिसकी अन्तर्वस्तुएं उपधारा (1) के अधीन प्रमाणित प्रति द्वारा सिद्ध की जा सकती हों, प्रस्तुत करने की अथवा उसमें अभिलिखित विषय तथा व्यवहार को सिद्ध करने के लिये साक्षी के रूप में उपस्थित होने की तब तक अपेक्षा न की जायेगी, जब तक कि सभा विशेष कारण से आदेश न दे।

40– (1) राज्य सरकार किसी कठिनाई को, दूर करने के प्रयोजनार्थ, अधिसूचित आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध, ऐसी कालावधि में जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, चाहे वे परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझें, प्रभावी होंगे : कठिनाईयां दूर करने की शक्ति

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कठिनाई विद्यमान नहीं थी अथवा उसको दूर करना अपेक्षित नहीं था।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-40 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अरबी-फारसी विश्वविद्यालय विधेयक, 2009 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अरबी-फारसी विश्वविद्यालय विधेयक, 2009 को पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

शारदा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि शारदा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि शारदा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

खण्ड-2 से खण्ड-52 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

शारदा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009

शारदा एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर में एक अध्यापन विश्वविद्यालय स्थापित करने और उसको निगमित करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम शारदा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009 कहा जायेगा।

परिभाषायें

2-जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,–

(क) "विद्यापरिषद" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के विद्यापरिषद से है ;

(ख) "बोर्ड" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के पाठ्य बोर्ड और योजना बोर्ड या अन्य बोर्ड से है;

(ग) "कुलाधिपति," "प्रति-कुलाधिपति", "कुलपति" और "प्रति-कुलपति" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः कुलाधिपति, प्रति-कुलाधिपति, कुलपति और प्रति-कुलपति से है;

(घ) "सभा" का तात्पर्य विश्वविद्यालय की सभा से है;

(ङ) "निदेशक/प्राचार्य" का तात्पर्य किसी संस्था, महाविद्यालय, केन्द्र, स्कूल, चाहे जिस नाम से बुलाया जाय, के प्रधान से है और इसमें जहां प्राचार्य नहीं है वहां प्राचार्य के रूप में तत्समय सम्यक रूप से नियुक्त कोई व्यक्ति या उसकी अनुपस्थिति में इस रूप में कार्य करने के प्रयोजन हेतु नियुक्त व्यक्ति भी है;

(च) "विभाग" का तात्पर्य अध्ययन विभाग से है और उसके अन्तर्गत अध्ययन और अनुसंधान केन्द्र भी है;

(छ) "कर्मचारी" का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से है और जिसमें विश्वविद्यालय के अध्यापक या कर्मचारी वर्ग के अन्य सदस्य सम्मिलित हैं;

(ज) "कार्यपरिषद" का तात्पर्य विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद से है;

(झ) "संकाय" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के संकाय से है;

(ञ) "छात्रावास" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के शोधार्थी / छात्रों के निवास से है;

(ट) "संस्था" का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित एवं अनुरक्षित किसी शैक्षणिक संस्था से है;

(ट) "विहित" का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है;

(ड) "अभिलेखों और प्रकाशनों" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के अभिलेखों और प्रकाशनों से है;

(ट) "परिनियमों" और "अध्यादेशों" का तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियमों और अध्यादेशों से है;

(ण) "छात्र" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के रजिस्टर में दर्ज किसी छात्र से है;

(त) "विश्वविद्यालय के अध्यापक" का तात्पर्य आचार्य, सहआचार्य, उपाचार्य, सहायक आचार्य, प्राध्यापक और ऐसे अन्य व्यक्तियों से है जिन्हें विश्वविद्यालय में शिक्षा / अनुदेश प्रदान करने या शोध कार्य के संचालन के लिए नियुक्त किया जाए और अध्यादेशों द्वारा अध्यापक के रूप में पदाभिहित किया जाय;

(थ) "कोषाध्यक्ष" "कुलसचिव", "उप कुलसचिव", "वित्त अधिकारी" "परीक्षा नियन्त्रक", "पुस्तकालयाध्यक्ष" या "कुलानुशासक" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः कोषाध्यक्ष, कुलसचिव, उप कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियन्त्रक, पुस्तकालयाध्यक्ष या कुलानुशासक से है;

(द) "ट्रस्ट" का तात्पर्य दिनांक 16-12-1995 को स्थापित और दिनांक 16-12-1995 को उपनिबंधक कार्यालय, आगरा में भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अन्तर्गत पंजीकृत शारदा एजुकेशनल ट्रस्ट से है;

(ध) "संस्था/महाविद्यालय" का तात्पर्य ऐसे महाविद्यालय अथवा संस्था से है जिसे इस अधिनियम एवं अध्यादेशों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित/ अनुरक्षित / सहयुक्त/संघटक किया गया;

(न) "वर्तमान महाविद्यालय" का तात्पर्य ऐसे महाविद्यालय या संस्थान से है जो व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करता है तथा जिसे विश्वविद्यालय में विलयन करना, द्वारा चलाना तथा अनुरक्षित करना प्रस्तावित है;

(प) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन स्थापित शारदा विश्वविद्यालय से है।

विश्वविद्यालय की स्थापना

3-(1) गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में ट्रस्ट द्वारा शारदा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी।

(2) विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा।

विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए शर्तें

4- ट्रस्ट, जो प्रायोजक संस्था है, इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रयोजनों से निम्नलिखित शर्तें पूरी करेगा :-

(क) न्यूनतम 50 एकड़ परस्पर सटी हुई भूमि का स्वामित्व हो;

(ख) खण्ड (क) में उल्लिखित भूमि पर कम से कम 24000 वर्ग मीटर कारपेट एरिया में भवन निर्माण करेगा जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत शैक्षिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिये होगा;

(ग) खण्ड (ख) में उल्लिखित भवन में न्यूनतम पांच करोड़ रुपये मूल्य के उपस्कर, कार्यालय और प्रयोगशालाओं में स्थापित करेगा;

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार कम से कम सात विषयों में शिक्षण और/अथवा अनुसंधान के प्रयोजन के लिए विभाग / विद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति करना और अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना करना;

(ङ) विश्वविद्यालय के प्रशासन और संचालन के लिये परिनियम और अध्यादेश बनाना;

(च) ऐसी अन्य शर्तें जिनको विश्वविद्यालय की स्थापना के पूर्व पूरी किये जाने की अपेक्षा राज्य सरकार द्वारा की जाय।

विश्वविद्यालय का आरम्भ

5-(1) राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के संचालन के प्रारम्भ के लिए ट्रस्ट को प्राधिकार-पत्र जारी किए जाने के पश्चात ही विश्वविद्यालय प्रचालन आरम्भ करेगा।

(2) राज्य सरकार, ट्रस्ट से प्राप्त इस आशय के अभिलेख सहित कि धारा चार में निर्दिष्ट सभी शर्तें पूरी कर ली गई हैं संबंधित प्रस्ताव का परीक्षण करने के उपरान्त ही प्राधिकार-पत्र जारी करेगा।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

6-विश्वविद्यालय का उद्देश्य विद्या की ऐसी शाखाओं में जिसे विश्वविद्यालय उचित समझे, अनुदेश, अनुसंधान और विस्तार सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था, ज्ञान का प्रसार और अभिवृद्धि करना होगा और विश्वविद्यालय छात्रों और अध्यापकों को निम्नलिखित सुविधायें प्रदान करने का भरसक प्रयास करेगा :-

(क) शिक्षा में नूतनता की प्रोन्नति करना जिससे पाठ्यक्रमों की पुनसंरचना, अध्यापन, प्रशिक्षण और ज्ञानार्जन जिसमें ऑनलाइन प्रशिक्षण, विशिष्ट गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण, निरन्तर शिक्षा और ऐसे अन्य रूप भी हैं, की नवीन पद्धति और व्यक्तित्व के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके;

(ख) शिक्षा के विभिन्न शाखाओं में अध्ययन की प्रोन्नति करना;

(ग) अन्तर्शाखीय अध्ययन की व्यवस्था करना;

(घ) राष्ट्रीय एकीकरण, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक समरसता और अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव एवं नैतिकता की अंतःक्रिया।

7. विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात :- विश्वविद्यालय की शक्तियां

(क) विद्या की ऐसी शाखाओं में जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, शिक्षण की व्यवस्था करना और अनुसंधान के लिए तथा ज्ञान और कौशल की अभिवृद्धि, प्रसार एवं अनुप्रयोग के निमित्त व्यवस्था करना;

(ख) विज्ञान, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, जैव एवम् चिकित्सा विज्ञान, दन्त चिकित्सा विज्ञान, फार्मेसी, प्रबन्धन, होटल एवम् सत्कार प्रबन्धन, विधि एवम् अन्य व्यावसयिक पाठ्यक्रमों, इतिहास, संस्कृति, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान, दर्शन शास्त्र, कला इत्यादि विषयों हेतु परिसर में, केन्द्रों अथवा दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना और उनकी प्रोन्नति करना;

(ग) शिक्षाविदों एवं प्रख्यात अध्यापकों को प्रोफेसर ऐमिरिट्स के अलंकरण से सम्मानित करना;

(घ) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित करे, व्यक्तियों की परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य पद्धति के आधार पर डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र एवम् उपाधि या अन्य विशिष्टतायें प्रदान करना और उचित और पर्याप्त कारणों से ऐसे डिप्लोमा, प्रमाण-पत्रों, उपाधियों और शैक्षणिक विशिष्टताओं को वापस लेना;

(ङ) विहित रीति से मानद उपाधियों या अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना;

(च) ऐसे व्यक्तियों को, जो विश्वविद्यालय के सदस्य नहीं हैं, शिक्षण तथा प्रशिक्षण प्रदान करना जिसके अन्तर्गत पत्राचार और ऐसे अन्य पाठ्यक्रम भी सम्मिलित हैं;

(छ) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित डायरेक्टर पद, प्राचार्य पद, आचार्य पद, सह-आचार्य पद/उपाचार्य पद, सहायक आचार्य/प्राध्यापक पद और अन्य अध्यापन या शैक्षणिक पद संस्थित करना और उनके लिए नियुक्तियां करना;

(ज) प्रशासकीय लिपिक वर्गीय और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्तियां करना;

(झ) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें विशिष्ट ज्ञान हो, को स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये नियुक्त करना या उन्हें काम पर लगाना;

(ञ) किसी अन्य विश्वविद्यालय या देश/विदेश की प्राधिकरण या संस्था से ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजन के लिये जैसा विश्वविद्यालय अवधारित करें, सहकार्य व सहयोग करना या उनको सहयुक्त करना;

(ट) अनुसंधान और शिक्षा के लिये विद्यालयों, केन्द्रों विशिष्टकृत प्रयोगशालाओं या अन्य इकाइयों की स्थापना और अनुरक्षण करना जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हो;

(ठ) अध्येता-छात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, शुल्क प्रतिपूर्तियों पदक और पारितोषिकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;

(ड) विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आवासों, छात्रावासों की स्थापना, अनुरक्षण तथा उनका पर्यवेक्षण करना तथा छात्रों एवम् कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की प्रोन्नति के लिए व्यवस्था करना;

(ढ) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं के लिये उपबन्ध करना और उक्त प्रयोजन के लिये अन्य संस्थाओं या इकाइयों के साथ ऐसी व्यवस्था में सम्मिलित होना जैसा विश्वविद्यालय आवश्यक समझे;

(ण) परिनियमों के अनुसार यथास्थिति केन्द्र, संस्था, विभाग या विद्यालय स्थापित करना;

(त) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिये मानक निर्धारित करना जिनके अन्तर्गत परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की कोई पद्धति हो सकती है;

(थ) फीस और अन्य प्रभारों को विहित करना, मांग करना और उनका भुगतान प्राप्त करना;

(द) महिलाओं एवं अन्य वंचित छात्रों के उत्थान के लिए विशेष व्यवस्था करना जैसा विश्वविद्यालय उचित समझे;

(ध) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों में अनुशासन विनियमित करना और उसका पालन कराना, और इस सम्बन्ध में ऐसे अनुशासनिक उपाय करना जैसा विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझा जाय;

(न) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की प्रोन्नति के लिए व्यवस्था करना;

(प) विश्वविद्यालय के कल्याण के लिए दान प्राप्त करना और किसी चल या अचल सम्पत्ति का, जिसके अंतर्गत न्यास और बंदोबस्ती सम्पत्तियां भी है, विक्रय/पट्टे पर/किराये पर अर्जन, धारण, प्रबंध और निपटारा करना;

(फ) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए ट्रस्ट के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति के प्रति आडमान के रूप में उधार लेना या बंधक रखना;

(ब) संविदा या अन्य किसी आधार पर ऐसे अध्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों परामर्शियों, विद्वानों, कलाकारों, पाठ्यक्रम लेखकों और अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने में योगदान प्रदान कर सकें;

(भ) विश्वविद्यालयेत्तर व्यक्तियों के व्याख्यानादि का अध्ययन और प्रसार सेवा का आयोजन करना और जिम्मा लेना।

(म) ऐसे समस्त अन्य कार्य और कृत्य करना जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक आनुषंगिक या सहायक हों और जो विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद से अनुमोदित हों।

प्रवेश और मानक

8-(1) विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रवेश तत्समय प्रवृत्त विधियों के अनुसार किये जायेंगे।

(2) विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये पाठ्यक्रमों के शैक्षिक मानक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, तथा अन्य सांविधिक निकाय इत्यादि के दिशा-निर्देशों के अनुसार हो।

(3) अध्यापक-छात्र अनुपात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या विशिष्ट परिषद के दिशा निर्देशों के अनुसार होगा।

विश्वविद्यालय सभी वर्गों और मतावलम्बियों के लिए होगा

9-विश्वविद्यालय प्रत्येक लिंग, वंश, मत, जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए होगा और विश्वविद्यालय के लिए यह विधिसम्मत नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति के लिए किसी अधिकारी, अध्यापक, कर्मचारीवृन्द या छात्र के रूप में उसमें प्रवेश किये जाने के लिये या उसमें कोई पद धारण करने के लिए या वहां से स्नातक करने के लिए हकदार करने के उद्देश्य से धार्मिक विश्वास या व्यवसाय की कोई परीक्षा, जो भी हो, ले या उस पर अधिरोपित करें:

परन्तु अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिये विश्वविद्यालय में पदों तथा कर्मचारियों की भर्ती पर तथा किसी पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश पर आरक्षण समय-समय पर राज्य सरकार के आदेशों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

विश्वविद्यालय के अधिकारी

10- विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे:-

(क) कुलाधिपति;

(ख) प्रति-कुलाधिपति;

(ग) कुलपति;

(घ) प्रति-कुलपति;

(ङ) संस्थाओं के निदेशक / प्रधान ;

(च) कुलसचिव;

(छ) संकायों के संकायाध्यक्ष ;

(ज) छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष;

(झ) परीक्षा नियंत्रक;

(ञ) मुख्य कुलानुशासक;

(ट) वित्त अधिकारी; और

(ठ) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जायें।

कुलाधिपति

11-(1) ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए कुलाधिपति की नियुक्ति की जायेगी।

(2) कुलाधिपति अपने पद की हैसियत से विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और अंतरिम कार्यपरिषद का गठन करेगा।

(3) कुलाधिपति, ट्रस्ट को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है।

प्रति कुलाधिपति

12-(1) प्रति कुलाधिपति, कुलाधिपति की नियुक्ति ट्रस्ट के बोर्ड आफ ट्रस्टीज के परामर्श से कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष के लिये की जायेगी।

(2) प्रति-कुलाधिपति, कुलाधिपति को दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा तथा उनकी अनुपस्थिति में दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा।

(3) प्रति-कुलाधिपति, कुलाधिपति को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है।

13-(1) कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष के लिए ऐसी रीति से की जायेगी जैसी विहित की जाए।

(2) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के विद्या परिषद, वित्त समिति एवम् योजना निकाय का अध्यक्ष होगा और वह विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के समस्त प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावी करेगा।

(3) यदि कुलपति की राय में किसी मामले में तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो तो वह इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है और ऐसे मामले में वह कृत कार्यवाही से उस प्राधिकारी को अवगत करायेगा:

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय की सेवा में कार्यरत, किसी प्राधिकारी या व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, यह अधिकार होगा कि वह आदेश के संसूचित किये जाने के एक माह के भीतर कुलाधिपति को इस कार्यवाही के विरुद्ध अपील करें। कुलाधिपति कुलपति द्वारा कृत कार्यवाही की पुष्टि कर सकता है या उसे परिवर्तित कर सकता है या उसे उलट सकता है।

(4) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

14-(1) प्रतिकुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा कार्य परिषद के अनुमोदन से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का सम्पादन करेगा जैसा विहित किया जाय। प्रति कुलपति

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रतिकुलपति आचार्य के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(3) प्रतिकुलपति, जैसे और जब कुलपति द्वारा अपेक्षा की जाय, दिन-प्रतिदिन के कर्तव्यों के निर्वहन में कुलपति की सहायता करेगा।

15-संस्था के प्राचार्य/निदेशक या प्रमुख की नियुक्ति ऐसी रीति से होगी तथा वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का संपादन करेगा जैसी विहित की जाए। प्राचार्य/निदेशक

16- (1) कुलसचिव की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी जैसी विहित की जाए। कुलसचिव

(2) कुलसचिव को यह शक्ति होगी कि वह विश्वविद्यालय की ओर से अनुबंध करे, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करे और अभिलेखों को अभिप्रमाणित करे और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कार्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाए।

(3) कुलसचिव कार्यपरिषद और विद्यापरिषद का पदेन गैर सदस्य सचिव होगा।

17- प्रत्येक संकायाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय। संकायाध्यक्ष

18- (1) वित्त अधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय। वित्त अधिकारी

(2) वित्त अधिकारी वित्त समिति का पदेन सचिव होगा।

अन्य अधिकारी

19-विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, शक्ति तथा कृत्य ऐसे होंगे जैसा विहित किया जाए।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

20-विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे :-

(क) सभा;

(ख) कार्यपरिषद;

(ग) विद्या परिषद;

(घ) वित्त समिति ;

(ङ) नियोजन बोर्ड ;

(च) संकाय बोर्ड;

(छ) प्रवेश समिति;

(ज) परीक्षा समिति; और

(झ) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय का प्राधिकारी घोषित किया जायं।

सभा

21-(1) सभा के गठन और उसके सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी जैसी विहित की जाय।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभा की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, यथा:-

(क) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनरीक्षण करना और विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली, उसके उन्नयन और विकास के लिए अभ्युपायों का सुझाव देना;

(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखों और ऐसे लेखों पर सम्परीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना;

(ग) विभिन्न परिषदों या सरकारी अथवा अर्द्धसरकारी अथवा निजी निकायों के लिए, जहां यथा विहित अवधि के लिए विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने हेतु भेजने की आवश्यकता हो, सदस्यों को नामित करना;

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का संपादन करना जैसा विहित किया जाए।

कार्यपरिषद

22-(1) कार्यपरिषद विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक निकाय होगा।

(2) कार्यपरिषद का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाएं।

विद्या परिषद

23-(1) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगा और इस परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों के सामान्य पर्यवेक्षण का समन्वय करेगा और उसका प्रयोग करेगा।

(2) विद्या परिषद का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियां और कृत्य ऐसे होगें जैसा विहित किया जाए।

24-(1) वित्त समिति वित्तीय विश्वविद्यालय की वित्तीय मामलों की देख-भाल करने के लिये प्रधान वित्तीय निकाय होगी। वित्त समिति

(2) वित्त समिति का गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसा विहित किया जाय।

25-(1) नियोजन बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रमुख नियोजन निकाय होगा। बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि अवस्थापना और शैक्षिक सहायता प्रणाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य संबंधित परिषदों के मानकों को पूरा करें। नियोजन बोर्ड

(2) नियोजन बोर्ड का गठन उसके सदस्यों की पदावधि और इनकी अन्य शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाए।

26-संकाय परिषद, प्रवेश समिति, परीक्षा समिति और ऐसे अन्य प्राधिकारी के, जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय का प्राधिकारी घोषित किया जाय, गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाएं। संकाय और विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी

27-(1) कार्य परिषद इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये परिनियम बनाएगी। परिनियमों को बनाने की शक्ति

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिनियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था कर सकते हैं, अर्थात:-

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों जिनका समय-समय पर गठन किया जाए, का गठन उनकी शक्तियां और कृत्य;

(ख) उक्त प्राधिकारियों के सदस्यों के पद की नियुक्ति और निरंतरता, सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना और उन प्राधिकारियों से सम्बन्धित अन्य समस्त मामले जिनके लिये उपबंध करना आवश्यक या वांछनीय हो;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियां और कर्तव्य और उनकी परिलब्धियां ;

(घ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक और प्रशासनिक कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी परिलब्धियां;

(ङ) विश्वविद्यालय या संस्था में कार्यरत अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कर्मचारी वर्ग की एक संयुक्त परियोजना के लिए दायित्व लेने के लिए एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्ति;

(च) कर्मचारियों की सेवा शर्तें, सेवानिवृत्तिक लाभों, बीमा और भविष्य निधि, सेवा समाप्ति की रीति और अनुशासनात्मक कार्यवाहियां;

(छ) कर्मचारियों की सेवा की ज्येष्ठता को निर्धारित करने वाले सिद्धान्त;

(ज) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों या छात्रों के मध्य विवादों के निपटारे की प्रकिया;

(झ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी के किसी कृत्य के विरूद्ध किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा अपील करने की प्रक्रिया;

(ञ) सम्मानार्थ उपाधियों का प्रदान किया जाना;

(ट) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टियों का वापस लेना;

(ठ) अधिछात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों को संस्थित करना;

(ड) छात्रों के मध्य अनुशासन को बनाये रखना;

(ढ) विभागों, केन्द्रों और अन्य घटक संस्थाओं/महाविद्यालयों आदि की स्थापना करना और उनको समाप्त करना;

(ण) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन; और

(त) अन्य सभी विषय जो इस अधिनियम के अधीन विहित किये जाने हों या विहित किये जा सकते हों।

(3) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्ति या गठन को प्रभावित करने वाले किसी परिनियम को न तो बनायेंगी और न ही उसमें संशोधन या निरसन करेगी, जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तावित परिवर्तनों पर लिखित रूप में अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो और इस प्रकार व्यक्त की गयी किसी राय पर कार्य परिषद् द्वारा विचार किया जायेगा।

अध्यादेश बनाने की शक्ति

28-इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अध्यादेश कार्य परिषद द्वारा बनाये जाएगें जिनमें निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे, अर्थात:-

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और इस रूप में उनका नामांकन;

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, डिप्लोमा और प्रमाण-पत्रों के लिये अध्ययन पाठ्यक्रम को निर्धारित किया जाना;

(ग) शिक्षण और परीक्षा का माध्यम;

(घ) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र तथा शैक्षणिक विशिष्टियां प्रदान करना और उनकी अर्हतायें निर्धारित करना और उन्हें प्रदान किये जाने और प्राप्त करने के सम्बन्ध में किये जाने वाले उपाय;

(ङ) विश्वविद्यालय में अध्ययन पाठयक्रमों के लिए और विश्वविद्यालय की डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण-पत्रों की परीक्षाओं में प्रवेश के लिए प्रभार्य शुल्क का निर्धारण;

(च) अधिछात्रवृत्तियां, छात्रवृत्तियां, विद्यावृत्तियां, पदकों और पारितोषिकों को प्रदान करने की शर्तें

(छ) परीक्षाओं का संचालन जिसके अन्तर्गत परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और कर्तव्य भी है;

(ज) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें;

(झ) छात्राओं के निवास, अनुशासन और अध्यापन के लिये बनायी जाने वाली विशेष व्यवस्थायें, यदि कोई हो, और उनके लिए विश्वविद्यालय के अंतर्गत विशेष अध्ययन पाठयक्रमों को विहित करना;

(ञ) ऐसे कर्मचारियों, जिनके लिए परिनियम में उपबन्ध किया गया हो, से भिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति और परिलब्धियां;

(ट) अध्ययन केन्द्रों, अध्ययन बोर्डों, अन्तर्शाखीय अध्ययन, विशिष्ट केन्द्रों, विशिष्ट प्रयोगशालाओं और अन्य समितियों की स्थापना;

(ठ) अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकरणों जिसके अंतर्गत विद्वत निकाय और संघ भी है, के साथ सहयोग और सहभागिता की रीति;

(ड) किसी ऐसे अन्य निकाय जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन में सुधार के लिये आवश्यक समझे जाय, के सृजन, संरचना और कृत्य;

(ढ़) परीक्षकों, अनुपरीक्षकों, अन्तःनिरीक्षकों और सारणीयकों को भुगतान किये जाने वाले पारिश्रमिक;

(ण) अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारी वर्गों की सेवा की ऐसी अन्य निबन्धन और शर्तें, जो परिनियमों द्वारा विहित न हों;

वार्षिक रिपोर्ट

29 -(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, कार्य परिषद् के निर्देश के अधीन तैयार की जायेगी तथा उसे ऐसे दिनांक को या उसके पश्चात् कोर्ट को प्रस्तुत किया जायेगा जैसा विहित किया जायेगा और कोर्ट अपनी वार्षिक बैठक में रिपोर्ट पर विचार करेगी।

(2) कोर्ट अपनी टिप्पणी के साथ, यदि कोई हो, वार्षिक रिपोर्ट कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगी।

वार्षिक लेखा

30-(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और तुलनापत्र कार्य परिषद् के निर्देशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और उनकी सम्परीक्षा प्रख्यात चार्टर्ड एकाउन्टेट के अनुभवी और अर्ह फर्म द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार जो पन्द्रह माह के अन्तराल से अधिक नहीं होगा, करायी जायेगी।

(2) सम्परीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखों की प्रति कार्य परिषद् के पर्यवेक्षणों सहित कोर्ट को प्रस्तुत की जायेगी।

कर्मचारियों की सेवा की शर्तें

31-(1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी परिनियमों के उपबन्धों के उनुसार नियुक्त किया जायेगा/काम पर लगाया जायेगा।

(2) विश्वविद्यालय और मौलिक रूप से नियुक्त किसी कर्मचारी के मध्य उठने वाले किसी विवाद को कुलपति को निर्दिष्ट किया जायेगा जो अपने निर्देश के दिनांक से तीन मास के भीतर कर्मचारी को अवसर प्रदान करने के पश्चात विवाद का विनिश्चय करेगा।

(3) व्यथित कर्मचारी, कुलपति के आदेश के विरूद्ध कुलाधिपति को अपील कर सकता है।

(4) अस्थायी रूप से या तदर्थ आधार पर या अंशकालिक या आकस्मिक आधार पर कार्यरत किसी कर्मचारी के संबंध में किसी विवाद की सुनवाई और उसका विनिश्चय कुलपति द्वारा किया जायेगा।

(5) कुलपति के आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति कुलाधिपति को अपील कर सकता है। ऐसे अपील में कुलाधिपति का विनिश्चय अन्तिम होगा और कुलाधिपति द्वारा विनिश्चय किये गये मामलों के संबंध में कोई वाद किसी न्यायालय में संस्थित नहीं किया जा सकेगा।

अपील करने का अधिकार

32-(1) किसी परीक्षा के लिए कोई छात्र या अभ्यर्थी जिसका नाम, यथास्थिति, विद्या परिषद, कुलानुशासक बोर्ड या परीक्षा नियंत्रक के आदेश या संकल्प द्वारा विश्वविद्यालय की नामांकन सूची से हटा दिया गया हो और जिसको एक से अधिक वर्ष तक के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सम्मिलित होने से वर्जित कर दिया गया हो, अपने द्वारा ऐसे आदेशों की प्राप्ति के दिनांक के दस दिन के भीतर लिखित रूप में कुलपति को अपील कर सकता है जो यथास्थिति, उपर्युक्त प्राधिकारियों या संबंधित समिति के विनिश्चय को पुष्ट, उपान्तरित या पलट सकता है।

(2) कुलपति द्वारा लिया गया कोई निर्णय अन्तिम होगा।

कर्मचारी भविष्य निधि और कल्याणकारी योजना

33-विश्वविद्यालय, अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए कार्य परिषद द्वारा अवधारित ऐसी कल्याणकारी योजना या भविष्य निधि का गठन कर सकता है या ऐसी बीमा योजनाओं की व्यवस्था कर सकता है जैसा कार्य परिषद द्वारा निश्चित किया जाए।

प्राधिकरणों और निकायों के गठन में विवाद

34-यदि ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न हो, कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक रूप से नमित या नियुक्त किया गया है या वह उसका सदस्य होने का हकदार है तो ऐसे मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस विषय में विनिश्चय अन्तिम होगा।

समितियों का गठन

35-जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन समितियां नियुक्त करने की शक्ति दी गयी हो वहां ऐसी समितियों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, संबधित प्राधिकारी के सदस्य और ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उचित समझें होंगे।

रिक्तियों का भरा जाना

36-विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) में हुई सभी रिक्तियों को ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसने उन सदस्यों को जिनके स्थान रिक्त हुए हैं नियुक्त, या निर्वाचित या सहयोजित किया था ऐसी अवधि के लिए जिसका प्रावधान उपयुक्त धारा में किया गया हो, यथा शक्य शीघ्र भरा जायेगा।

कार्यवाही की अविधि मान्यता

37-विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही उसके सदस्यों में किसी रिक्ति या रिक्तियों की विद्यमानता मात्र के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

विश्वविद्यालय के अभिलेखों को प्रमाणित करने की रीति

38-विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन,सूचना, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज जो विश्वविद्यालय के अधिपत्य में हों को यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित किया गया हो तो ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज को या रजिस्टर में प्रविष्टि की विद्यमानता प्रथमदृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा और उसमें अभिलिखित विषय और व्यवहार को साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा।

परिनियमों और अध्यादेशों का प्रकाशन

39-(1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश लिखित रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाये जाने पर यथाशीघ्र प्रवृत्त किया जाएगा।

स्थायी विन्यास निधि

40 (1) विश्वविद्यालय कम से कम दस करोड़ रूपये की एक स्थायी विन्यास निधि स्थापित करेगा।

(2) विश्वविद्यालय को स्थायी विन्यास निधि को ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, निवेश करने की शक्ति होगी।

(3) विश्वविद्यालय सामान्य निधि से या विकास निधि से कोई धनराशि स्थायी विन्यास निधि को अन्तरित कर सकेगा।

(4) उपधारा (1) में विनिदिष्ट न्यूनतम धनराशि से अधिक कोई धनराशि विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी विन्यास निधि से निकाली जा सकेगी।

सामान्य निधि

41-(1) विश्वविद्यालय सामान्य निधि की स्थापना करेगा जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थातः-

(क) सभी शुल्क, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित किया जाय;

(ख) किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि;

(ग) ट्रस्ट द्वारा किये गये सभी अंशदान; और

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो इस निमित्त किये गये सभी अंशदान।

(2) सामान्य निधि में जमा धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के सभी आवर्ती व्ययों के लिए किया जायेगा।

विकास निधि

42-(1) विश्वविद्यालय एक विकास निधि भी स्थापित करेगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी; अर्थातः-

(क) विकास शुल्क जो छात्रों से प्रभारित किया जा सकता है;

(ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिए किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि;

(ग) ट्रस्ट द्वारा किये गये सभी अंशदान;

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान;

(ङ) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त की गयी समस्त आय।

(2) विकास निधि में समय पर जमा की गयी धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिए किया जायेगा।

43-धारा 40, 41, एवं 42 के अधीन स्थापित निधियों को कोर्ट के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रणों के अधीन रहते हुए ऐसी रीति से विनियमित और अनुरक्षित किया जायेगा जैसी विहित की जाय। निधि का अनुरक्षण

44-विश्वविद्यालय राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन किसी अन्य निकाय अथवा निगम से किसी सहायतानुदान अथवा किसी वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं होगा। वित्तीय शर्तें

45-विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए प्रभारित शुल्क परिनियम एवम् अध्यादेश के क्रम में तत्समय प्रवृत्त विधियों के अनुसार लिया जायेगा। शुल्क

46-(1) विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय के प्रशासन अथवा वित्तीय और अन्य कार्यकलापों से सम्बन्धित सूचनाओं या अभिलेखों को प्रस्तुत करे जैसा कि राज्य सरकार द्वारा मांग की जाय। सूचनाओं और अभिलेखों को मांग के लिए राज्य सरकार की शक्तियां

(2) राज्य सरकार यदि यह समझती है कि इस अधिनियम अथवा परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों का उल्लंघन हुआ है तो वह विश्वविद्यालय की धारा 51 के अधीन ऐसे निर्देश जारी कर सकती है, जिसे वह आवश्यक समझे।

47-(1) विश्वविद्यालय राज्य सरकार को कम से कम छः माह की लिखित नोटिस देगा यदि वह अपने गठन और निगमन को विनियमित करने वाली विधि के अनुसार अपने विघटन का प्रस्ताव करता है। विश्वविद्यालय का विघटन

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस के प्राप्त होने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के विघटन के दिनांक से और जब तक विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षण पाठयक्रमों में छात्रों का अन्तिम बैच अपने शिक्षण पाठयक्रमों को ऐसी रीति से पूरा न कर ले, विश्वविद्यालय के प्रशासन की ऐसी व्यवस्था करेगा जैसी विहित की जाय ।

48-(1) धारा 47 के अधीन विश्वविद्यालय के दायित्व ग्रहण करने की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए व्यय का वहन स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि से किया जायेगा । विघटन के दौरान विश्वविद्यालय का व्यय

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधि, विश्वविद्यालय के दायित्व को ग्रहण करने के दौरान विश्वविद्यालय के व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो राज्य सरकार द्वारा ऐसा व्यय विश्वविद्यालय की सम्पतियों या आस्तियों को निस्तारण करके किया जा सकेगा।

49-(1) जहां राज्य सरकार को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय के कार्य न करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हो तो वह विश्वविद्यालय को शिकायत की मूल प्रति भेजते हुए विश्वविद्यालय से अपेक्षा करेगी कि ऐसे समय के भीतर, जो छः मास से कम नहीं होगा, कारण बतायें कि विश्वविद्यालय की मान्यता क्यों न वापस ले ली जाय। राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की मान्यता वापस लिया जाना

(2) उपधारा (1) के अधीन दी गयी नोटिस पर विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त हो जाने पर यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि प्रथमदृष्टया इस अधिनियम के उपबंधों के उलंघन का मामला पाया गया है तो वह ऐसी जांच करने का आदेश देगी जिसे वह आवश्यक समझे।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी जांच के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा जांच प्राधिकारी के रूप में किसी अधिकारी या प्राधिकारी को इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन के अभिकथन की जांच के लिए नियुक्त करेगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन प्रत्येक जांच अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का संपादन करते समय सिविल परिक्रिया संहिता 1908 के अधीन किसी वाद का और विशिष्टतः निम्नलिखित मामलों के संबंध में विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की शक्ति होगी अर्थातः-

(क) किसी साक्षी को समन करना और उपस्थित होने के लिए बाध्य करना और शपथ दिलाकर उसका बयान लेना,

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना,

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना,

(घ) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना,

(ड) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाय।

(5) यदि जांच रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि विश्वविद्यालय ने अधिनियम का उल्लंघन किया है तो वह विश्वविद्यालय को निर्देश देगी कि वह आवश्यक सुधार करे और इस अधिनियम के उपबंधों के समुचित क्रियान्वयन के लिए सुझाव दे।

(6) यदि अनुभव किया जाता है कि विश्वविद्यालय ने लगातार तीन बार अधिनियम का उल्लंघन किया है तो राज्य सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अनुमोदन से विश्वविद्यालय की मान्यता वापस ले सकती है।

(7) उपधारा (6) के अधीन विश्वविद्यालय के प्रबन्ध की अवधि के दौरान, राज्य सरकार स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि का उपयोग विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के प्रबन्ध के प्रयोजनों के लिए कर सकेगी। यदि विश्वविद्यालय की निधि, विश्वविद्यालय के अपेक्षित व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो राज्य सरकार उक्त व्यय को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय की आस्तियों सा सम्पत्तियों का निस्तारण कर सकेगी।

(8) उपधारा (6) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष क्रियान्वयन के पूर्व रखी जायेगी।

50-राज्य सरकार समय-समय पर विश्वविद्यालय को ऐसे नीति विषयक निर्देश जारी कर सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, जैसा वह आवश्यक समझे। ऐसे निर्देश का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

राज्य सरकार की नीति विषयक मामलों में निर्देश देने की शक्ति

51-अधिनियमों में ऊपर उल्लिखित किसी खण्ड के अधीन विश्वविद्यालय की विघटन के स्थिति में विश्वविद्यालय की समस्त आस्तियां और सम्पत्तियां, जिसमें स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या कोई अन्य निधि सम्मिलित है तथा विश्वविद्यालय के दायित्व प्रस्तावित न्यास से संबंधित हो जायेंगे।

विघटन/मान्यता रद होने पर परसम्पत्तियां/उत्तर दायित्व की प्रास्थिति

52-(1) राज्य सरकार ऐसी किसी कठिनाई को, विशिष्टतः, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, के उपबन्धों से इस अधिनियम के उपबन्धों के संक्रमण के संबंध में, दूर करने के प्रयोजनार्थ यह निर्देश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी कालावधि जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, चाहे वह परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हे वह आवश्यक या समीचीन समझें प्रभावी होगे:

कठिनाईयां दूर करने की शक्ति

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किये जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

(3) उपधारा (1) के किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि कोई कठिनाई जैसी उस उपधारा में निर्दिष्ट की गई हैं विद्यमान नहीं थी अथवा उनको दूर करना अपेक्षित नहीं था।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-52 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि शारदा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि शारदा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009 को पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2009

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2009

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2009 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1966 की धारा 29 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 29 में,–

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात:–

"(1)(क) प्रत्येक सहकारी समिति का प्रबन्ध, इस अधिनियम और इसके अधीन बनायी गयी नियमावली और उपविधियों के अनुसार गठित प्रबन्ध कमेटी में निहित होगा, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन करेगी जो इस अधिनियम, नियमावली और उपविधियों द्वारा प्रदत्त या अधिरोपित किये जायें,

(ख) प्रत्येक सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी में 21 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए, 2 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए और 27 प्रतिशत नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए आरक्षित होंगे;

(ग) आरक्षित स्थानों की प्रत्येक श्रेणी में और अनारक्षित श्रेणी में से प्रथम एक तिहाई स्थान उस श्रेणी की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे:

प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (ख) एवं (ग) के उपबन्ध कृषि सहकारी समितियों, औद्योगिक सहकारी समितियों एवं मत्स्य सहकारी समितियों के लिए लागू नहीं होंगे;

(घ) किसी विशेष वर्ग की प्रारम्भिक सहकारी समितियों एवं केन्द्रीय सहकारी समितियों को जिला, मण्डल अथवा राज्य स्तर पर जैसा कि निबन्धक द्वारा अवधारित किया जाय, एक समूह में रखा जायेगा और सभापति के 21 प्रतिशत पद अनुसूचित जाति के व्यक्तियों, 2 प्रतिशत पद अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों तथा 27 प्रतिशत पद उस विशिष्ट समूह समितियों के नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए आरक्षित होंगे;

(ङ) खण्ड (घ) के अधीन आरक्षित किये गये सभापति के पदों एवं सभापति के अनारक्षित पदों में से प्रत्येक श्रेणी के प्रथम एक तिहाई पद सम्बन्धित श्रेणी की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे;

प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (घ) एवं (ङ) के उपबन्ध, शीर्ष सहकारी समितियों, कृषि सहकारी समितियों, औद्योगिक सहकारी समितियों एवं मत्स्य सहकारी समितियों के लिए लागू नहीं होंगे;

(च) खण्ड (ख) तथा (घ) के अधीन आरक्षण क्रमशः निर्वाचन क्षेत्रों के नामों और समितियों के नामों को हिन्दी वर्णमाला के क्रम में रखकर और राज्य सरकार के कर्मचारियों की सीधी भर्ती के रोस्टर के अनुसार चक्रानुक्रम में किया जायेगा।"

(ख) उपधारा (7) में शब्द "एक वर्ष और छः माह" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "दो वर्ष" रख दिये जायेंगे।

धारा 130 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 130 की उपधरा (2) में खण्ड (12–क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात:–

"(12–ख) सहकारी समितियों के सामान्य निकाय के प्रतिनिधियों के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों तथा महिलाओं के लिए आरक्षण एवं उसकी रीति;

(12–ग) सहकारी समितियों की प्रबन्ध कमेटी के सभापति के पद के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों तथा महिलाओं के लिए आरक्षण की रीति।"

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2009 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2009 को पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 20-2-2009 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 63 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :-

पहली सूचना श्री अनिल कुमार सिंह यादव की मोहल्ला नसरत नगर मल्लावां जनपद हरदोई के प्लाट पर अवैध पुलिया एवं सड़क निर्माण के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना डा0 ज्योत्सना श्रीवास्तव की समाज कल्याण विभाग में आदेशों के विपरीत लखनऊ मण्डल में कर्मचारियों को सम्बद्ध किये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्रीमती विद्या चौधरी की जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत ग्राम धरनीपुर रानीपुर स्थित तालाब से अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री राधेश्याम जायसवाल की उ0 प्र0 हेल्थ सिस्टम के अन्तर्गत संविदा पर नियुक्त जनपद मैनपुरी में नियुक्त फार्मेसिस्टों को शासन या किसी परियोजना में समाहित कराये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री मदन चौहान की गाजियाबाद स्थित सम्भावली शुगर मिल तथा मिल्क डेयरियों द्वारा प्रदूषित रासायनिक पानी छोड़ने के सम्बन्ध में है, छठी सूचना श्री शम्भू चौधरी की कुशीनगर की नगर पंचायत कप्तानगंज में कांशीराम शहरी विकास योजना अन्तर्गत सम्पूर्ण कार्यों की टी0ए0सी0 जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री कुबेर सिंह की एटा के ग्राम सरानी में गन्दे पानी से हो रही महामारी के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री सुरेश चन्द्र तिवारी की उन्नाव के बीघापुर विकास खण्ड के अन्तर्गत वरदहा मार्ग से गोती खोड़ा मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है, नवीं सूचना श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला की सिद्धार्थनगर में प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन सड़कों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री संजय कपूर की रामपुर की तहसील विलासपुर में बस अड्डा बनाये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री पंकज मलिक की मुजफ्फरनगर में बघरा विधान सभा क्षेत्र में बिजली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री राजाराम त्यागी की रायबरेली के ग्राम अतरेहटा महाराजगंज ड्रेन पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री प्रदीप जैन आदित्य की झांसी के नगर निगम में स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार पदों के

सृजन किये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री प्रदीप माथुर की दिनांक 21-8-2008 को नियम-301 के अन्तर्गत दी गई सूचना के अनुसार विभाग द्वारा वांछित कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की लखनऊ स्थित टिकैतराय तालाब का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में है, सोहलवीं सूचना डॉ0 अजय तोमर की प्रदेश के हैण्डलूम बुनकरों व दस्तकारों में राजीव गांधी शिल्प बीमा योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्री विमलेश सिंह की जनपद मेरठ निवासी नाजिम हसन थाना सरधना को शस्त्र लाइसेंस जारी किये जाने के सम्बन्ध में है, अठारहवीं सूचना डा0 अनिल चौधरी की किरन देवी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बामौली, अलीगढ़ के प्रबन्धतंत्र द्वारा अनियमित कार्य किये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री अब्दुल वारिस खां की जनपद सहारनपुर में सजल हत्या काण्ड के विरोध में हो रहे प्रदर्शन पर लाठी चार्ज करने वाले दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश की मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2001 में तैयार मास्टर प्लान को भू-माफियाओं एवं अधिकारियों द्वारा संशोधन कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्कीसवीं सूचना चौधरी सत्यपाल सिंह की मेरठ के ग्राम नारंगपुर व ग्राम खडौली निवासी श्री नीरज कुमार त्यागी व इकरामुद्दीन को शस्त्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में है, बाइसवीं सूचना चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी की बागपत में कान्हण से दोघट तक सड़क न बनने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, तेइसवीं सूचना श्री जोखू लाल यादव की विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर जनपद इलाहाबाद के अन्तर्गत सम्पर्क मार्गों एवं क्षतिग्रस्त पटरियों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौबीसवीं सूचना श्री इमरान मसूद की सहारनपुर स्थित टोडरपुर शुगर मिल एवं डिस्टलरी द्वारा प्रदूषित जल छोड़े जाने के सम्बन्ध में है, पच्चीसवीं सूचना डा0 आर0ए0 उस्मानी की लखीमपुर के मो0 थरवलगंज स्थित एजाज हसन नकवी के घर के पीछे का मार्ग बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, छब्बीसवीं सूचना श्री अशोक कंसल की मुजफ्फरनगर में पशु चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में है, सत्ताइसवीं सूचना श्री मदन भैया की लखनऊ के उदयगंज स्थित प्राइमरी पाठशाला के बगल से कूड़ाघर व सुअर हटाये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठाइसवीं सूचना श्री उदयभान करवरिया की इलाहाबाद स्थित मो0 जार्ज टाउन का नाम परिवर्तित कर आचार्य महाबीर प्रसाद द्विवेदी रखे जाने के सम्बन्ध में है, उन्तीसवीं सूचना श्री श्रीपति आजाद की लखनऊ स्थित मोहनलालगंज के रहमत नगर में वन कर्मियों द्वारा मिलीभगत से हरी लकड़ी का अवैध रूप से कटान कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसवीं सूचना श्री विजय बहादुर यादव की गोरखपुर में मानीराम-कुटारिया मार्ग बन्धे पर हुए कार्य की टी0ए0सी0 जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, इकतीसवीं सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार डायट प्रवक्ता को प्रशासनिक पदों पर नियुक्त न किये जाने के सम्बन्ध में है,

बत्तीसवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की शाहजहांपुर के पुवायां-मोहम्मदी मार्ग पर ग्राम-न्यामतपुर के पास क्षतिग्रस्त सड़क का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेतीसवीं सूचना श्री श्यामलाल की बलरामपुर स्थित बहेरिया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौंतीसवीं सूचना श्री कमलेश चन्द्र दिवाकर की चन्द्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में वित्त नियंत्रक कार्यालय में नियुक्त सहायक लेखाकार के कार्यों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, पैंतीसवीं सूचना डॉ0 राजेन्द्र सिंह की फिरोजाबाद क्षेत्र में आने वाले अधूरे पड़े मार्गों का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छत्तीसवीं सूचना श्री अमरमणि त्रिपाठी की महाराजगंज के तहसील नौतनवां में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की जमीनों पर हो रहे कब्जे के सम्बन्ध में है, सैंतीसवीं सूचना महन्त कौशलेन्द्र नाथ योगी की राष्ट्रीय सुरक्षा हित में श्रावस्ती हवाई पट्टी चालू किये जाने के सम्बन्ध में है, अड़तीसवीं सूचना श्री विशम्भर सिंह यादव की मिर्जापुर इलाहाबाद फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा आदि में डी0डी0ओ0 एवं सी0डी0ओ0 द्वारा बाल पोषाहार (पंजीरी) को बाजार में दिये जाने के सम्बन्ध में है, उन्तालीसवीं सूचना श्री विशम्भर सिंह निषाद की उन्नाव के दोलीखेड़ा में राजस्व बन्दोबस्त का कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चालीसवीं सूचना श्री सुन्दर लाल लोधी, श्री उदयराज यादव तथा श्री कुलदीप सिंह सेंगर की उन्नाव में बायो फर्टिलाइजर के नाम से चल रहे नकली खाद के कारखाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इकतालीसवीं सूचना श्री लालजी यादव की सिद्धार्थनगर स्थित बांसी में मण्डी परिषद् स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में है, बयालीसवीं सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग की आगरा के जवाहर नगर खण्डारी में ए0डी0ए0 द्वारा छोड़े गये पार्क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है, तैतालीसवीं सूचना श्री विद्यासागर गुप्ता की भारत सरकार द्वारा पारित मेन्टीनेन्स एण्ड वेलफेयर आफ सीनियर सिटीजन अधिनियम, 2007 को प्रदेश सरकार द्वारा लागू किये जाने के सम्बन्ध में है, चौवालीसवीं सूचना श्री प्रमोद तिवारी की प्रदेश में हो रही सीमेंट की खुले आम काला बाजारी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, पैंतालीसवीं सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की इलाहाबाद में बिजनेस प्लाण्ट के अन्तर्गत पुराने जर्जर खम्भों, तार व विद्युत ट्रांसफार्मरों को बदले जाने के सम्बन्ध में है, छियालीसवीं सूचना डॉ0 पी0के0 राय, की कुशीनगर के ग्राम अहिरौलीदान में पानी की टंकी को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है, सैंतालीसवीं सूचना श्री विश्वनाथ की जनपद कुशीनगर के थाना बघउचघाट के अन्तर्गत आने वाले 31 ग्रामों को थाना पथेरहा के अन्तर्गत किये जाने के सम्बन्ध में है, अड़तालीसवीं सूचना श्री आरिफ अनवर हाशमी की बलरामपुर के थाना सादुल्लानगर में दर्ज हुए गौस मोहम्मद उर्फ सज्जन के विरुद्ध दर्ज मुकदमें को वापस न लिये जाने के सम्बन्ध में है, उन्चासवीं सूचना श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल की आईकाबा इण्टरनेशनल एजूकेशन सोसायटी, बरेली द्वारा लोगों का धन हड़पने के सम्बन्ध में है, पचासवीं

सूचना श्री सर्वेश कुमार सिंह की आजमगढ़ स्थित भीमवर बाजार से टाण्डी तक बने मार्ग की जांच कराने एवं दोषी के विरुद्ध कार्यवाही कराने के सम्बन्ध में है, इक्यावनवीं सूचना श्री अनूप सण्डा की सुल्तानपुर के ग्राम ईडवार जसीगंज, थम्भौर एवं विवेकानन्द नगर में बनी पानी की टंकी को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है, बावनवीं सूचना श्री मिथिलेश कुमार की मृतक नन्दलाल ग्राम कुमभिया जनपद शाहजहांपुर के परिवार वालों को मुआवजा/अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में है, तिरपनवीं सूचना श्री अनूप कुमार गुप्ता की जनपद सीतापुर के विकास खण्ड मिश्रिख के ग्राम आंट में कराये जा रहे निर्माण कार्य में भारी घपला करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, चौवनवीं सूचना श्री सुरेश्वर सिंह की पार्क रोड स्थित विधायक निवास-6 लखनऊ के बी ब्लाक में मोटर साइकिल एवं साइकिल जला देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, पचपनवीं सूचना श्री राजेश यादव की मिथिलेश नन्दिनी रेशमा आरिफ महाविद्यालय नानपारा, बहराइच के अध्यक्ष द्वारा भ्रष्टाचार और धन उगाही की जांच कराकर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है, छप्पनवीं सूचना श्री आशिफ की मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय एवं शासनादेश के विरुद्ध यूनानी तथा आयुर्वेदिक चिकित्सकों से अनधिकृत ड्यूटी कराने के लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जांच कराने तथा एलोपैथिक चिकित्सकों से अन्य सेवाएं कराने सम्बन्ध में है, सत्तावनवीं सूचना डा0 कौशल किशोर की लखीमपुर के मधनाशरीफ मजार का सुन्दरीकरण व पेयजल की समस्या का समाधान तथा सड़क का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठावनवीं सूचना श्री यशपाल सिंह चौहान की उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जनपदों महामायानगर, अलीगढ़, एटा, इटावा, मैनपुरी, आगरा, फर्रुखाबाद जनपदों में आलू के मूल्य निर्धारण, आलू निर्धारण की नीति निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में है, उन्सठवीं सूचना श्री महेश चन्द्र गुप्ता की बदायूं नगर में बाई पास का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है, साठवीं सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1995 में गोमती नगर योजनान्तर्गत ग्रीन बेल्ट की 100 एकड़ भूमि सहारा को 30 वर्षों पर लीज पर दिये जाने के बाद भी पूरा भुगतान न किये जाने पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है, इकसठवीं सूचना श्री बैजनाथ दुबे की जनपद सिद्धार्थनगर तहसील नौगढ़ के ग्राम पंचायत मगरा के ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा विकास कार्य कराये बिना फर्जी तरीके से सरकारी धन को हड़पने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, बासठवीं सूचना श्री कृष्ण गोपाल पटेल की सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के 11-8-1997 से पूर्व बी0एड0 डिग्रीधारकों को विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण में शामिल करने के सम्बन्ध में है तथा तिरसठवीं सूचना श्रीमती सीमा द्विवेदी की जनपद सुल्तानपुर में प्रशासन द्वारा सामाजिक कार्यकर्ताओं का द्वेष के कारण उत्पीड़न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

इन सभी सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

जनपद सिद्धार्थनगर स्थित चोरयीताल, गायघाट एवं डड़िया विशुनपुर के बीच राप्ती नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लालजी यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 17-2-09 को मा0 सदन में नियम-51 के अन्तर्गत ....

श्री अध्यक्ष-

यह पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[यह सूचना दी गयी है कि जनपद सिद्धार्थनगर के बांसी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत धर्मसिंगवा, सकारपार, उसका बाजार होते हुए जनपद मुख्यालय पर आने-जाने हेतु चोरयीताल गाय घाट अजगरा के बीच तथा डड़िया विशुनपुरा के बीच हाटा के पास राप्ती नदी पर पुल का निर्माण कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है। इसी तरह बांसी मुख्यालय पर आने हेतु हियातनगर बड़हर घाट के बीच पुल बनाये जाने से सैकड़ों गांवों की मुख्यालय की दूरी बहुत कम हो जायेगी। इस प्रकार जनपद सिद्धार्थनगर मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालय बांसी आने-जाने के लिये हजारों गांवों के लोग लाभान्वित होंगे। अतएव इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर वक्तव्य की मांग की गयी है।

2-मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उक्त सूचना के सम्बन्ध में उ0 प्र0 राज्य सेतु निगम से प्राप्त आख्या के अनुसार अवगत कराना है कि उसका बाजार अजगरा-धर्मसिंहवा मार्ग पर राप्ती नदी पर पुल का निर्माण गोरखपुर-सिद्धार्थनगर मार्ग को उसका बाजार होते हुए बांसी धानी मार्ग पर धर्मसिंहवा को सीधे जोड़ देगा। इस संरेखण पर बूढ़ी राप्ती नदी पर रु0 363.63 लाख की लागत से 150 मीटर लम्बाई का एक पुल निर्माणाधीन है। प्रस्तावित सेतु स्थल से 12 कि0मी0 की दूरी पर डाउन स्ट्रीम में राप्ती नदी पर भुवही घाट सेतु निर्मित है एवं 22 कि0मी0 अप स्ट्रीम में लुम्बनी दुद्धी मार्ग पर एक सेतु निर्मित है।

3-हाटा-डढिया, विशुनपुर-खजूरडाढ मार्ग पर राप्ती नदी पर पुल का निर्माण गोरखपुर सिद्धार्थनगर मार्ग से खजूरडाढ होते हुए बांसी धानी मार्ग पर स्थिति हाटा को सीधे मार्ग से जोड़ देगा। इसी संरेखण पर बूढ़ी राप्ती नदी पर 357 लाख की लागत से 150 मीटर लम्बाई का पुल निर्माणाधीन है। प्रस्तावित सेतु के डाउन स्ट्रीम 23 कि0मी0 पर एक सेतु भुवई घाट पर निर्मित एवं अपस्ट्रीम के 11 कि0मी0 पर एक सेतु लुम्बनी दुद्धी मार्ग पर स्थित है।

4-हियातनगर बड़हर घाट के बीच परासी नाले पर सेतु जनपद मुख्यालय सिद्धार्थ नगर एवं बांसी तहसील को जोड़ देगा। प्रस्तावित सेतु के अपस्ट्रीम में 10 कि0मी0 की दूरी पर एक सेतु निर्मित

नोट :-।] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

है एवं डाउन स्ट्रीम में 12 कि0मी0 की दूरी पर सेतु निर्मित है। प्रस्तावित स्थल पर 79 मी0 लम्बे सेतु की आवश्यकता होगी।

उपरोक्त सेतुओं का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।]

जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम इन्ट्रीग्राण्ट टोला फूलपुरवा थाना मिश्रौलिया में 23/ 24-12-2008 को हुई डकैती के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में श्री माता प्रसाद पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मा0 सदस्य द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम इण्ट्रीग्राण्ट टोला ....

श्री अध्यक्ष-

यह पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[फूलपुरवा थाना मिश्रौलिया में 23/24-12-2008 की रात्रि को एक भीषण डकैती श्री दिनेश मिश्र, प्रधान के घर में हुई। श्री दिनेश मिश्र द्वारा उक्त सूचना मोबाईल फोन से पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर को दी गयी। डाकुओं द्वारा चलाई गयी गोलियों से पिता के पेट में गोली लगी एवं उक्त हादसे से बीमार मां की मृत्यु हो गयी। डाकुओं ने काफी लूटपाट किया, 48 हजार रुपये नगद तथा एक लाख रुपये के जेवर उठा ले गये और बगल के घर में भी डकैती डाली गयी। पुलिस घटना स्थल पर डाकुओं के जाने के बाद पहुंची तथा एफ0आई0आर0 पंजीकृत किया गया परन्तु आज तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं की गयी। इससे क्षेत्रीय जनता में भय व आतंक व्याप्त है एवं पुलिस की इस उदासीनता से जनता में आक्रोश है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्री दिनेश कुमार मिश्र पुत्र श्री भगवती प्रसाद मिश्र तथा श्री रामानन्द मिश्र पुत्र स्व0 श्री हरिमंगल मिश्र साकिन इन्ट्रीग्राण्ट टोला फूलपुरवा थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर आपस में पट्टीदार हैं तथा गांव की पुस्तैनी जमीन एवं बाग की हिस्सेदारी के विवाद व ग्राम प्रधानी के चुनावी विवाद को लेकर एक दूसरे के विरुद्ध आरोप-प्रत्यारोप लगाकर मुकदमें पंजीकृत कराते रहे हैं। श्री रामानन्द मिश्र पूर्व में ग्राम प्रधान रह चुके हैं। इसी प्रकार उनके प्रतिद्वन्दी श्री दिनेश मिश्र की मांग श्रीमती विन्दमती पत्नी भगवती मिश्रा दो बार ग्राम प्रधान इन्ट्रीग्राण्ट रही है। समय-समय पर दोनों पक्षों के द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध निम्नलिखित अभियोग पंजीकृत कराये गये हैं :-

1-मु0अ0सं0-652/2008 धारा 395/397 भा0दं0वि0 थाना मिश्रौलिया

2-मु0अ0सं0-615/2005 धारा 323/504/506 भा0दं0वि0 थाना इटवा

3-एन0सी0आर0 नं0 56/07 धारा 323/504/506 भा0दं0वि0 थाना मिश्रौलिया

नोट :-] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

4-एन0सी0आर0 नं0 57/07 धारा 323/504/506 भा0दं0वि0 थाना मिश्रौलिया

मु0अ0सं0 652/2008 धारा 395/397 भा0दं0वि0 की विवेचना श्री दद्दन सिंह थानाध्यक्ष, इटवा द्वारा की गयी जिसमें मामला असत्य एवं झूठा पाया गया। अतः जरिए अन्तिम रिपोर्ट संख्या-02/09, दिनांक 26-1-2009 को मय जुर्म खारिजा के विवेचना समाप्त कर अन्तिम रिपोर्ट दिनांक 7-2-2009 को मा0 न्यायालय को प्रेषित की जा चुकी है। मुकदमा वादी द्वारा आपसी रंजिश के कारण झूठा अभियोग पंजीकृत कराया गया। इस कारण वादी मुकदमा के विरुद्ध धारा 182 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु रिपोर्ट प्रेषित की गयी है।]

जनपद जौनपुर स्थित बरैछावीर धाम तथा कीना बाबा के मध्य गोमती नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बिरजू राम द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17-2-09 को मा0 सदन में नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गई है कि ....

श्री अध्यक्ष-

यह पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र केराकत-236, जौनपुर के अन्तर्गत ग्राम बरैछावीर धाम एवं ग्राम हरीहरपुर, पो0 हरीहरपुर, कीना बाबा जो गोमती नदी के दोनों ओर स्थित है। दिनांक 27-6-04 को प्रातः लगभग 8.10 बजे नाव दुर्घटना में जिसमें 55 व्यक्ति सवार थे, में से 33 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी थी और 22 घायल हुये थे। बरैछावीर धाम और कीना बाबा दोनों प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं, जहां पर नाव द्वारा पार करके दर्शनार्थियों का आवागमन होता है। बरैछावीर धाम तथा कीना बाबा के मध्य नदी पर पुल न होने के कारण दर्शनार्थियों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्राम बरैछावीर धाम, पो0 गोबरा, जनपद जौनपुर तथा ग्राम हरीहरपुर के बीच नदी एक छोटा पुल का निर्माण एवं उक्त दोनों धामों के सुन्दरीकरण हेतु सदन में संज्ञान लेने का अनुरोध किया है।

मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उक्त सूचना के सम्बन्ध में क्षेत्र से प्राप्त आख्या के अनुसार अवगत कराना है कि जनपद जौनपुर स्थित बरैछावीर धाम तथा कीना बाबा के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पर बरैछा घाट एवं हरीहरपुर घाट के मध्य गोमती नदी पर प्रस्तावित सेतु स्थल से लगभग 08 कि0मी0 अपस्ट्रीम में थाना गढ़दी केराकत मार्ग 209.35 मी0 लम्बा पुल निर्मित है तथा प्रस्तावित सेतु स्थल के लगभग 05 किमी0 डाउन स्ट्रीम में वाराणसी आजमगढ़ मार्ग पर चन्दवक के पास गोमती नदी पर 215.40 मी0 लम्बा पुल निर्मित है। उक्त सेतुओं तथा भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए प्रस्तावित स्थल पर 209.35 मी0 लम्बा पुल तथा दोनों ओर 200-200 मी0 पहुंच मार्ग तथा हरीहरपुर

नोट :-] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

घाट की ओर 1.00 कि0मी0 अतिरिक्त पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण किया जाना होगा जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।]

जनपद चन्दौली के ग्राम कुशहवा के ग्रामवासियों पर पुलिस द्वारा किये गये फर्जी मुकदमा वापस लेने एवं ग्रामीणों के हुए नुकसान का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री राम किशुन द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

पुलिस अधीक्षक, चन्दौली से प्राप्त आख्या के अनुसार दिनांक 13-1-2009 को श्री पारसनाथ यादव, प्रभारी चौरी कमालपुर ....

श्री अध्यक्ष-

यह पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[को मुखबिर से यह सूचना मिली कि हिलिया गांव से होकर कुछ पशु तस्कर पशुओं के साथ जा रहे हैं। इस सूचना पर चौकी प्रभारी ने आरक्षीगण राकेश कुमार यादव, अशोक कुमार पाण्डेय, हृदयानन्द राय, रामवचन यादव एवं राकेश भारद्वाज के साथ हिलिया गांव में दबिश देकर 9 बैलों के साथ दुर्गेश कुशवाहा, ओम प्रकाश राजभर, बिहारी राजभर, छोटे कुशवाहा, इंदल राजभर, राजू राजभर, राजेन्द्र राजभर, रामजन्म कुशवाहा एवं जितेन्द्र राजभर को समय 17.00 बजे पकड़ लिया व पशुओं को कब्जे में लेकर पुलिस बल जब थाने आ रहा था तो कुशहवां गांव के मोड़ पर पहुंचने पर उक्त गिरफ्तार व्यक्तियों के सहयोगियों द्वारा गांव वालों को उकसा कर गिरफ्तार व्यक्तियों एवं पशुओं को छुड़ाने हेतु पुलिस बल पर लाठी डंडे व ईंट पत्थर से अचानक हमला कर दिया गया जिससे चौकी प्रभारी के सिर में गम्भीर चोटें आईं और उनका सिर फट गया। आरक्षी रामवचन यादव की मोटर साइकिल यू0पी0 65एबी-2017 को हमलावरों द्वारा आग लगा कर नष्ट कर दिया गया तथा सभी व्यक्तियों व पशुओं को छुड़ा लिया गया। इस घटना के सम्बन्ध में आरक्षी राकेश कुमार यादव द्वारा स्थानीय थाने पर मु0अ0सं0-8/09, धारा 147/149/332/353/223/224/336/186/189/435/333/307/504/506 भा0दं0वि0 व 7 सी0एल0ए0 एक्ट तथा 3/5ए/8 गो-वध निवारण अधिनियम एवं 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम विरुद्ध दुर्गेश कुशवाहा एवं अन्य 27 नामजद व 150 अज्ञात स्त्री पुरुषों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। दुर्गेश कुशवाहा को दो पशुओं के साथ गिरफ्तार किया गया तथा प्रभारी निरीक्षक सकलडीहा, थानाध्यक्ष धानापुर, थानाध्यक्ष कटवा द्वारा मय फोर्स के साथ सम्बन्धित स्थानों पर दबिश दी गई और वादी मुकदमा व अन्य की निशानदेही पर 12 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। प्रश्नगत मामले की विवेचना एस0आई0एस0 द्वारा की जा रही है तथा घटना की मजिस्ट्रीयल जांच के आदेश भी जिलाधकारी, चन्दौली द्वारा दिये गये हैं।]

नोट :-।] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद प्रतापगढ़ में जिला योजना (सामान्य) ग्रामीण मार्ग का प्रस्ताव व आगणन को वर्ष 2009-2010 में स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत 17-2-2009 को दी गई सूचना में ....

श्री अध्यक्ष-

यह पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[यह उल्लेख किया गया है कि जनपद प्रतापगढ़ के लिए अनुदान संख्या-58 के जिला योजना (सामान्य) ग्रामीण मार्ग के प्रस्ताव व आगणन प्रमुख अभियन्ता (विकास) लो0नि0वि0 लखनऊ के पत्र संख्या-7294नि0/149-01नि/08, दिनांक 26-11-2008 द्वारा विशेष सचिव, लोक निर्माण अनुभाग-14 को मुख्य अभियन्ता, इलाहाबाद क्षेत्र के पत्रांक 12579/125 याता (सा)/इ0क्षे0/08, दिनांक 3-11-08 तथा शासन के पत्र संख्या-4246/23-14-08 दिनांक 17-11-08 के क्रम में स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है। वर्तमान सत्र में विभागीय बजट भी अनुमोदित हो रहा है। सभी मदों में धन स्वीकृतार्थ उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2009-2010 में स्वीकृति प्रदान करने की सुविधा रहेगी।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विधान सभा की मा0 आश्वासन समिति से आच्छादित आश्वासन संख्या-170/2004 के परिप्रेक्ष्य में प्रमुख अभियन्ता (विकास), लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26-11-2008 द्वारा जिला योजना के अन्तर्गत कुल 25 कार्यों के आगणन/प्रस्ताव उपलब्ध कराये गये हैं, जिसके सापेक्ष कुल लागत रु0 618.59 लाख के कार्य, निर्माण कार्य से सम्बन्धित है।

उक्त कार्यों की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।]

जनपद बांदा में पेयजल का भीषण संकट पैदा होने के सम्बन्ध में श्री विशम्भर प्रसाद निषाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 18-2-09 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना में उल्लिखित है कि ....

श्री अध्यक्ष-

यह पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[जनपद बांदा में पेयजल का भीषण संकट पैदा होने के कारण विधान सभा क्षेत्र तिन्दवारी व बबेरू में लोगों को नदी, तालाबों का पानी पीने पर विवश होना पड़ता है। मुख्य विकास अधिकारी,

---

नोट :- [यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बांदा को हैण्डपम्प लगाने हेतु दी गई सूची के अनुसार हैण्डपम्प नहीं लगाये जा रहे हैं, जिससे लोगों को तालाब, नदी का दूषित जल पीने से सैकड़ों लोग बीमार हो रहे हैं और मर रहे हैं। जल निगम की 16वीं शाखा/यांत्रिक शाखा द्वारा हैण्डपम्प की बोरिंग तथा मजदूरी में घोटाला किया जा रहा है तथा मामला जांच कराने योग्य है।

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद-बांदा के विधान सभा क्षेत्र तिन्दवारी व बबेरू में लोग नदी तथा तालाबों का पानी पीने को विवश है ऐसा कहना सही नहीं है। विधान सभा क्षेत्र तिन्दवारी में कुल 6203 हैण्डपम्प तथा विधान सभा बबेरू में 6451 हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं जिनसे लोग अपनी सुविधा से पेयजल ग्रहण कर रहे हैं।

3-ग्राम चटगन की जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार 787 है। इस ग्राम में अधिष्ठापित तथा क्रियाशील 04 नग हैण्डपम्पों का जल गुणवत्ता मानक के अनुसार संतोषजनक है। पेयजल सुलभ है।

क्योटरा ग्राम मरौली का मजरा है। ग्राम मरोली की कुल जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार 1897 है तथा इसमें कुल 22 हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं, जिनसे लोग पेयजल ले रहे हैं इस ग्राम के मजरे क्योटरा को खण्डेह पेयजल योजना से आच्छादित किया गया है परन्तु इस मजरे में पानी न पहुंचने के कारण इसके पुनर्गठन का आगणन तैयार किया जा रहा है।

विधान सभा क्षेत्र बबेरू के ग्राम पवइया में पाइप पेयजल योजना से पर्याप्त जलापूर्ति की जा रही हैं इसके अतिरिक्त इस ग्राम में 30 हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं।

4-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, मा0 सदस्य विधान सभा का पत्र दिनांक 10-02-2009 मुख्य विकास अधिकारी, बांदा के पत्र दिनांक 17-02-2009 द्वारा उत्तर प्रदेश जल निगम को प्रेषित किया गया है, जिस पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

श्री विशम्भर सिंह यादव, मा0 सदस्य विधान सभा का पत्र दिनांक 15-01-2009 तथा दिनांक 05-02-2009 द्वारा हैण्डपम्प अधिष्ठापन के सम्बन्ध में दी गई सूची मुख्य विकास अधिकारी बांदा ने अपने पत्र दिनांक 09-02-09 द्वारा उत्तर प्रदेश जल निगम को प्रेषित किया गया है। उपरोक्त पत्रों पर शासनादेश संख्या-1690/38-5-08-67/सम/07 दिनांक 14-08-2008 की व्यवस्थानुसार परीक्षण कराकर कार्यवाही की जा रही है।

5-वित्तीय वर्ष 2008-09 में हैण्डपम्प अधिष्ठापन हेतु शासनादेश संख्या-1690/38-5-08-67/सम/07 दिनांक 14-08-2008 द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार जिलाधिकारी तथा मुख्य विकास अधिकारी से प्राप्त सूची के अनुसार हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये जा रहे हैं। ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है कि दूषित पेयजल के कारण सेकड़ों लोग बीमार हो गये तथा पेयजल के अभाव में लोग मर रहे हैं।

6-जल निगम की 16वीं शाखा/यान्त्रिक शाखा द्वारा नये हैण्डपम्प दिखाकर बोरिंग/मजदूरी आदि में किये जा रहे घोटाले के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। ठेकेदारों द्वारा मजदूरों को मजदूरी न दिये जाने का कोई विशिष्ट प्रकरण जानकारी में नहीं है।

आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल बांदा से जांच कराने के निर्देश दे दिये गये हैं। जांच परिणाम आने पर गुण-दोष के आधार पर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

7-विधान सभा क्षेत्र तिन्दवारी तथा विधान सभा क्षेत्र बबेरू में गत वर्ष के स्वीकृत हैण्डपम्पों की संख्या 475 तथा 475 है, जिसके सापेक्ष विधान सभा क्षेत्र तिन्दवारी में 460 तथा विधान सभा क्षेत्र बबेरू में 417 हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये जा चुके हैं। सहभागिता धनराशि प्राप्त नहीं होने के कारण शेष हैण्डप[illegible] अधिष्ठापित नहीं किये जा सके। नये अधिष्ठापित सभी हैण्डपम्पों से पेयजल प्राप्त हो रहा है।

कानाखेड़ा पुनर्गठन पेयजल योजना निर्माणाधीन है। खण्डेय पेयजल ग्राम समूह पेयजल योजना, [illegible] कला, जसपुरा, निवाइच तथा तिन्दवारी पेयजल योजना के पुनर्गठन हेतु आगणन तैयार किया जा रहा है।]

प्रदेश में वर्ष 1992 से कार्यरत तदर्थ रूप में नियुक्त आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों का विनियमितीकरण [illegible] जाने के सम्बन्ध में डा0 पी0 के0 राय के द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मा0 सदस्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गई है कि प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में तदर्थ रूप से...

श्री अध्यक्ष-

यह पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लाल जी वर्मा-

[इस सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि विनियमितीकरण नियमावली के अन्तर्गत दिनांक 30-6-98 तक नियुक्त चिकित्साधिकारियों को विनियमितीकरण किये जाने का प्रस्ताव निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं द्वारा शासन को वर्ष 2005 के पूर्व ही प्रेषित किया गया था, जिसमें अन्य चिकित्साधिकारियों के साथ वर्ष 1992 के नियुक्त चिकित्साधिकारी, जिन्हें पर्वतीय उप संवर्ग से मैदान में तैनात करने के आदेश दिये गये थे, के नाम भी सम्मिलित थे। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1992 में 591 अंशकालिक चिकित्सकों को पर्वतीय [illegible] आयुर्वेदिक एवं यूनानी तथा होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के पदों पर तदर्थ रूप से नियुक्त किया गया था, जिसमें से 120 चिकित्साधिकारियों को वर्ष 1999 में मैदान में स्थानान्तरित किया गया उन्हीं में से आयुर्वेद विधा के 62 तथा यूनानी विधा के 09 चिकित्साधिकारियों को शासनादेश दिनांक 16-3-2005 द्वारा रिक्त पदों के सापेक्ष विनियमित किया गया।

आयुर्वेद विधा के 333 चिकित्साधिकारियों एवं यूनानी विधा के 23 चिकित्साधिकारियों को [illegible] करने के आदेश संख्या-1479/71-2-2005-डब्ल्यू-297/97 टी0सी0 दिनांक 16 मार्च, 20[illegible] द्वारा जारी किये गये। निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं द्वारा दिनांक 11 अप्रैल, 2008 के

[illegible] -]]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पत्र के माध्यम से विनियमितीकरण हेतु प्रेषित प्रस्ताव में आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी सामान्य वर्ग के 304, अ0पि0 वर्ग 49 अनुसूचित जाति के 06 तथा यूनानी सामान्य वर्ग के 41 एवं अ0पि0 वर्ग के 10 चिकित्साधिकारी शामिल हैं। उक्त प्रस्ताव में वर्ष 1992 में नियुक्त तदर्थ चिकित्साधिकारी भी शामिल हैं जिन्हें वर्ष 1999 के बाद उनके विकल्प के आधार पर उत्तरांचल राज्य से उ0प्र0 राज्य में स्थानान्तरित किया गया है। सेवानिवृत्त चिकित्साधिकारियों को भी विनियमित करने का प्रस्ताव उसमें शामिल है। विनियमितीकरण समिति की बैठक सम्पन्न हो चुकी है तथा विनियमितीकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।]

जनपद सुल्तानपुर स्थित मसियांव ताल नहर का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मदन भैय्या द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

श्री मदन भैय्या, मा0 सदस्य विधान सभा, उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 18-2-09 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में ....

श्री अध्यक्ष-

यह पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मसियांव ताल में गिरने वाली छोटी ड्रेनों पर पैक्ट संगठन के अन्तर्गत शारदा सहायक खण्ड-41, रायबरेली द्वारा पुनरोद्धार का कार्य कराकर सफाई करायी जा चुकी है। चूंकि मसियांव ताल ड्रेन की सफाई पूर्व में ऊसर सुधार निगम द्वारा करायी गयी थी, इसलिए डब्ल्यू0एस0आर0पी0 परियोजना की गाइड लाइन्स के अनुसार रिहैब्लिटेशन प्रोग्राम में इस कार्य को नहीं लिया गया था। ऊसर सुधार निगम द्वारा कराये गये कार्य का पर्याप्त समय व्यतीत हो चुका है। अतः जनप्रतिनिधियों की मांग को दृष्टिगत रखते हुए परियोजना के रिहैब्लिटेशन प्रोग्राम में इसे सम्मिलित कर लिया गया है। कार्य की अनुमानित लागत रु0 90.00 लाख है। कार्य योजना के अनुसार प्रश्नगत कार्य पूर्ण किया जाना है।]

वाराणसी में व्यापारियों को फार्म-38 न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 ज्योत्सना श्रीवास्तव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वाणिज्य कर मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

वैट प्रणाली के अन्तर्गत फार्म-38 (घोषणा-पत्र) के माध्यम से ही कर योग्य वस्तुएं आयात किये जाने की व्यवस्था है। उक्त...

श्री अध्यक्ष-

यह पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री लालजी वर्मा-

[फार्म-38 राजकीय मुद्रणालय में मुद्रित नहीं होते हैं, अपितु इनका मुद्रण मेसर्स गोप संस प्रिन्टिंग प्रेस नोएडा से कराते हुए वाणिज्य कर विभाग के खण्डों/मण्डलों के माध्यम से पंजीकृत व्यापारियों को उपलब्ध कराये जाते हैं जो कि माल मंगाने में इनका उपयोग करते हैं।

इस वित्तीय वर्ष में मेसर्स गोप संस प्रिन्टिंग प्रेस, नोएडा से लगभग 50 लाख (फार्म-38) मुद्रित कराकर उपलब्ध कराये गये हैं। मेसर्स गोप संस प्रिन्टिंग प्रेस के द्वारा 25 लाख फार्म-38 की आपूर्ति तत्काल करने हेतु आश्वस्त किया गया है।

वाराणसी या अन्य किसी वाणिज्य कर जोन में फार्म-38 का अभाव नहीं है और न ही उक्त मुद्रण फर्म ने आपूर्ति देने से मना किया है। वाराणसी में पहले कोयले का आयात रेलवे के माध्यम से रैक द्वारा किया जाता था जिसमें एक या दो फार्म-38 का उपयोग होता था। वर्तमान में ट्रकों के द्वारा कोयले का आयात किया जा रहा है जिसमें प्रत्येक ट्रक के लिए फार्म-38 अपेक्षित होने के कारण इन फार्म्स की मांग बढ़ गयी है जिसकी पूर्ति हो रही है। दिनांक 16-2-2009 को 5000 फार्म-38 वाराणसी जोन में उपलब्ध कराये गये हैं। इस प्रकार फार्म-38 के अभाव में व्यापार प्रभावित नहीं हो रहा है। मुद्रण फर्म द्वारा फार्म-38 की आपूर्ति बन्द किये जाने से आर्थिक संकट उत्पन्न होने का तथ्य सही नहीं है और दैनिक रूप से राजस्व की क्षति का तथ्य भी उचित नहीं है।]

आजमगढ़ में ग्राम कम्मरपुर राजभर बस्ती बीकापुर में बेसों नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती विद्या चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 20-2-09 को मा0 सदन में नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गई है ...

श्री अध्यक्ष-

यह पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लाल जी वर्मा-

[विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर जनपद-आजमगढ़ के अन्तर्गत ग्राम कम्मरपुर राजभर बस्ती बीकापुर बेसो नदी पर पुल निर्माण वर्ष 2002-03 में स्वीकृत है किन्तु किन्हीं कारणवश पुल का निर्माण कार्य न हो सका। इसका पैसा पी0एल0ए0 में पड़ा है। पुल न बनने से क्षेत्रीय जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जनता में काफी आक्रोश है। अतएव लोकहित को ध्यान में रखते हुए पुल निर्माण कराये जाने हेतु समुचित आदेश देने का अनुरोध किया गया है।

2-मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उक्त सूचना के सम्बन्ध में उ0 प्र0 राज्य सेतु निगम लिमिटेड से प्राप्त आख्या के अनुसार अवगत कराना है कि जनपद आजमगढ़ में मेंहनगर क्षेत्रान्तर्गत

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सिन्दुरी-बीकापुर मार्ग पर बेसो नदी पर सेतु नाबार्ड के आर0आई0डी0एफ0-10 योजना के अन्तर्गत रु0 180.40 लाख स्वीकृत है जिसका निर्माण मई, 2008 में पूर्ण हो चुका है तथा सेतु का लोकार्पण दिनांक 15-01-2009 को मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा किया जा चुका है।]

जनपद प्रतापगढ़ में किरोसिन तेल की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

श्री प्रमोद तिवारी मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज सहित सम्पूर्ण प्रतापगढ़.....

श्री अध्यक्ष-

यह पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[जनपद में सरकारी वितरण प्रणाली की दुकानों पर किरोसिन तेल उपलब्ध न होने के कारण लोगों को ब्लैक में बाजार से अधिक मूल्य पर मिट्टी तेल खरीदे जाने एवं कालाबाजारी के सम्बन्ध में वक्तव्य दिये जाने की मांग की गई।

इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि भारत सरकार से आवंटित/प्राप्त मिट्टी तेल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरित किया जाता है। भारत सरकार से प्राप्त उक्त मिट्टी तेल में से जनपद प्रतापगढ़ को प्रतिमाह 2027 के0एल0 मिट्टी तेल आवंटित किया जाता है।

यदि प्रदेश में उपलब्ध प्रत्येक राशन कार्ड पर न्यूनतम 05 लीटर प्रतिमाह मिट्टी तेल आवंटित किया जाय तो उ0 प्र0 को प्रतिमाह 2.24 लाख के0एल0 मिट्टी तेल की आवश्यकता होगी जबकि भारत सरकार से मात्र 1.32 लाख के0एल0 मिट्टी तेल प्राप्त होता है जो मांग के सापेक्ष 0.92 लाख के0एल0 कम है। उत्तर प्रदेश द्वारा भारत सरकार से लगातार मिट्टी तेल आवंटन की मात्रा में वृद्धि किये जाने का अनुरोध किया जाता रहा है तथा वर्तमान में मा0 मंत्री जी खाद्य तथा रसद विभाग के पत्र दिनांक 20-01-2009 एवं मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 21-01-2009 द्वारा भारत सरकार से 0.92 लाख के0एल0 मिट्टी तेल प्रतिमाह वृद्धि किये जाने का अनुरोध किया गया है।

यद्यपि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्राप्त होने वाला मिट्टी तेल प्रदेश की मांग के अनुरूप कम है फिर भी उपलब्ध मिट्टी तेल की वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 24-12-2008 द्वारा मिट्टी तेल के उठान के त्रिस्तरीय सत्यापन की व्यवस्था के नीतिगत निर्देश निर्गत किये गये हैं तथा शासनादेश दिनांक 12-01-2009 द्वारा रोस्टर के अनुसार सस्ता गल्ला विक्रेता की दुकान पर स्टाक सत्यापन की भी व्यवस्था की गई है ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरित किये जाने वाला मिट्टी तेल उचित लाभार्थी को प्राप्त हो सके।]

झांसी महानगर में पेयजल समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री प्रदीप जैन "आदित्य" द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

झांसी महानगर की वर्तमान जनसंख्या 5.70 लाख है मानक के अनुसार (135 ली0 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 15 प्रतिशत अतिरिक्त ....

श्री अध्यक्ष-

यह पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लाल जी वर्मा-

। वेस्टेज होने के कारण 88.48 एम0एल0डी0 जल की आवश्यकता है जब कि 10 एम0एल0डी0 पहुंच डैम से, 67 एम0एल0डी0 माताटीला डेम से, 5 एम0एल0डी0 29 नलकूपो से एवं 24.50 एम0एल0डी0 3453 हैण्डपम्पों से अर्थात् कुल 106.50 एम0एल0डी0 जल उपलब्ध है। झांसी शहर की सभी बस्तियों में जलापूर्ति हेतु पहले कुल 16 जोनों से जलापूर्ति की जा रही थी। नगर निगम बनने के बाद एवं 15 अतिरिक्त ग्रामों के शहरी क्षेत्र में जुड़ जाने के कारण अब 24 जोनों से जलापूर्ति करने का प्रस्ताव है।

मास्टर कालोनी, सत्यम् कालोनी, बड़ागांव गेट, शीतल कालोनी, गुमनावारा, वीरांगना नगर, कोछा, भाभर, पिछौर, करगुवां, लहर-गिर्द, भगवन्तपुरा, रक्शा, बिजौली, सिमरहा आदि ग्राम जो अब नगर क्षेत्र की परिधि में आ गये हैं, में आवश्यकतानुसार जलापूर्ति इन ग्रामों में अधिष्ठापित हैण्डपम्पों के माध्यम से की जा रही है जो मानक के अनुसार संतृप्त है। चूंकि इन क्षेत्रों में पर्याप्त जल हैण्डपम्पों/पाइप्ड पेयजल योजना से उपलब्ध है। अतः टैंकरों से जलापूर्ति की आवश्यकता नहीं है। बरुटा पेयजल योजना के अन्तर्गत निर्मित 06 नलकूपों हेतु पूर्व में डाली गई फीडर मेन सड़क के चौड़ीकरण योजना के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है जिसके सुधार के लिये धनराशि रू0 235.00 लाख एन0एच0आई0 से प्राप्त हो चुकी है। तद्नुसार कार्यवाही प्रगति पर है। उक्त कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 01-05-2008 एवं पूर्ण करने की तिथि 31-01-2009 थी। दो स्थानों क्रमशः फार्मेसी कालेज से लेकर रिक्षारिया पेट्रोल पम्प तक एवं पाल होटल से लेकर यमुना हिल्स होटल तक भूमि विवाद के कारण उक्त फीडर मेन बिछाने का कार्य बाधित है, जिसके लिये जिला प्रशासन के माध्यम से निराकरण के प्रयास किये जा रहे हैं।

झांसी महानगर के पेयजल से सम्बन्धित समस्त योजनाओं का अनुरक्षण झांसी जल संस्थान, झांसी द्वारा किया जा रहा है एवं उनके द्वारा समय-समय पर होने वाले लिकेज इत्यादि को ठीक कराने का कार्य कराया जाता है। इस प्रकार झांसी शहर में पेयजल संकट नहीं है।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मथुरा में यमुना नदी में हो रहे प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री प्रदीप माथुर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पर्यावरण मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

यह वक्तव्य स्थगित रखा जाता है।

रामपुर में भाखड़ा नदी पर ग्राम खण्डिया के पास पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कपूर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 19-2-09 को मा0 सदन में नियम 51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गई है .....

श्री अध्यक्ष-

यह पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लाल जी वर्मा-

[जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में भाखड़ा नदी पर ग्राम खण्डिया के पास नदी पर पुल नहीं है, जिसके कारण नदी के पार के 50-60 ग्रामों का रास्ता बरसात में तहसील व जिलों से टूट जाता है। इस पुल के न बनने से जनता में रोष व्याप्त है। इस पुल को बनाने का आगणन शासन में लम्बित है तथा वित्त विभाग द्वारा सहमति भी मिल चुकी है। बार-बार प्रयास के बाद भी शासन द्वारा धन आवंटित नहीं किया जा रहा है। इस पुल का बनना जनहित में बहुत आवश्यक है। अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मा0 सदस्य द्वारा ध्यान आकर्षित करते हुए वक्तव्य की मांग की गई है।

मा0 सदस्य द्वारा दी गई सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में भाखड़ा नदी पर ग्राम खण्डिया के पास पुल निर्माण के सम्बन्ध में आगणन शासन में प्राप्त हुआ है जिसकी मूल्यांकित लागत रु0 245.95 लाख है। प्रश्नगत सेतु निर्माण की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।]

प्रदेश में विशिष्ट बी0टी0सी0 की चयन प्रक्रिया में अनियमितता बरते जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कपूर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दी सूचना में उल्लिखित है कि उत्तर प्रदेश में विशिष्ट बी0टी0सी0 की चयन प्रक्रिया से .....

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

यह पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लाल जी वर्मा-

[किसी भी अभ्यर्थी के जन्म स्थान अथवा निवास स्थान के आधार पर विभेद किया जाना विधिक दृष्टि से अनुचित पाये जाने के कारण विचारोपरान्त प्रदेश सरकार द्वारा विशिष्ट बी0टी0सी0 में अवसर प्रदान करने के लिये यह निर्णय लिया गया कि अभ्यर्थियों को प्रदेश के किसी भी जनपद से आवेदन करने का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाय तथा जिस जनपद में जिस अभ्यर्थी का विशिष्ट बी0टी0सी0 में अन्तिम रूप से चयन होगा, प्रशिक्षणोपरान्त उसकी परीक्षा करवाकर सफल अभ्यर्थियों को उसी जनपद में सहायक अध्यापक के पद पर तैनाती कर दी जायेगी। विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण चयन के लिये जनपद के मूल निवासी को ही आवेदन करने हेतु अर्ह माना जाता तो जिन जनपदों में रिक्त पदों की संख्या अत्यधिक कम होती तो उसके सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट बहुत ऊंची जाती और इसके विपरीत जिन जनपदों में रिक्तियों की संख्या अत्यधिक होती उसमें चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट काफी नीचे हो जाती। फलस्वरूप चयनित अभ्यर्थियों की गुणवत्ता पर भी इसका प्रभाव अच्छा नहीं होता। इन्हीं सभी बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए विशिष्ट बी0टी0सी0 के प्रशिक्षण के चयन का आधार जनपद रखा गया तथा इस प्रशिक्षण के चयन हेतु अभ्यर्थी को प्रदेश के किसी भी जनपद से आवेदन करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई।]

जनपद उन्नाव की ग्राम सभा पारा में सस्ते गल्ले के दुकानदार द्वारा बी0पी0एल0 कार्ड धारकों की राशन सामग्री बाजार में विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में श्री उदय राज द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

श्री उदयराज यादव, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17-2-09 को नियम-51 के अन्तर्गत सूचना दी गई है कि ग्राम सभा .....

श्री अध्यक्ष-

यह पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लाल जी वर्मा-

[पारा विकास खण्ड हिलौली तहसील पुरवा, जनपद उन्नाव के अन्तर्गत बी0पी0एल0 के 481 तथा अन्त्योदय के 295 राशन कार्ड बने हुए थे उसमे से कुछ अपात्र लोगो को भी यह कार्ड बने हुए थे। राशन कार्डों की शिकायत के आधार पर उप जिलाधिकारी, पुरवा द्वारा जांच कराई गई जिसमें 122 बी0पी0एल0 तथा 43 अन्त्योदय कार्डधारक अपात्र पाये गये जिन्हे उप जिलाधिकारी ने दिनांक

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

13-7-2007 को कार्ड निरस्त कर दिया। कुछ कार्डधारकों द्वारा पुनः जांच कराये जाने का अनुरोध किये जाने पर दिनांक 30-7-07 उप जिलाधिकारी द्वारा निरस्त कार्डों में से 17 बी0पी0एल0 32 अन्त्योदय कार्डों को बहाल कर दिया।

2-ग्राम सभा पारा के ग्रामीणों द्वारा जिलाधिकारी, उन्नाव को दिनांक 22-12-08 को शिकायत की गई। सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदार द्वारा निरस्त 105 बी0पी0एल0 तथा 11 अन्त्योदय कार्ड जो दिनांक 13-7-07 को उप जिलाधिकारी द्वारा निरस्त किये गये थे उनका राशन कोटेदार द्वारा गोदाम से उठाकर बाजार में बेचा जा रहा है। इस सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी, पुरवा को भी ग्रामीण द्वारा कई प्रार्थना-पत्र दिये जा चुके हैं लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।

3-इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में निर्धारित रोस्टर के अनुसार खाद्यान्न चीनी एवं मिट्टी के तेल की वितरण की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के सम्बन्ध में पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की देख-रेख में वितरण कराये जाने के निर्देश शासनादेश 10 अगस्त, 2007 जारी किया गया है। उक्त शासनादेश के अनुसार आवश्यक वस्तुओं के वितरण कराने हेतु पर्यवेक्षक नियुक्त हैं और अभी तक किसी पर्यवेक्षक द्वारा उचित दर विक्रेता के वितरण के सम्बन्ध में प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में नहीं लाये गये तथापि प्राप्त शिकायतों को दृष्टिगत रखते हुए उप जिलाधिकारी, पुरवा द्वारा दिनांक 12-2-2009 को तीन सदस्यीय टीम का गठन कर जांच कराये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं। इस तीन सदस्यीय जांच टीम में श्री विनोद चन्द्र मिश्रा, नायब तहसीलदार, पुरवा, अध्यक्ष, श्री महेन्द्र कुमार सक्सेना, पूर्ति निरीक्षक, पुरवा, सदस्य एवं श्री रूप चन्द्र, प्रा0 राजस्व निरीक्षक, सदस्य सम्मिलित हैं उन्हें शीघ्र जांच आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। जांच आख्या उपलब्ध होने पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।]

जनपद कुशीनगर के क्षेत्र फाजिलनगर की नहरों में पानी न आने के सम्बन्ध में श्री विश्वनाथ द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मा0 सदस्य, विधान सभा श्री विश्वनाथ द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना दिनांक 17-2-09 में अभिकथित है कि ....

श्री अध्यक्ष-

यह पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लाल जी वर्मा-

। विधान सभा क्षेत्र-फाजिलनगर, जनपद कुशीनगर की नहरों (रांजवाहों/माइनरों) में पानी न आने के कारण खरीफ की फसल सूख रही है। किसान दुःखी और आहत हैं। सरकारी घोषणा के बाद

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

भी सारी नहरों (राजवाहा एवं माइनरों) में सिल्ट भरी होने के कारण हेड से टेल तक पानी आने का काम नहीं हुआ है। किसान उत्तेजित है, किसी भी समय आन्दोलित हो सकते हैं।

2-अनुरोध किया गया है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए तत्काल उक्त नहरों/राजवाहों में जमी सिल्ट की सफाई कराई जाय।

3-इस सम्बन्ध में प्रथमतः यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि उक्त सूचना में खरीफ की फसल के सूखा का उल्लेख है जो तथ्यात्मक प्रतीत नहीं होता, सम्भवतः इसका आशय रबी की फसल से है। मा0 सदस्य की उक्त सूचना के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि गण्डक संगठन के अन्तर्गत कुल 1523 रजवाहों और अल्पिकाओं की सिल्ट सफाई का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2008-09 में रखा गया था। दिनांक 05-02-2009 तक इस लक्ष्य के विपरीत 1459 रजवाहों एवं अल्पिकाओं की सिल्ट सफाई कराई गई है जो लक्ष्य का 96 प्रतिशत है इसका शत प्रतिशत मार्तक सत्यापन भी किया गया है। उल्लेखनीय है कि मुख्य पश्चिमी गण्डक नहर, जिससे फाजिलनगर और कुशीनगर को पानी पहुंचाया जाता है, की सींच क्षमता कम हो गई है जिसकी पुनर्स्थापना के लिए 2.97 करोड़ की परियोजना तैयार की गई है, जो भारत सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। उक्त परियोजना चालू होने के पश्चात् पूर्ण क्षमता से नहर का संचालन सम्भव हो सकेगा।

जनपद लखीमपुर खीरी अन्तर्गत अम्बेडकर ग्रामों की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 कौशल किशोर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत .....

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लाल जी वर्मा-

[यह सूचना दी गई है कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र 54 लखीमपुर के अन्तर्गत ग्राम-चक कमलापुर, अम्बेडकर ग्राम व ग्राम कार्दीपुर अम्बेडकर ग्राम को जाने वाली सड़क जो लहरपुर रोड से ग्राम-फत्तेपुर (अम्बेडकर ग्राम) मूसेपुर मजरा मरखापुर, मुसेपुर खुर्द होकर अम्बेडकर ग्राम चक कमलापुर व अम्बेडकर ग्राम कार्दीपुर जाती है यह टूट कर ध्वस्त हो गई है। आवागमन बाधित है, भारी मरम्मत लायक है इससे स्थानीय लोगों में काफी रोष एवं असंतोष व्याप्त है।

उक्त मार्ग की स्थिति प्राप्त सूचना के अनुसार निम्नवत् है :-

प्रश्नगत मार्ग जनपद-लखीमपुर खीरी में खीरी-लधुचा लहरपुर मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के कि0मी0-8 (7.800) से दायीं ओर निकलता है, जिसकी कुल लम्बाई 07 कि0मी0 है। उक्त मार्ग पी0-2 स्तर तक लेपित है। मार्ग के कि0मी0-1 में फत्तेपुर (अम्बेडकर ग्राम) कि0मी0-3 में मूसेपुर, मरखापुर, कि0मी0-4 में पसियनपुरवा, कि0मी0-5 में मूसेपुर खुर्द,

महुआपुरवा, कि0मी0-6 में चक-कमलापुर, लल्वापुर एवं मार्ग के अन्त में अम्बेडकर ग्राम कार्दीपुर स्थित है। प्रश्नगत मार्ग अतिवृष्टि एवं बाढ़ के कारण कुछ जगह पर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, जिसके सुधार हेतु मार्ग के कि0मी0-1, 2 एवं 3 में एक-एक पुलिया निर्माण का कार्य तथा पिच मरम्मत का कार्य प्रगति में है, जो इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करा दिया जायेगा। वर्तमान में मार्ग पर यातायात सुचारु रूप से चल रहा है।]

जनपद आजमगढ़ के ग्राम दुर्वासा निजामाबाद के मध्य तमसा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अंगद यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 18-2-2009 को मा0 सदन में नियम-51 के अन्तर्गत यह .....

श्री अध्यक्ष-

इसको पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लाल जी वर्मा-

[सूचना दी गई है कि जनपद आजमगढ़ एक पिछड़ा क्षेत्र है। ग्राम दुर्वासा निजामाबाद के मध्य तमसा नदी पर पुल न होने से स्थानीय कृषकों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा बरसात के दिनों में आवागमन अवरुद्ध हो जाता है तथा कृषक अपनी फसलों को दूसरे स्थानों पर बेचने नहीं जा पाते हैं। जिससे उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। अतएव अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना को ग्राह्य करके ग्राम दुर्वासा और निजामाबाद के तमसा नदी पर ग्राम अहमदाबाद के निकट पुल के निर्माण कराये जाने हेतु वक्तव्य की मांग की गई है।

मा0 सदस्य, द्वारा दी गई सूचना के सम्बन्ध में क्षेत्र से प्राप्त आख्या के अनुसार जनपद आजमगढ़ के दुर्वासा और निजामाबाद के मध्य तमसा नदी पर सेतु के निर्माण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत स्थल से 6.00 कि0मी0 अपस्ट्रीम में तमसा पर धनहरा नियाउज पर 106 मी0 लम्बा सेतु निर्माणाधीन है तथा डाउन स्ट्रीम में 05 कि0मी0 की दूरी पर फरीहा- निजामाबाद मुदरी मार्ग पर निजामाबाद में 119 मीटर लम्बा सेतु निर्मित है। अतः प्रस्तावित स्थल के समीप सेतु उपलब्ध है। यदि जनता की मांग पर प्रस्तावित स्थल पर सेतु निर्माण पर विचार किया जाता है तो स्थल पर लगभग 106 मीटर लम्बे सेतु की आवश्यकता होगी जिसकी कुल लागत लगभग रु0 400.00 लाख होगी। सेतु का निर्माण संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर होगा।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद वाराणसी के वरुणा नदी पर कोइराजपुर पुल व दीन दयालपुर पुल को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम किशुन द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 18-2-09 को मा0 सदन में नियम 51 के अन्तर्गत यह सूचना.....

श्री अध्यक्ष-

इसको पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लाल जी वर्मा-

[सूचना दी गई है कि जनपद वाराणसी के वरुणा नदी पर पिछली सरकार के शासन के दौरान दो पुल निर्माण कराये जाने की स्वीकृति और धन भी दे दिया गया था। लोक निर्माण विभाग ने दो कार्य भी प्रारम्भ कर दिया। पुल भी दोनों बनकर तैयार हो गये लेकिन आज तक इनका सम्पर्क न बनने से सैकड़ों गांवों के लोगों को मुख्यालय आने-जाने की सुविधा अभी नहीं मिल पा रही है। कोई राजपुर पुल हरहुवां बाजार से वाया कोरउत तक जाता है, दीनदयालपुर वाया कोटवा सम्पर्क मार्ग का कार्य करता है, परन्तु इन दोनों पुलों का सम्पर्क मार्ग न बनाये जाने से इन पुलों का औचित्य पर ही प्रश्नचिन्ह लग रहा है। अतः मा0 सदस्य द्वारा दोनों पुलों के सम्पर्क मार्ग को बनाये जाने की मांग की गई है।

मा0 सदस्य द्वारा दी गई उक्त सूचना के सम्बन्ध में जनपद वाराणसी के दो पक्के सेतुओं के सम्बन्ध में सूचना निम्नवत् है :-

(1) वाराणसी में शिवपुर रेलवे स्टेशन से शिवपुर आश्रम मार्ग के पिसौरा घाट पर वरुणा नदी पर सेतु-

प्रश्नगत सेतु की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2006 में रु0 221.79 लाख की प्राप्त हुई थी जिसमें सेतु अंश रु0 171.13 लाख पहुंच मार्ग अंश रु0 50.66 लाख है। सेतु निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, वाराणसी है एवं पहुंच मार्ग हेतु कार्यदायी संस्था प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, वाराणसी निर्धारित है। सेतु का कार्य पूर्ण है। पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु माह 1/08 में कार्य प्रारम्भ करने का प्रयास किया गया, परन्तु भूमि से प्रभावित कृषकों द्वारा बिना मुआवजा प्राप्त किये भूमि देने से मना कर दिया गया। उक्त कार्य के लिये स्वीकृत आगणन में पहुंच मार्ग में पड़ने वाली भूमि अधिग्रहण का प्राविधान नहीं था। अतः भूमि अध्याप्ति का प्राविधान करते हुए पहुंच मार्ग में पड़ने वाली भूमि के अर्जन हेतु कार्यवाही प्रगति में है। भू-अर्जन के पश्चात् सेतु पहुंच मार्ग का निर्माण किया जायेगा।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(2) वाराणसी में कोरौत बाजार और कोईराजपुर के बीच कोरौत घाट पर वरुणा नदी पर सेतु का निर्माण-

प्रश्नगत सेतु की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2006 में रु0 275.81 लाख की त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत प्रदान की गई थी जिसमें सेतु अंश रु0 183.285 लाख एवं पहुंच मार्ग अंश रु0 92.52 लाख है। सेतु निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, वाराणसी है एवं पहुंच मार्ग हेतु कार्यदायी संस्था निर्माण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग, वाराणसी निर्धारित है। सेतु की भौतिक प्रगति 37 प्रतिशत है। वर्ष 2007-08 में शासन द्वारा रु0 248.23 लाख का आवंटन किया गया था लेकिन उक्त धनराशि विलम्ब से प्राप्त होने के कारण और प्रश्नगत वित्तीय वर्ष 2007-08 में आहरित न कर पाने के कारण धनराशि का उपयोग नहीं किया जा सका। त्वरित आर्थिक विकास योजना शासन द्वारा समाप्त कर दी गई है। अतः प्रश्नगत सेतु का निर्माण राज्य सेक्टर से धनराशि की व्यवस्था कर पूर्ण किया जायेगा।]

जनपद खीरी के ग्राम नई बस्ती भिडौरा निवासी श्री सुन्दर लाल के हत्यारों को गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में श्री कृष्ण गोपाल पटेल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन

महाराजगंज नौतनवां में खनिज विभाग द्वारा फार्म सी के नाम पर अवैध वसूली के सम्बन्ध में श्री अमर मणि त्रिपाठी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर खनिकर्म मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-36 और मद संख्या-37 स्थगित है।

सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित की जाय।

मान्यवर, 10 फरवरी, 2009 से सदन की कार्यवाही संचालित हुई और मैं इस बात के लिये सभी माननीय सदस्यों का, विपक्ष-प्रतिपक्ष के नेता तथा सभी अन्य माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इस सत्र में सभी माननीय सदस्यों ने हिस्सेदारी करने का काम किया और एक शान्तिमय ढंग से संसदीय परम्परानुसार अगर आवश्यकता पड़ी तो अपना विरोध भी दर्ज कराया। जिन बातों पर उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि विरोध करने की जरूरत है, उन्होंने विरोध दर्ज कराया लेकिन सामान्य रूप से सदन के संचालन में पूर्ण सहयोग करने का काम किया है इसके लिये मैं सभी माननीय प्रतिपक्ष के सभी नेताओं का, सदस्यों का, सत्ता पक्ष के सभी माननीय मंत्रि-मण्डल के सभी सदस्यों का, सभी सम्मानित सदस्यों का और साथ ही साथ मान्यवर, आपका कि आपके कुशल संचालन में विधान सभा की जो कार्यवाही शान्तिमय ढंग से मर्यादित ढंग से संचालित हुई है, उसके लिये मान्यवर, आपकी

जितनी प्रशंसा की जाय, वह कम है। आपने विधान सभा के इस कार्यकाल में या पिछले तमाम अन्य विधान सभा के कार्यकालों के दौरान जितने भी माननीय अध्यक्षगण हुए हैं उसमें अगर आपको किसी से कम आंका जाय तो मैं समझता हूं कि आपके साथ ज्यादती होगी। बल्कि मेरा तो यह मानना है कि जब से मैं विधान सभा की कार्यवाही देख रहा हूं। मेरा कोई बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन 1991 से इस विधान सभा के विभिन्न अध्यक्षों के साथ मुझे भी इस सदन में बैठने का अधिकांश अवसर मिला है और उसमें जो मैंने पाया कि आपके द्वारा सदन का जो कुशल संचालन हुआ है शायद ही ऐसा उदाहरण मिला हो और इसके लिये आपकी जितनी भूरि-भूरि प्रशंसा की जाय, वह कम है (मेजे थपथपाई गईं) इसी के साथ ही साथ मैं सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए प्रमुख सचिव, विधान सभा का, विधान सभा के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का, जिन्होंने अपनी कठिन परिस्थितियों में भी अपने दायित्व का निर्वहन करने का काम किया। सुबह 6 बजे ही सभी के घरों में एजेण्डा पहुंचाने का, हम सोकर जगने भी नहीं पाते हैं कि एजेण्डा घर पर पहुंचा रहता है। तो यह जो कार्य मान्यवर, हुआ है इसके लिये सभी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा और इसी के साथ मान्यवर, माननीय नेता सदन की तरफ से, हर बार हमारे जो विधान सभा के कर्मचारी सुबह से लेकर देर रात तक विधान सभा में रहकर, विधान सभा के कैम्पस में और विधान सभा का एजेण्डा पहुंचाने से लेकर अन्य कार्यक्रमों में शरीक रहते हैं, प्रत्येक वर्ष उनको मानदेय 2,500 रुपये दिया जाता रहा है। इस बार माननीय नेता सदन ने 3,000 रुपया देने का निर्णय लेने का काम किया है। (मेजे थपथपाई गईं) मैं इस बात को बताते हुए पुनः सभी माननीय सदस्यों का, नेताओं का, प्रतिपक्ष के सभी सम्मानित नेताओं का आभार व्यक्त करते हुए आप सभी लोगों का, विधान सभा के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का और आपका भी आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। मान्यवर, पत्रकार बन्धुओं का भी जिन्होंने विधान सभा की रिपोर्टिंग में चाहे वह प्रिन्ट मीडिया हो या इलेक्ट्रानिक मीडिया ने भी एक महत्वपूर्ण योगदान करके और जो यहां पर जो चर्चायें हुई हैं उनको जनता के सामने ले जाने का काम किया है। उसके लिये मैं उनका भी आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस अन्तिम मौके पर अपने विचार रखने का अवसर दिया। मान्यवर, इस सदन में जो कुछ घटता है वह परम्परा बनती है आने वाले भविष्य के लिये, आने वाली पीढ़ी के लिये, परम्पराओं का निर्माण करने की जिम्मेदारी सत्तापक्ष की ज्यादा होती है। हम ऐसी परम्पराओं का अनुसरण करें कि आने वाली पीढ़ियों के लिये एक सबक हो, आने वाले लोगों के लिये एक सबक हो ऐसी परम्पराओं को हमें डालना चाहिये, और इस जिम्मेदारी का निर्वाह सत्तापक्ष को जरूर करना चाहिए। आज के इस मौके पर हम आपका विशेष रूप से आभार प्रकट करते हैं कि आपने समय-समय पर हम लोगों का संरक्षण किया हमको और हमारे दल के लोगों को पूरी तरह से इस बात के लिये संरक्षित किया कि हम अपने विचार विभिन्न विषयों पर, समय-समय पर सदन में व्यक्त कर सकें। हम व्यक्तिगत रूप से भी और अपने दल की ओर से भी हम आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं।

(मेजे थपथपाई गईं)

और आज इस मौके पर हम विशेष रूप से सम्पूर्ण सदन से और विशेष रूप से आपसे भी यह चाहेंगे आप हमारे संरक्षक हैं आप कोई भी ऐसी परम्परा न पड़ने दें कि भविष्य के लिये गलत संदेश जाये। इसी के साथ हम पुनः एक बार आपका धन्यवाद व्यक्त करते हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि अत्यन्त संक्षिप्त सत्र के उपरान्त परम्पराओं का पालन करते हुए आपने मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं सबसे पहले आपकी प्रशंसा करते हुए यह कहना चाहता हूं कि मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने बताया जब से वह आये हैं उन्होंने सर्वश्रेष्ठ देखा है। मैं कहना चाहता हूं कि जब से यह विधान सभा बनी है अध्यक्ष पद बना है, अगर पुरुषोत्तम दास टण्डन की मान्यवर, किसी से तुलना की जा सकती है तो वह आपका नाम इतिहास में होगा।

(मेजे थपथपाई गईं)

मान्यवर, आपमें अद्भुत क्षमता है, सत्तापक्ष की कार्यवाही को भी आप पूरा करा देते हैं और विपक्ष के हाथों में भी आप खिलौना पकड़ा देते हैं हम उससे खेलते रहते हैं। अन्त में परिणाम यह आता है कि सरकार अपना सारा कामकाज कराकर चली जाती है और कोई आपको दोष नहीं देता है आप बैठे रहते हैं। मान्यवर, आपकी यह कला आपके व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत काम करती होगी। मुझे पूरा विश्वास है। (हंसी) मुझे पूरा विश्वास है, खन्ना साहब की तरह आपकी अपील टाइम बार्ड न हो, जब तक आप रहें स्वस्थ रहें। प्रसन्न रहें और चेहरे पर आपके यूं ही मुस्कराहट विद्यमान रहे और आप जैसे हम लोगों को मूर्ख बनाते रहते हैं वह बनाते रहें। फिर भी मान्यवर, मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हम सभी ने महसूस किया कि हर सत्र के बाद आपका अनुभव बढ़ा है। आप नियमों का सही विश्लेषण करते हैं और उसका जितना लाभ विपक्ष को अधिकार होता है बोलने का, वह लाभ देते हैं। इसके लिये मैं सम्पूर्ण विपक्ष की ओर से आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं। मान्यवर, इस बार आपने नये सदस्यों को संक्षिप्त काल में जितना अवसर दिया है मैं उन नये सदस्यों को भी बधाई देना चाहता हू। मैं देख रहा हूं विधान सभा में जो नये सदस्य आये हैं वह बहुत अनुभव के साथ, बहुत ही आत्मविश्वास और बहुत दक्षता के साथ सदन में बोलते हैं। मैं सभी नये सदस्यों को इस बात के लिये बधाई देता हूं शुभकामनायें अर्पित करता हूं इसी तरह से बोलते रहने से आगे चलकर आपमें आत्मबल आयेगा जिससे आगे चलकर आप एक अच्छे संसदीय वक्ता बन सकेंगे। आपने बहुत कम नोटिस किया होगा यह संक्षिप्त और महत्वपूर्ण सत्र है। इसके बाद लोक सभा के चुनाव होंगे और हमारे कई सदस्य लोक सभा का चुनाव लड़ेंगे। मान्यवर, नेता विरोधी दल इस समय यहां नहीं हैं, मैं आग्रह करना चाहता था, पर समय नहीं मिला कि आज वाकआउट करके वह न जायें बल्कि मैं समझता हूं कि वह लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, उनकी विजय की भी कामना करता हूं और उत्तरोत्तर भविष्य में बड़े से बड़े पदों पर वह बैठें, एक को छोड़कर, मान्यवर इसकी मैं कामना करता हूं। (हंसी) मान्यवर, नेता सदन के प्रति भी मैं शुभकामनायें अर्पित करता हूं और भगवान से हमारी

यह हार्दिक इच्छा है, मैं चाहता हूं कि भगवान जरूर पूरी करें, जो अगले तीन साल का समय बचा है, नेता सदन के रूप में मौजूद रहें। मैं उनके लिये कामना करता हूं। (हंसी) वह कुशलतम सफलतम मुख्य मंत्री के रूप में यहीं साढ़े तीन साल तक कार्य करती रहें, यह मेरी दिली इच्छा है। मान्यवर (हंसी), मान्यवर, आज एक समाचार-पत्र के खिलाफ मा0 खन्ना साहब नियम 300 में लाये थे, मैं भी लाना चाहता हूं। मान्यवर, आज मैंने सुबह एक समाचार पत्र पढ़ा, उसमें यह छपा हुआ है कि कल शाम को लगभग 10 बजे संसदीय कार्य मंत्री जी जब अपने घर पहुंचे, भयकर कोहराम मचा, मल्ल युद्ध हुआ, वाक् युद्ध हुआ और आखिर में घायल और पराक्रमी योद्धा के रूप में सकुशल भाग निकलने में आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री अपने घर में कामयाब हुए। (हंसी) मान्यवर, गलती मेरी है, मैं उसके लिये उनसे क्षमा याचना करना चाहता हूं। बहुत कम सच बोलता हूं लेकिन कल मेरे मुंह से सच निकल गया था। मान्यवर, सम्भवतः गवर्नर गैलरी में मैं देख रहा था, बार-बार आप भी देख रहे थे, मैंने देखा नहीं, नहीं तो मैं नहीं देखता। वित्तमंत्री जी की पत्नी मौजूद थीं और मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि यह कौन सी है, जरा मुझे बता देना चूंकि कई मौकों पर कई लोगों से यही कह कर आपने मुझे मिलाया है। (हंसी) वित्त मंत्री जी, मान्यवर, बहुत विद्वान हैं, योग्य हैं मै एक बार फिर दिल से उनकी प्रशंसा कर रहा हूं कि धीरे-धीरे उनमें संयम आने लगा है, अब वह जल्दी क्रुद्ध नहीं होते हैं और दूसरों की बात सुनने का प्रयास करते हैं, यह गुण आ जाने के बाद, एक अच्छे संसदीय कार्य मंत्री है, मैं आपके अनुभव, ज्ञान और विद्वता की प्रशंसा करता हूं। बस एक और गुण है, मान्यवर, वह किसी तरह निर्गुण में बदल जाए यह मैं चाहता हूं। इनकी न कहने की आदत कब से पड़ी मैं नहीं जानता कौन सा ऐसा कटु अनुभव हुआ है कि हर बात पर यह न कहने लगे हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि कल जब यह घर पहुंचे तो इस बात पर इनका एक्सप्लेनेशन काल हुआ और एक्सप्लेनेशन काल होने के बाद इन्होंने जो भी सफाई दी हो, कहा कि ऐसी कई बार आप सफाई दे चुके हो, हर बार झूठ बोल देते हो। मान्यवर, उससे इनको जो शारीरिक पीड़ा हुई, उसके लिए इनसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं और उस अखबार के खिलाफ विशेषाधिकार की सूचना देते हुए उसे निरस्त करने की भी मैं माग करता हूं क्योंकि वह अखबार सिर्फ मैंने पढ़ा और किसी ने पढ़ा नहीं, इसलिए गवाही में नहीं दे सकता। (हंसी)

मान्यवर, आदरणीय नेता विरोधी दल जब भी आए, उन्होंने बहुत ही विद्वता के साथ उनका बहुत अनुभव है उन्होंने विपक्ष की बात रखी, हम लोगों ने सहयोग दिया, उनकी अनुपस्थिति में हम उनकी सराहना करते हैं, नेता सदन की सराहना मैं कर चुका हूं और करता आज अगर कुछ घोषणाएं जनहित में हो जाती पर जितना हुआ वह पर्याप्त है मैं चाहता हूं कि आगे चुनाव के बाद कम से कम हैण्डपम्प के बारे मे सड़क के बारे में जरूर घोषणा हो जाए। मान्यवर, कई मा0 सदस्यों की विद्वता हम इस बार सदन में नहीं देख पाए। हुकुम सिंह जी नहीं आए, उनकी अनुपस्थिति में मैं उनकी याद करते हुए कहना चाहता हूं और उनके लिए भी कामना करता हूं कि वह जीवन में सफल हों। नरेश जी चले गये हैं इस्तीफा देकर, संभवतः उनके पुत्र आए हैं मैंने एक दिन उनको देखा था, मैं उनके लिए भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इसी प्रकार से बहुत से लोग इस सदन मे दिखाई नहीं पड़े। कुछ लोग खुशी के मारे और कुछ लोग अपने घर की नाराजगी के कारण। मैं चाहता हूं कि जो भी

नाराजगी किसी सदस्य को रही हो, वह अपनी नाराजगी दूर करें और सदन में आयें। सदन में जब ऐसे सदस्य होते हैं तो सदन का गौरव बढ़ता है, सदन का महत्व बढ़ता है।

मान्यवर, मैं कुछ बातें इशारतन करता हूं सब समझते हैं। अब आप ही कह रहे हैं कि नाम नहीं लिया तो मेरे नाम लेने की जरूरत है किसी के बारे में। मान्यवर, मैं एक बार पुनः धन्यवाद देते हुए कहना चाहता हूं कि लोग रहते, बजट सत्र लम्बा चलता, मैंने तो सुझाव भी दिया था कि लेखानुदान अभी करा लें, बजट सत्र बाद में बुला लें। गर्मी में चुनाव के बाद आप अपना हार का गम भुलाने के लिए एक बार सत्र बुला लीजिएगा तब मैं शायद यहां न रहकर केन्द्र सरकार बनवाने में व्यस्त रहूंगा लेकिन अगर आप बुलायेंगे तो मैं जरूर आऊंगा यह मैं आपसे वायदा करता हूं। मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं आप सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, खासतौर से कृषि मंत्री जी का कि अगर फसल बढ़े तो अच्छी बात है लेकिन आपका वाद-विवाद कभी-कभी बहुत बढ़ जाता है तो इसमें थोड़ा कमी होनी चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि भगवान करे जब अगला सत्र हो तो एक विद्वान मंत्री जी के सिर पर बाल नहीं हैं अगले सत्र में उनके सिर पर पूरे बाल मौजूद रहें। मैं ऐसी मंगल कामना करता हूं और इसके लिए मैं श्री अंटू मिश्रा जी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, मैं उनसे कहूंगा कि वह अपने यहां से योग्यतम् चिकित्सकों के सहारे उनका निदान करें। मेरे लायक जो सहयोग होगा उसमें मैं आपको सहयोग दूंगा, इतना ही मैं कह सकता हूं।

(हंसी)

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि सभी सदस्य एक बार मेजें थपथपाकर आपका आभार व्यक्त करें।

(मेजें थपथपाई गयीं।)

मान्यवर, प्रमुख सचिव जी, हालांकि उनका दूसरा ही सत्र था लेकिन उन्होंने आपका पूरा सहयोग दिया और जब कभी भी हम लोगों ने सरकार को घेरने की कोशिश की उनकी पर्ची ने सरकार को बचा लिया। तो मैं उनकी विद्वता को भी सराहते हुए उनके लिए भी मंगल कामना व्यक्त करता हूं। सारे कर्मचारियों का सहयोग बहुत अच्छा रहा। ढाई से तीन हजार रुपये आपने दिया और बजट बढ़ा साढ़े तीन प्रतिशत और आपका बहुत थोड़ा सा। कुछ चीजें रह गयी थीं इस सम्बन्ध में आपको निर्णय लेना चाहिए था, समान कार्य समान वेतन का आप नारा देते हैं लेकिन यहीं विधान सभा में जो 62 कर्मचारी हैं उनको समान कार्य और समान वेतन की बात है उसमें कितना पैसा खर्च होगा, मेरा आग्रह है वह कर दें। यहां घोषणा न करें बाद में निर्णय ले लें। उसी तरह से जो हमारी सुरक्षा में यहां लगे हुए हैं, आप देखें कि जिस तरह का यह आदर का भाव देते हैं और सुरक्षा भी करते हैं कभी-कभी बलात् सदस्यों को बाहर भी करना पड़ता था, मान्यवर, यह आपकी कृपा है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की कृपा है कि ऐसा मौका नहीं आता है। इसलिए मान्यवर, हम आपसे आग्रह करेंगे कि विलम्ब न करें सुरक्षा कर्मियों का समान कार्य के लिए समान वेतन कर दें। लोक सभा की परम्परा का पालन करते हुए जो कुछ वहां मिलता है यहां दे दें। अगर यहां घोषणा कर दें, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं जानता हूं कि आपकी यही समस्या है कि कर देने के बाद कभी-कभी दिक्कत हो सकती है आपको। तो बात करके कर दीजिएगा। इसी तरह से मान्यवर, जैसे सचिवालय के कर्मचारियों को सिमकार्ड और अखबार देने का आदेश किया गया है हमारे विधान मण्डल के कर्मचारियों को नहीं

दिया जाता हैं मोबाइल रहे तो उनको बुलाया भी जा सकता है उसके बारे में अवश्य विचार कर लें। इन शब्दों के साथ इस मंगल कामना के साथ कि जो इस समय इस सदन में हैं अगले सदन में भी एक-आध को छोड़कर सभी इस सदन में बने रहें। यह मेरी आशा है और मान्यवर, केन्द्र में एक मजबूत सरकार की कामना के साथ जो कि हमारे बगैर हो ही नहीं सकती, मैं मान्यवर, बधाई देता हूं।

चौधरी सत्येंद्र सोलंकी-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि वर्ष 2009-2010 के प्रथम सत्र के आज अंतिम दिन मुझे अपने दल की ओर से बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं बधाई देना चाहता हूं कि इस गेट के बाहर विधान सभा के जो सुरक्षाकर्मी हैं हमारे सुबह आने से पहले आकर तैनात हो जाते हैं और जितना भी विधान सभा का स्टाफ है वह सुबह हमारे आने से पहले कार्यालय में उपस्थित हो जाते हैं और हमारे जाने के बाद तमाम लोग जाते हैं तो बड़ी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपना काम करते हैं। सुबह जब हम लोग उठते हैं तो उससे पहले हमारे घर पर एजेण्डा पहुंच जाता है तो मैं तमाम हमारे सारे विधान सभा के कर्मचारियों का, अधिकारियों का, सुरक्षाकर्मियों का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मान्यवर, मैं खासतौर से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि मैं तो एक नये सदस्य के रूप में विधान सभा में आया हूं। बहुत थोड़ा मेरा अनुभव है जिस तरीके से आप चाहे इधर के हमारे साथी लोग हों या उधर के हों, जो नये लोग इस विधान सभा में चुनकर पहली बार आये हैं उनको आप जितना समय देते हैं और जो आपका स्नेह और आर्शीवाद हमें मिलता है उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं और जिस तरीके से आप पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ संतुलन बनाकर चलने का काम करते हैं उसके लिए भी हम आपको बधाई देना चाहते हैं। हालांकि मुझे कष्ट हुआ शुरू के दो दिन कि विधान सभा के अन्दर हमको जो महत्वपूर्ण चीजें करनी थीं वह नहीं कर सके, विधान सभा के अन्दर दो दिन तक हम कार्यवाही को नहीं चला सके तो मुझे व्यक्तिगत बड़ा कष्ट हुआ, हो सकता है मेरे और दूसरे साथियों को भी हुआ हो, लेकिन उसके बाद आपने बहुत ही कुशल नेतृत्व के साथ इस सदन को चलाने का काम किया तो इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। अपने विधान सभा प्रमुख सचिव को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, हालांकि प्रमोद तिवारी जी ने अभी वह मांग रखी हमारे सुरक्षाकर्मियों की यह तमाम लोग हमसे भी निवेदन करते हैं, हमसे जुड़े हुए हैं और एक परिवार के सदस्य के रूप में हम सब लोग यहां हैं और इनकी संख्या भी बहुत कम है, कुल 62 लोग हैं तो अभी तो छठा वेतन आयोग भी लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय सरकार ने लिया और तुरन्त ही लिया, जैसे ही घोषणा आई उसके बाद तुरन्त घोषणा हुई कि सरकार प्रदेश में छठा वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करेगी तो केन्द्र के समान लोक सभा के समान जो वहां के सचिवालय कर्मियों, सुरक्षाकर्मियों को मिलता है तो इनको भी देने का काम हो जाय। सिम की बात है और एक न्यूज पेपर की बात आई तो इन पर भी विचार कर लें मैं भी इनकी मांग का समर्थन करते हुए मांग करता हूं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कि इस पर विचार कर लें अगर यह संभव हो सके तो इनको कर ही दें। संभव क्या इसको कर ही दें यह तो छोटी सी मांग है, कोई ज्यादा बड़ी मांग नहीं है और थोड़े ही लोग है और इसमें बहुत ज्यादा वित्तीय भार भी नहीं पड़ेगा और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं संसदीय कार्य मंत्री जी का तमाम अपने सारे वरिष्ठ मंत्रियों का साथियों का और नेता प्रतिपक्ष का नेता

भाजपा का, नेता कांग्रेस विधान मण्डल दल का, तमाम सब अधिकारी कर्मचारियों का एक बार फिर धन्यवाद अदा करना चाहता हूं और अन्त में अपनी बात समाप्त करते हुए आपको बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं और इस उम्मीद के साथ अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि आने वाले समय में जो विधान सभा का सत्र होगा लोक सभा चुनाव के बाद उसे आप थोड़ा लम्बा चलाने का काम करेंगे जिससे हम जैसे नये साथियों को कुछ सीखने का क्योंकि हम लोग बहुत कुछ सीखने का काम भी करते हैं अपने वरिष्ठ साथियों से तो इस उम्मीद के साथ कि आने वाला जो सत्र होगा जब हम आज बिछड़ने के बाद दूसरी बार जब हम यहां मिलेंगे तो एक लम्बे समय के लिए मिलेंगे आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री कुबेर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा विषय है चापलूस, चापलूसी करने वाले और चापलूसी सुनने वाले, दोनों ही इस देश के लिए शर्मदायक और नरकदायक हैं।

(हंसी के साथ मेजों की थपथपाहट)

हंसने के बाद शान्त हो जाएं और फिर कुछ सुन लें। क्योंकि चापलूसी जो आदमी करता है उसे यह लगता है कि मैं सामने वाले को सुना रहा हूं, बेवकूफ है और यदि वह भी हां में हां करता है तो वह उससे भी ज्यादा चापलूस और बेवकूफ है। तो बहुत से लोग मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं इस सदन में, मैं सबसे छोटा हूं, जूनियर हूं और मैं तो इन सब कर्मचारियों सहित सबको बड़ा मानते हुए अपनी बात रख रहा हूं, अन्यथा न लें। क्योंकि वह सामने वाले को बेवकूफ बना कर के अपना मतलब हल करना चाहता है। आप में वह गुण तो नहीं है यह तो मैं जानता हूं कि सुनने को तैयार हों चूंकि हां में हां तो करते रहेंगे पर करना वही है जो उचित है। हां में हां, ठीक है, सुनेंगे, देखेंगे परन्तु करना वही है जो उचित है। परन्तु एक निवेदन जरूर करना चाहता हूं कि अपनी कुर्सी को सम्भाल कर रखते हुए जो सत्ता पक्ष ने आपको वहां बैठाया है कुछ ही समस्यायें ऐसी होती हैं जो नये सदस्य हैं, वह अपनी बात को एक मिनट में कहने को तैयार रहते हैं जबकि जो [× × ×] के सदस्य हैं वह अपनी बात को डेढ़ घण्टे ले जाते हैं खींच कर।

(जोरों की हंसी के साथ मेजों की थपथपाहट)

तो यह सब समय ले लेते हैं जबकि हम जैसे अज्ञानी कम बुद्धि वाले आदमी उसे सार्ट में, चूंकि अध्यक्ष जी कहते हैं बैठिये-बैठिये यह बहुत बुरी बात हो गई है इसलिए उसे आधे मिनट में ही खत्म करना चाहते हैं तो उनकी बात जैसे आप सुनते हैं उसमें बढ़ोत्तरी करते हुए और बड़े-बड़े लोगों की बात में कटौती करते हुए उन्हें समय और बढ़ाकर दिया जाय और यह कुर्सी आपकी सर्वसम्मति से है न कि सत्ता पक्ष की वजह से। तो उन्हें बचाते हुए, वह भी जायज और जिन्यून बातें सुनें। कभी-कभी ऐसा होता है कि ऐसी नोटिस लगायी जाती हैं जिसमें सरकार फंसती है तो उन्हें अस्वीकार करने की आपकी ऐसी इच्छा रहती है कि इसे हटा दो। तो ऐसे विषयों पर कभी-कभी सुन लिया जाय, इस सरकार को जवाब देने का मौका मिल जाय और नये सदस्यों को मौका और मिल जाय। इसके

नोट :- [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

लिए मैं धन्यवाद देते हुए ऐसे ही ईश्वर आपकी और बुद्धि बढ़ाये कि चापलूसों की न सुनें। इसी के साथ मैं पुनः धन्यवाद देते हुए प्रणाम और नमन करते हुए अपनी बात खत्म करता हूं और आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं।

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, यह गिरिराज महाराज का मामला है, आप सुन लें।

मान्यवर, आपके कुशल नेतृत्व में हाउस चला। कम समय चला हाउस। लेकिन, लॉस्ट में जो चला उसमें इधर और उधर के लोगों को अपनी बात रखने का, अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखने का मौका मिला। मान्यवर, आप हमारे संरक्षक हैं जब सत्र चलता है तो सदस्य उम्मीद लगाये बैठे रहते हैं कि उन्हें अपनी बात रखने का मौका मिल जायेगा। माननीय अध्यक्ष जी, आपके संरक्षण में हम अपनी बात अपने क्षेत्र की समस्याओं की बातों को यहां पर रख सकते हैं और उसे रखने का पूरा मौका मिलता है। पिछली बार भी मिला अभी भी मिला। चूंकि सत्र पहले समाप्त हो गया इसलिए बहुत से माननीय सदस्य जो अपने जनपदों की, अपने क्षेत्रों की बहुत सी बातें, आपके माध्यम से रखना चाहते थे उसमें मौका नहीं मिल पाया। हम उम्मीद करेंगे कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आगे आप जब भी सत्र बुलायें वह लम्बे समय के लिए रखें। लोक सभा के चुनाव के बाद जो भी सत्र बुलायें उसमें समय को आप बढ़ाने का काम करें। मान्यवर, लोकदल विधान सभा में सबसे छोटा दल है लेकिन इसके बावजूद हम लोगों ने अपनी बातों को यहां पर रखा। मान्यवर, मैं विधान सभा के प्रमुख सचिव जी को धन्यवाद देता हूं और यहां पर जो भी अधिकारी, कर्मचारी हैं, वह हमें पूरा सहयोग करते हैं उनको हम धन्यवाद देते हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, कुछ विधेयक विधान परिषद् में पारण हेतु जाने हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि संक्षेप में अपनी बात समाप्त कर लें।

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, मैं एक बार पुनः आपका आभार प्रकट करता हूं।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं निवेदन करते हुए यह कहना चाहता हूं कि माननीय कुबेर सिंह जी विद्वान सदस्य हैं उन्होंने अच्छी बातें कही हैं। लेकिन, कुछ ऐसी बातें कही हैं जिन्हें कार्यवाही में रखना उचित नहीं होगा। मेरा अनुरोध है कि कार्यवाही से आपत्तिजनक बातों को निकालने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, दिखवा लेंगे।

श्री कुबेर सिंह-

मान्यवर, मैंने ऐसी कोई आपत्तिजनक बात नहीं कही है।

उच्च शिक्षा मंत्री (डा0 राकेशधर त्रिपाठी)-

माननीय अध्यक्ष जी, पूरे सदन ने आपके प्रति आभार व्यक्त किया है इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने कुशलतापूर्वक सदन का संचालन किया है। मान्यवर, माननीय तिवारी जी ने अपने अनुभव से कहा कि उन्होंने 1980 से तमाम माननीय अध्यक्षों को देखा और सुना है। मैंने भी 1985

से अब तक तमाम मा0 अध्यक्ष लोगों को देखा है और उनको सुना है। आपका धैर्य, आपकी क्षमता और इतने घण्टे लगातार बैठे रहना यह योग साधना की तरह है। सच में जैसा कि सदस्यों ने कहा हम सबको आपके इस गुण का अनुसरण करना चाहिये। मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहना चाहता हूं कि मान्यवर, माननीय तिवारी जी भाषण करने के बाजीगर हैं और उस कला में पूरे हाउस को हाईजैक कर लेते हैं पूरे विपक्ष को हाईजैक कर लेते हैं, भाषण के जादूगर हैं। आपने अभी शुभकामनायें दी कि नेता प्रतिपक्ष जी दिल्ली चले जाये, माननीय हुकुम सिंह जी दिल्ली चले जायें। माननीय नरेश अग्रवाल जी के लिये आपने कहा कि वह दिल्ली चले जायें। आपने कहा कि माननीया मुख्य मंत्री यहीं विराजमान रहें। मान्यवर, मेरा आग्रह है, मेरी शुभकामना है कि माननीय तिवारी जी भी दिल्ली चले जाये, अब लखनऊ में बहुत हो गया। मान्यवर, आपने कहा कि सरकार हम वहां पर बनाते रहेंगे। मान्यवर, पिछले 19-20 सालो से यह देखा जा रहा है कि वहां मिली-जुली पार्टियों की सरकार बन रही है और जब वहां इस तरह की सरकारें बनती हैं तो यहां पर बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बन जाती है। आपको पिछले 17 साल से लालबत्ती का सुख नहीं मिल पाया है। आपने तमाम लोगों को शुभकामनायें दी कि दिल्ली जायें। मैं कहना चाहता हूं कि अब मिली-जुली पार्टियों की सरकार बनने का राजनीति का दौर है बहन मायावती जी प्रधानमंत्री बनें तो आप उनके केबिनेट में आ जाइयेगा। क्योंकि जब वे प्रधानमंत्री बनेंगी तभी आप उनके कैबिनेट में मंत्री बन पायेंगे, नहीं तो कभी नहीं बन पायेंगे, आपका नम्बर नहीं आयेगा। मान्यवर, जब भी उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री हुआ है तब अपने प्रदेश के कुछ लोगों का कैबिनेट में दर्जा बढ़ा है। आपने तमाम लोगों को शुभकामनायें दी हैं आप बहन मायावती जी के लिए शुभकामनायें दें कि वे प्रधानमंत्री बनें और आप उनके कैबिनेट में मंत्री बनें। ताकि हम लोग जब वहां आयें तो खाने-पीने का इंतजाम रहे।

श्री अध्यक्ष-

आज हम इस मंडप में एक परिवार के सदस्य के रूप में इस सत्र में बैठे रहे और बैठते भी रहे हैं और अनिश्चितकाल के लिए आज हम लोग उठने जा रहे हैं। ऐसे अवसर पर मैं नेता सदन के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि जो समय-समय पर इस सदन में उपस्थित हो करके सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले करके इस सत्र के महत्व को बढ़ाया और बहुत संयमित ढंग से सरकार का पक्ष रखकर संसदीय परम्पराओं का, मर्यादाओं का पालन नेता सदन के द्वारा हुआ। मैं पुनः उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। मैं माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी के प्रति बहुत आभार प्रकट करता हूं कि सरकार की तरफ से पूरे सदन के संचालन में और समय-समय पर जोरदार ढंग के साथ सरकार का पक्ष रखने की जो क्षमता है और जिस तरह से उन्होंने सदन में भरपूर कोशिश किया है कि मैं विपक्ष के उन साथियों के तमाम उत्तर, प्रति-उत्तर का स्पष्टीकरण जवाब देता रहूं, यह क्षमता माननीय संसदीय कार्यमंत्री के अन्दर है। बड़े विद्वता के साथ और संसदीय परम्पराओं का पालन करके आपने सत्र संचालन में एक अच्छा और भरपूर सहयोग दिया है। मैं अपने संसदीय कार्यमंत्री के प्रति पूरी तरह से आभार प्रकट करता हूं। मैं नेता प्रतिपक्ष के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं इस समय वह हैं नहीं लेकिन वह भी समय-समय पर उपस्थित होकर के इस सदन के संचालन में भरपूर सहयोग किये हैं और अपने दल की तरफ से या पूरे विपक्ष की तरफ से जब-जब भी मौके आये हैं तो विपक्ष की भावनाओं को उन्होंने सदन के अन्दर रखने की कोशिश की है। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी की

तरफ से खन्ना साहब ने आभार प्रकट किया मैं उनका बहुत बड़ा धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि खन्ना साहब, चाहे जो भी हंसी मजाक में होता हो, लेकिन जिस तरह से यह नियमों और परम्पराओं का पालन करके समस्याओं को रखते हैं और मैं इसलिए और उनका आभार प्रकट करता हूं कि जब-जब मैंने अनुरोध किया कि सदन के संचालन में आप हमारी मदद करें, मैं उनकी भूरि-भूरि सराहना करता हूं कि खन्ना साहब कहीं न कहीं मेरे निवेदन को स्वीकार करके सहयोग किये और अपने स्थान पर बैठ गये। मैं अन्य अपने सभी सम्मानित सदस्यों को भी, हमारे सहयोग देने में, भावनात्मक और रचनात्मक दोनों सहयोग किया है, मैं खन्ना साहब का भी आभार प्रकट करता हूं। हमारे तिवारी जी जब भी सदन में तनावपूर्ण माहौल बनता है तो कहीं न कहीं उस माहौल को हंसी में या खुशी में परिवर्तित कर उस तनाव को खत्म करके एक अच्छा माहौल बनाने का भरपूर हमेशा प्रयास करते हैं किसी को कटु भी नहीं लगता है। यह संसदीय परम्पराएं हैं। संसदीय प्रणाली में हास-परिहास एक महत्वपूर्ण अंग होता है देखता है इनके अन्दर अध्ययन है, वह ज्यादा से ज्यादा अपनी बातों को सदन में रख लेते हैं। इन्हें संसदीय कलाओं के रूप में सुशोभित किया जाय तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो दूसरे की गेंद लेकर खुद खेलने लगे। इसी प्रकार यह दूसरे की समस्याओं में भी सहयोग कर उनकी मदद कर देते हैं, उसको उठाते हैं। इस तरह का उनका और कोई गुण नहीं है, जिस पर किसी को कोई शंका हो। वे ज्ञानी है वह संसदीय परम्पराओं के जानकार हैं और उनका बहुत लम्बा अनुभव है, ऐसे सभी वरिष्ठ सदस्यों के ज्ञान का, आचरण का, व्यवहार का समय-समय पर कैसे लाभ लेते हैं, इसका सभी को अनुकरण करना चाहिये और स्वीकार करना चाहिये। ऐसे प्रमोद तिवारी जी का मैं बहुत बड़ा आभार प्रकट करता हूं।

अभी पूरन प्रकाश जी ने आभार प्रकट किया मैं उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूं। सोलंकी साहब अभी नये सदस्य हैं लेकिन जब सदन में अपनी कोई बात रखते हैं तो निश्चित तौर पर यह महसूस होता है कि एक लम्बा अनुभव इनको सदन का है और अपने दल की तरफ से, दल के हित में, जनहित में, प्रदेश की तमाम समस्याओं को वह अच्छे ढंग से प्रस्तुत करते हैं। इनको तो मैं बहुत बड़ी बधाई दे रहा हूं कि निश्चित तौर पर हमारी कुदरत से यही कामना है कि यह अच्छे संसदीय परम्पराओं के ज्ञाता बनें।

माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी ने आभार प्रकट किया। वह हमारे विद्वान और वरिष्ठ अनुभवी मंत्री हैं। भाई कुबेर सिंह जी ने भी कहा। यह धन के कुबेर का मतलब धन है। इनके पास धन भी है, सब कुछ है, लक्ष्मी भी है सरस्वती भी इनकी दोस्त है और विद्वान है, धन के कुबेर हैं, बुद्धि के भी कुबेर हैं। मैं ऐसे भाई कुबेर जी को इसलिए भी मानता हूं और समय-समय पर बुलवा दिया करता हूं। आप या तो सीखने की कोशिश करते हैं या सिखाने की कोशिश करते हैं मैं दोनों को स्वीकार कर लेता हूं। नये सदस्य हैं कभी जाने अनजाने में बोल देते हैं, इसको कहीं स्वीकार नहीं करना चाहिये और न कोई कटुता लगनी चाहिये। अभी कई बार यह बोले हैं और कहें हैं कि माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह बात रख रहा हूं, यदि न ठीक हो तो सब निकाल दिया जाय। यह तो खुद ही कहते हैं कि न ठीक हो तो सब निकाल दिया जाय। ऐसे तमाम नये सदस्य हैं वह थोड़ा हंसी प्रमोद जी करते रहते हैं इसलिये थोड़ा अच्छा माहौल बनता है। सभी नये सदस्य बहुत हिस्सा लिये हैं, मैं सभी सदस्यों का, चाहे वह सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, बहुत आभार प्रकट करता हूं कि अपने दल की और संसदीय

परम्पराओं की मर्यादाओं का पालन करते हुये निश्चित तौर पर सफल ढंग से संचालन हो, सुचारु रूप से सदन चले, इसमें सबका सहयोग रहा।

मैं मंत्रि-परिषद् के सभी सदस्यों के प्रति बहुत आभार प्रकट करता हूं कि समय-समय पर हमारे मंत्रि-परिषद् के सभी सदस्यों ने सदन में बखूबी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है, मैं ऐसे सभी वरिष्ठ मंत्री और अन्य मंत्रिगण की भूरि-भूरि सराहना करता हूं कि सभी मंत्रीगण ने समय-समय पर अपने दायित्वों का ठीक से निर्वहन किया है। सभी माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं।

मैं अपने प्रमुख सचिव, विधान सभा का भी आभार प्रकट करता हूं, विशेष सचिव का भी करता हूं तथा सभी इस सचिवालय के कर्मचारियों का भी, कि इस सदन के संचालन में इन सभी का भरपूर सहयोग रहा है। हमें जब-जब भी आवश्यकता महसूस हुयी है, प्रमुख सचिव का हमें पूरा सहयोग मिला है। सदन के संचालन में सचिवालय के कर्मचारियों का भी बहुत सहयोग रहा है। मैं इनके प्रति भी बहुत आभार प्रकट करता हूं।

मैं अपने सुरक्षा कर्मियों के प्रति भी बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपकी सुरक्षा के लिये सदन के संचालन में कोई व्यवधान हो, कोई ऐसा आचरण न उत्पन्न हो जाय, जिससे सदन की गरिमा गिरे, इसलिए यह लोग हर तरह का जोखिम उठाकर उसे संयमित करने और रोकने की कोशिश किये हैं। मैं अपने मार्शल और सभी सुरक्षा कर्मियों के प्रति आभार प्रकट करता हूं।

मैं दीर्घा में बैठे अपने पत्रकार भाइयों की बहुत-बहुत सराहना करता हूं कि आप जो कुछ इस सदन में होता है सदन की कार्यवाही का जनता के बीच में उसका जाना आवश्यक होता है और चाहे इलेक्ट्रानिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, उसका आप ही माध्यम हैं हमारे पत्रकार भाई। वह हमारी पूरी कार्यवाही हो, सत्ता और विपक्ष के तमाम ऐसे वक्तव्य और कार्यवाहियों को कहीं न जनता के बीच भेजने का काम करते हैं हमारे लोकतंत्र के यह महत्वपूर्ण अंग हैं और इस सदन के भी महत्वपूर्ण अंग हैं, मैं उनकी भी बहुत सराहना करता हूं और साथ ही साथ उनका आभार प्रकट करता हूं।

मैं अपने सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से लेकर ध्वनि प्रसारण कर्मचारियों से लेकर उन सभी सफाई कर्मचारियों का भी आभार प्रकट करता हूं कि हमारे सदन में आने से पहले जो कुछ भी कागज के टुकड़े या जो कुछ रहता है या कोई भी गंदा माहौल मंडप में बन जाता है, यह धन्य हैं सफाई कर्मी, कि हमारे सदन में आने से पहले पूरा सफाई करके स्वच्छ कर देते हैं आप सभी लोगों ने सदन के संचालन में भरपूर सहयोग दिया इसके लिए मैं आप सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूं और शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। अन्त में मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि यदि किसी को हमारे व्यवस्था देने या अन्य निर्णयों से कष्ट हुआ हो, तकलीफ हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से आप सहयोग करते रहें। आप सब हमारे परिवार के सदस्य हैं और आज जब हम लोग अपने-अपने घर जा रहे हैं तो मैं सभी को विश्वास दिलाता हूं कि मैंने निष्पक्षता के साथ कार्य किया और आगे भी करूंगा कभी एकपक्षीय निर्णय नहीं लूंगा। हमारे दल की नेता बहन कुमारी मायावती जी ने अध्यक्ष पद हेतु हमारा चयन किया और सभी दलों के साथियों ने हमें समर्थन दिया, सहयोग किया और मैं अपने दल की नेता की भावनाओं का आदर करते हुए निष्पक्षता से आप सभी का सम्मान और स्वागत करते हुए हमेशा उम्मीद रखूंगा कि आप सबकी लम्बी उम्र हो, मंगलमय

हो, आप सभी सकुशल और अच्छे माहौल में अपने घर को जायें, यही हमारी शुभकामना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिन्द !

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकार हुआ।)

राष्ट्र-गान

जन-गण-मन-अधिनायक जय हे।
भारत-भाग्य-विधाता।।
पंजाब-सिंधु-गुजरात-मराठा
द्राविड़-उत्कल-बंग।
विन्ध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा,
उच्छल-जलधि-तरंग।।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे।।
गाहे तव जय गाथा।।
जन-गण-मंगलदायक जय हे,
भारत-भाग्य विधाता।।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे।।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

अब हम अनिश्चितकाल के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन अपरान्ह 01 बजकर 07 मिनट पर अनिश्चितकाल तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 20 फरवरी, 2009

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उ0 प्र0।

पी0एस0यू0पी0 एल0 37 विधान सभा (71)-3-6-2009 813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।